सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

नवंबर 2020

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

16 सायके
पिनाका रॉकेट सिस्टम
महात्मा गांधी पर एंथोलॉजी
दो नए रामसर स्थज
भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल
वार्षिक बोनस के लिए मजदूरी मानदंडों पर नियम
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
ओपेक–भारत संवाद
चुनाव आयोग की शक्तियाँ
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020
डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति
चीनी उद्योग को निर्यात सब्सिडी
बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई)
'अर्थव्यवस्था की स्थिति' रिपोर्ट

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1
16 सायके 2
शहरी गतिशीलता भारत (UMI – Urabn Mobility India) सम्मेलन 2
पिनाका रॉकेट सिस्टम 5
नौसेना अभ्यास कराट 5
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS–01 6
रो–पैक्स सेवा 7
महात्मा गांधी पर एंथोलॉजी 8
नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड (NCMC) 10
लोक सेवा प्रसारण दिवस 12
शांति की प्रतिमा 12
दो नए रामसर स्थल 13
संविधान दिवस / राष्ट्रीय कानून दिवस 15
भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल 15

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएम) पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर रिपोर्ट 16
लोक विरासत 17
कम दबाव क्षेत्र 17

सामान्य अध्ययन II

वार्षिक बोनस के लिए मजदूरी मानदंड पर नियम 18
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 18
नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक की धारा 67 20
टेली कानून 20
ओपेक–भारत संवाद 21
शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (एएफआई) 22
धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून 23
प्रशासनिक और बजट संबंधी संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति (ACABQ) 24
गुजारा भत्ता दिशानिर्देश 25
चुनाव आयोग की शक्तियाँ 26
फिंगर 8 26
तीस मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) परियोजना 27
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 28
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 29
डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति 30
भारत–अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता 32

सामान्य अध्ययन III

मूँगे की चट्टानें (कोरल रीफ्स)	33
सेना विमानन कोर	34
चीनी उद्योग को निर्यात सब्सिडी	36
प्रसाद योजना	37
स्काइलार्क उपग्रह नक्षत्र	37
बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई)	38
भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP) 2020	39
टेलीमेडिसिन सेवा 'eSanjeevani '	39
पीएम–कुसुम	42
'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' रिपोर्ट	43
थोक मूल्य सूचकांक	47
गिद्ध कार्य योजना 2020–25	48
एसडीजी इन्वेस्टर मैप	49

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाता है। इस वर्ष, इस दिवस को थीम – प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ, के अंतर्गत मनाया गया।

मुख्य विशेषताएं –

- इस दिवस को 2 नवंबर 2013 में माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में मनाया जाता है।

प्रण –

- सदस्य राज्यों से, पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों के खिलाफ सभी हमलों एवं हिंसा की निंदा करते हुए इसे रोकने के लिए निश्चित उपायों को लागू करने का अनुरोध करते हैं।
- सदस्य राज्यों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों के खिलाफ अपराधों के अपराधियों को न्याय दिलाते हैं, एवं यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ितों को उचित उपचार उपलब्ध हो।
- राज्यों से पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से एवं अनुचित तरीके से अपने काम को करने के लिए पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों पर कॉल दखल अंदाजी।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस –

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाया जाता है। सरकारों को, प्रेस एवं प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
- 2020 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों की सूचि में 142 वाँ था।

चंडी पाडवो

समाचार –

- चांदनी पडवा या चंडी पडवो एक ऐसा अवसर है जब सुरती (सूरत के गुजराती लोग) एक लोकप्रिय स्थानीय किस्म की मिठाई घारी एवं नमकीन भुशु का आनंद लेते हैं।
- यह त्यौहार शरद पूर्णिमा के एक दिन बाद आता है, जो हिंदू कैलेंडर की अंतिम पूर्णिमा है।

गंगा उत्सव –2020

समाचार –

- गंगा उत्सव – 2020 वस्तुतः नवंबर 2 से शुरू हुआ। यह महोत्सव 4 नवंबर तक जारी रहा।
- मोटे तौर पर गंगा उत्सव की गतिविधियों को 6 व्यापक विषयों में रखा जा सकता है। ये व्यापक विषय हैं गंगा डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, कल्चरल इवेंट्स, मिनी गंगा क्वेस्ट, गंगा फिल्म फेस्टिवल, एवं रिलीज ऑफ मूवीज एंड पब्लिकेशन।
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG) ने गंगा उत्सव 2020' का आयोजन किया।

गंगा उत्सव का विवरण –

- गंगा उत्सव पवित्र नदी गंगा की महिमा का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक त्योहार है।
- उद्देश्य जनता को नदी के कायाकल्प के कारण से जोड़ना है एवं बातचीत एवं मनोरंजन के माध्यम से पारिस्थितिक मुद्दों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना है।
- गंगा टास्क फोर्स ने परियोजना क्षेत्र में युवाओं के लिए एनसीसी कैडेट एवं शैक्षिक दौरे के साथ वनीकरण अभियान चलाया।
- 4 नवंबर, 2008 को, गंगा को 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया गया था।
- 2016 के बाद से, प्रतिवर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हितधारक गंगा ज्ञान केंद्र के तत्वावधान में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

मिशन सागर चरण II

समाचार –

- भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत, मिशन सागर–2 के हिस्से के रूप में खाद्य सहायता के साथ सूडान पहुंची।
- मिशन के तहत, भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं एवं कोरोनोवायरस महामारी को दूर करने के लिए अनुकूल विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है।

मिशन सागर –

- मिशन सागर – II, मई–जून 2020 में किए गए पहले 'मिशन सागर' का अनुसरण करता है, जिसमें भारत, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस तक पहुंचा एवं खाद्य सहायता एवं दवाइयां प्रदान की।
- मिशन सागर – II के भाग के रूप में, भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती एवं इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा।
- मिशन सागर – II क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि के अनुरूप है।

'सागर' –

- यह भारत द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा बंधन को और अधिक मजबूत करता है।

कोच्चि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी

समाचार –

- 1 नवंबर को कोच्चि में कोच्चि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (KMTA) लागू होगी। कोच्चि केरल का वित्तीय केंद्र है।
- KMTA शहर में एक एकीकृत, निर्बाध शहरी परिवहन प्रणाली को आकार देने एवं उसकी अध्यक्षता करने के लिए एकछत्र निकाय के रूप में काम करेगा।
- नवंबर, 2019 में, केरल विधानसभा ने केएमटीए बिल पारित किया, जिससे राज्य के तीन शहरों – तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड एवं कोच्चि में, महानगरीय परिवहन अधिकारियों के गठन का रास्ता साफ हो गया।

केएमटीए का विवरण –

- केएमटीए एक स्वतंत्र निकाय होगा। निकाय की अध्यक्षता राज्य के परिवहन मंत्री द्वारा की जाएगी जिसमें परिवहन सचिव उप–अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- इसमें जिला कलेक्टर, नगर पुलिस आयुक्त, स्थानीय निकायों के सचिव, महापौर, स्थानीय विधायक एवं राज्य बस निगम के प्रतिनिधियों सहित अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं।
- शहर में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन मोड के संचालन, रखरखाव, विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

क्षुद्रग्रह 16 सायके (Psyche)

समाचार –

- एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि क्षुद्रग्रह 16 सायके, जो मंगल एवं बृहस्पति के बीच की परिक्रमा करता है, पूरी तरह से धातु का बना हो सकता है एवं इसकी कीमत लगभग $10,000 क्वाड्रिलियन 10,000,000,000,000,000,000 डॉलर है) – पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक।
- इस की खोज, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) हबल स्पेस टेलीस्कोप की है।
- इसकी खोज के लिए, शोधकर्ताओं ने 2017 में किए गए दो अवलोकनों के दौरान हबल टेलीस्कोप द्वारा एकत्रित पराबैंगनी स्पेक्ट्रम डेटा का उपयोग किया।

क्षुद्रग्रह 16 सायके

- पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित, क्षुद्रग्रह 16 सायके हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़े पैमाने की वस्तुओं में से एक है।
- यह आलू–आकार का क्षुद्रग्रह है एवं इसका व्यास लगभग 140 मील है।
- नए शोध से पता चलता है कि क्षुद्रग्रह ज्यादातर लोहे एवं निकल से बना हो सकता है।
- इसे पहली बार 17 मार्च 1853 को इतालवी खगोलशास्त्री एनीबेल डी गैस्परिस द्वारा खोजा गया था एवं इसका नाम आत्मा की प्राचीन ग्रीक देवी, साइके के नाम पर रखा गया था।
- सायके से पराबैंगनी प्रकाश जिस तरह परावर्तित होता है वह लोहे से सूर्य के प्रकाश परावर्तन के समान है।
- यह एक संकेत है कि क्षुद्रग्रह पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जो सौर हवा की सतह पर टकराने के परिणामस्वरूप हो सकता है।

फोर्टिफाईड चावल की वितरण योजना

समाचार –

- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से फोर्टिफाईड चावल वितरण योजना शुरू की।

फोर्टिफाईड चावल –

- फोर्टिफाईड चावल लोहे, विटामिन बी–12 एवं फोलिक एसिड से समृद्ध फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) का मिश्रण है, जो आहार में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है एवं जिससे कुपोषण एवं एनीमिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- इसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- सरकार का मानना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व, जो शरीर को विकास के लिए आवश्यक एंजाइम एवं हार्मोन का उत्पादन करने में सक्षम बनाते हैं, देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- नमक, खाद्य तेल, दूध एवं गेहूं के बाद चावल पाँचवाँ खाद्य पदार्थ है जिसे सरकार फोर्टिफाईड रूप बढ़ावा दे रही है –

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

समाचार –

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का समापन 2 नवंबर (27 अक्टूबर को शुरू हुआ) के साथ 'सतर्क भारत, समद्धि भारत' विषय के साथ किया गया था।

उद्देश्य –

- यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में अखंडता एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

नई पहल –

- 'एक महामारी में सुशासन प्रथाओं पर विचार बॉक्स' को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ–साथ MyGov मंच पर भी शुरू किया गया है।
- यह सुशासन से संबंधित स्रोत विचारों को बढ़ावा देगा।
- 'ई–गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ आचरण' पर सोशल मीडिया ट्वीट्स लॉन्च किए गए हैं।
- 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' पर गोलमेज चर्चा हुई।
- 'भारत सरकार' की नीति में निवारक सतर्कता के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित गोलमेज चर्चा, जिसमें लोक सेवा की नैतिकता, नैतिक प्रथाओं का सामाजिक अंकेक्षण, भ्रष्टाचार के लिए मापन योग्य क्षमता का विकास एवं सरकार में असमान रूप से भ्रष्टाचार का उच्च प्रभाव आदि विषय शामिल थे।

शहरी गतिशीलता भारत (UMI – Urban Mobility India) सम्मेलन

समाचार –

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर 2020 को 13 वां शहरी गतिशीलता भारत (यूएमआई) सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

थीम –

- इस वर्ष की घटना का विषय 'शहरी गतिशीलता में उभरता रुझान' है, जो लोगों को सुलभ एवं सुविधाजनक परिवहन प्रदान करने के लिए कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अभिनव उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्राथमिक उद्देश्य –

- सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों तक सूचना का प्रसार करना है, जिसके अधिकारी सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो विश्व स्तर पर नवीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अद्यतित रखने में मदद करते हैं।

iGOT ई–लर्निंग प्लेटफार्म

समाचार –

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मोर्चे के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए एक सीखने का मंच शुरू किया है ताकि उन्हें प्रशिक्षण एवं महामारी से निपटने में अपडेट किया जा सके।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड–19 महामारी पर DISKHA प्लेटफॉर्म पर iGOT पाठ्यक्रम संचालित किए हैं।

विवरण –

- iGOT मंच कोविड–19 योद्धाओं के लिए स्व–निहित प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करता है, जिसमें 56 मॉड्यूल, 196 वीडियो एवं 133 वीडियो दस्तावेज शामिल हैं।
- लक्ष्य समूह में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कर्मचारी, तकनीशियन, सहायक नर्सिंग मिडवाइव्स (ANM), केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, नागरिक सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू सेवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएसजी) एवं अन्य स्वयंसेवक शामिल हैं।
- iGOT प्लेटफॉर्म जनसंख्या पैमाने पर बनाया गया है, एवं आने वाले सप्ताहों में लगभग 1.50 करोड़ श्रमिकों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- शुरू करने के लिए, iGOT पर नौ पाठ्यक्रम जैसे कोविड–19, आईसीयू देखभाल एवं वेंटिलेशन, नैदानिक प्रबंधन, पीपीई, संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम, संगरोध एवं अलगाव, प्रयोगशाला नमूना संग्रह एवं के माध्यम से संक्रमण के ऑक्सीकरण परीक्षण, कोविड–19 मामलों का प्रबंधन, कोविड–19 प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। ।
- पाठ्यक्रमों के लिए 29 लाख से अधिक नामांकन हुए। 729 जिलों में 13 लाख से अधिक विभिन्न उपयोगकर्ता फैले हुए थे। 50 जिले ऐसे थे जहाँ अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

100% मोटर वाहन कर छूट

समाचार –

- तमिलनाडु की राज्य सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट प्रदान करेगी।
- इससे पहले, राज्य सरकार ने ईवी करों को 50% रियायती दर के लिए आदेश जारी किए थे। इसे अब 100% कर दिया गया है।

मुख्य विचार –

- राज्य सरकार ने परिवहन एवं गैर–परिवहन दोनों वाहनों को करों में छूट दी है।
- राज्य सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए पहले से ही प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। तमिलनाडु सरकार ईवी विनिर्माण इकाइयों को 100% जीएसटी प्रतिपूर्ति एवं 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
- इन प्रोत्साहनों के माध्यम से ईवी (ईलेक्ट्रिक व्हिकल) पार्क स्थापित करने की योजना है। पार्क को 300 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाना है।

पृष्ठभूमि –

- पिछले साल, तमिलनाडु ने एक व्यापक ईवी नीति की घोषणा की, जो आपूर्ति पक्ष एवं मांग पक्ष दोनों के लिए प्रोत्साहन एवं सब्सिडी देती है।
- नीति में ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलपर्स के प्रोत्साहन के साथ ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया गया है एवं अन्य लोगों के बीच बैटरी एवं सेल निर्माण, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ईवी पावरट्रेन, बैटरी प्रबंधन सहित घटकों को टैप करने के लिए है।

भारतीय तटरक्षक जहाज सी–452

समाचार –

- लार्सन एंड टुब्रो द्वारा डिजाइन एवं निर्मित ICGS C–452 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है।

विवरण –

- मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में स्वदेशी रूप से जहाज का निर्माण किया गया था।
- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने गोवा में ICGS Sachet एवं दो अन्य इंटरसेप्टर नौकाओं का नाम C–451 एवं C–450 रखा था।
- आईसीजीएस टिप, पांच अपतटीय गश्ती जहाजों (ओपीवी) की श्रृंखला में पहली बार गोवा द्वारा स्वदेशी डिजाइन एवं निर्मित किया गया है।
- शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) एवं अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित है।

आईसीजी के वेसल्स –

- वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल की सेवा करने वाले जहाजों में समुद्र क्लास, समर्थ क्लास, विक्रम क्लास, विश्वस्त क्लास, संकल्प क्लास एवं समर क्लास हैं।

मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)

समाचार –

- भारत एवं यूके ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी एवं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह समझौता ज्ञापन केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) एवं यूनाइटेड किंगडम के मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (यूकेएमएचआरए) के बीच उनकी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के साथ सूचना का आदान–प्रदान करने में मदद करेगा।
- दो नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं –
- फार्माको–सतर्कता सहित सुरक्षा सूचनाओं का आदान–प्रदान, जहाँ दूसरी पार्टी से संबंधित एक विशेष सुरक्षा चिंता है। इसमें दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं।
- भारत एवं यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, सेमिनारों एवं मंचों में भागीदारी।

- गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज (जीएलपी), गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेज (जीसीपी), गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी), गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेज (जीडीपी) एवं गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेज (जीपीवीपी) पर सूचना एवं सहयोग का आदान–प्रदान एवं परस्पर सहमत क्षेत्रों में क्षमता निर्माण।
- एक दूसरे के नियामक ढांचे, आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं एवं सुविधा के लिए पक्षों के बीच एक समझ को बढ़ावा देना।
- दोनों पक्षों के लिए भविष्य के नियामक को मजबूत करने की पहल।
- दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के संबंध में कानूनों एवं विनियमों के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान।
- बिना लाइसेंस के निर्यात एवं आयात को नियंत्रित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए सूचना का आदान–प्रदान।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

समाचार –

- भारत एवं इजराइल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं –
  – चिकित्सा डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान–प्रदान एवं प्रशिक्षण।
  – मानव संसाधनों के विकास एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना में सहायता।
  – दवा, चिकित्सा उपकरणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के नियमन के बारे में सूचनाओं का आदान–प्रदान।
- जलवायु जोखिम एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के खिलाफ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भेद्यता मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञता साझा करना।
- जलवायु परिवर्तनकारी बुनियादी ढाँचे की सुविधा के लिए विशेषज्ञता के साथ–साथ 'ग्रीन हेल्थकेयर' के विकास के लिए सहायता प्रदान करना (जलवायु तन्य अस्पताल)।
- विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में आपसी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- सहयोग के किसी भी अन्य क्षेत्र के रूप में पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जा सकता है।

दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

समाचार –

- भारत एवं यूनाइटेड किंगडम ने दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग एवं आपसी समझ को मजबूत करने में योगदान देगा।

सहयोग के लिए रुचि के क्षेत्र –

- दूरसंचार/आईसीटी नीति एवं विनियमन
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन – मोबाइल रोमिंग सहित दूरसंचार कनेक्टिविटी
- दूरसंचार/आईसीटी तकनीकी मानकीकरण एवं परीक्षण एवं प्रमाणन

बेतार संचार –

- 5 जी सहित दूरसंचार/आईसीटी में तकनीकी विकास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स/मशीन टू मशीन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा आदि।
- दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा, दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान एवं उपयोग में सुरक्षा
- उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निर्माण क्षमता एवं जहां भी संभव हो, विशेषज्ञता का आदान–प्रदान
- उभरती प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार पर अनुसंधान एवं विकास पर जानकारी का सहयोग एवं उसे जहाँ उपयुक्त हो साझा करना।
- दूरसंचार/आईसीटी पर हस्ताक्षरकर्ता देशों एवं तीसरे देशों में संयुक्त कार्य के लिए अवसरों की खोज।
- व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों को सुगम बनाना।
- दूरसंचार/आईसीटी उद्योग प्रतिनिधिमंडल एवं यात्राओं, घटनाओं, प्रदर्शनियों आदि के रूप में पारस्परिक रूप से सहयोग।
- ज्ञापन के दायरे में आने वाले पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत हुए दूरसंचार/आईसीटी सहयोग के अन्य रूप।

खगोल विज्ञान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

समाचार –

- खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), बेंगलुरु एवं Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) एवं GRANTECAN S. A. (GTC), स्पेन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ –
  I. नए वैज्ञानिक परिणाम
  II. नयी तकनीकें
- III. अधिक वैज्ञानिक वार्ताओं एवं प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण
- IV. संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं आदि।
- V. खंडित दूरबीन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ–साथ रोबोटिक दूरबीनों का विकास एवं भविष्य के संभावित विशिष्ट सहयोग।
- कार्यक्रम के तहत सभी वैज्ञानिकों को संयुक्त अनुसंधान प्रशिक्षण, परियोजनाएं, कार्यक्रम, सेमिनार एवं सम्मेलन खोले जाने हैं।

भारत–स्पेन

- स्पेन भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- 2017–18 में देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.66 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस वर्ष के दौरान, स्पेन को भारत का निर्यात 16.65% बढ़ा।
- स्पेन के शीर्ष निर्यात लोहा, कपड़ा, इस्पात, समुद्री भोजन, कार्बनिक रसायन, चमड़ा एवं ऑटोमोबाइल हैं।
- स्पेन भारत का पंद्रहवाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
- स्पेन में भारतीय निवेश 900 मिलियन अमरीकी डालर है।

नौसेना अभ्यास कराट

समाचार –

- बांग्लादेश एवं अमेरिकी नौसेनाओं ने रिश्तों का विस्तार करने एवं दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए 'कॉओपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग (CARAT) बांग्लादेश 2020' का शुभारंभ किया। कराट 2020 यूएस एवं बांग्लादेश की साझा दृष्टि को मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के लिए रेखांकित करता है।

झलकियाँ –

- इस क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करने एवं स्वतंत्र एवं खुले भारत–प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश सेना के साथ काम करने के लिए अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- अमेरिकी नौसेना बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक स्वतंत्र एवं खुले आम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखती है।
- कराट अभ्यास में लोगों के मध्य वार्ता एवं कई तरह के पेशेवर आदान–प्रदान शामिल हैं।
- अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाजों के साथ होगा।
- घटनाओं को दो नौसेनाओं के बीच समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- अमेरिका एवं बांग्लादेश अन्य गतिविधियों के बीच सामरिक युद्धाभ्यास को शामिल करने के लिए, सतह के जहाजों की समन्वित तैनाती के माध्यम से काम करेंगे।

पिनाका रॉकेट सिस्टम –

समाचार –

- DRDO द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल उड़ान के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- पिनाका रॉकेट का एक उन्नत संस्करण मौजूदा पिनाका एमके–I रॉकेटों की जगह लेगा जो वर्तमान में उत्पादन में हैं।

पिनाका रॉकेट सिस्टम –

- पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम (MBRS) में शामिल हैं –
  – विभिन्न प्रकार के वॉरहेड एवं फ्यूज के साथ 38 किमी की अधिकतम सीमा वाले एक फ्री–फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट।
  – एक मल्टी–ट्यूब लांचर वाहन
  – एक पुनःपूर्ति–सह–लोडर वाहन
  – एक पुनःपूर्ति वाहन एवं एक कमांड पोस्ट वाहन।
- 6 रॉकेट युक्त दो पॉड्स हैं, जो 48 सेकंड के भीतर सेल्वो मोड में फायरिंग करने में सक्षम हैं। वर्धित रेंज वाले मुफ्त उड़ान रॉकेट के लिए सेना की आवश्यकता के मद्देनजर, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ARDE) ने 60% रेंज के साथ पिनाका एमके–II रॉकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
- विकास कम लंबाई के साथ पहले के डिजाइन की तुलना में लंबी दूरी के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए किया गया था।
- डीआरडीओ, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) एवं उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) की पुणे स्थित प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- परीक्षण किए गए रॉकेटों का निर्माण मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा किया गया है, जिन्हें तकनीक हस्तांतरित कर दी गई है।
- सभी उड़ान लेखों को टेलीमेट्री, रडार एवं इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ट्रैक किया गया था, जिसने उड़ान प्रदर्शन की पुष्टि की।

पृष्ठभूमि –

- DRDO ने 1980 के दशक के अंत में मल्टी–बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास शुरू किया। यह रूसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक वैकल्पिक विकल्प है जिसे 'ग्रैड' कहा जाता है। पिनाका पहली बार कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था।

युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को सालाना मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।
- दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। दिसंबर 2015 के बाद से यह दिन प्रतिवर्ष लगातार मनाया जा रहा है। निचले इलाकों एवं द्वीपों में रहने वाली 700 मिलियन आबादी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिवस है।
- विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2020, आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए राष्ट्रीय एवं सामुदायिक–स्तर, स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- इस वर्ष का विषय 'सेंदाई सात अभियान' लक्ष्य को बढ़ावा देता है।
- वर्ष 2030 तक, दुनिया की अनुमानित 50% आबादी तटीय क्षेत्रों में निवास कर रही होगी।
- इन क्षेत्रों में बाढ़, तूफान एवं सुनामी आने के खतरे होते हैं।

ब्रांडेड रॉयल तितली

समाचार –

- ब्रांडेड रॉयल, भारत में शायद ही कभी देखी गई है, 130 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद नीलगिरी के जंगलों में देखी है। यह 1888 में ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट द्वारा अंतिम बार की गई थी।
- देश भर में इस वर्ष देखी जाने वाली तितलियों की अन्य दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हैं –
  – ब्लू मॉर्मन, एक काले रंग की मखमली तितली, जो पश्चिमी घाट की एक प्रजाति है, पटना में दिखाई दी है।
  – स्पॉटेड एंगल तितली, छत्तीसगढ़ के आरक्षित जंगलों में देखी गई है।

- लिलिअक सिल्वरलाइन, एक संरक्षित प्रजाति, जिसकी एकमात्र ज्ञात प्रजनन आबादी बेंगलुरु में है, पहली बार राजस्थान के अरावली रेंज में देखी गई थी।
- कॉमन बर्डविंग, कॉमन जस्टर, पेंटेड ईजेबेल एवं वैग्रेंट जैसी प्रजातियों ने पूर्वी घाटों में तेलंगाना में उपस्थिति दर्ज कराई है।

भारत एवं इटली के बीच समझौता ज्ञापन

समाचार –

- भारत एवं इटली ने एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- हस्ताक्षर किए गए समझौते ऊर्जा, हरित ऊर्जा, जहाज निर्माण एवं मीडिया क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रदान करेंगे। चर्चा का पूरा फोकस आर्थिक संबंधों पर था।

विवरण –

- शिखर सम्मेलन ने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। दोनों नेताओं ने कोविड–19 महामारी सहित आम वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, अंतरिक्ष एवं रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
- शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द प्रवास एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते के समापन पर भी मिलकर काम करने का फैसला किया।
- क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, दोनों पक्ष विशेष रूप से जी–20 में बहुपक्षीय मंचों पर निकट समन्वय के लिए सहमत हुए।
- इटली 2022 में भारत के बाद दिसंबर 2021 में जी–20 के राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा।
- साथ में, भारत एवं इटली इस साल दिसंबर से G20 त्रयी का हिस्सा होंगे।
- भारत ने अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी होते ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के इटली के फैसले का स्वागत किया।

मेट्रो नियो

समाचार –

- केंद्र मेट्रो नियो के लिए राष्ट्रीय मानक विनिर्देशों को मंजूरी देने की योजना बना रहा है। मेट्रो नियो टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में लक्षित नो–फ्रिल्स, कम लागत वाली शहरी रेल पारगमन प्रणाली है।

मेट्रो नियो के बारे में –

- मेट्रो नियो कम लागत, ऊर्जा–कुशल एवं पारिस्थितिक रूप से शहरी परिवहन समाधान प्रदान करने वाला एक द्रुत तीव्र पारगमन प्रणाली है।
- ओवरहेड तारों से ट्रैक्शन पावर खींचकर मेट्रो नियो ट्रैक पर नहीं बल्कि सड़क पर चलेगा।
- 200 से 300 यात्रियों की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक बस डिब्बों की लंबाई 25×18 मीटर होगी।
- बसों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ यात्री सूचना प्रणाली के साथ ऑटोमैटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम, लेवल बोर्डिंग एवं पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ वातानुकूलित किया जाएगा। मेट्रो नियो पटरियों पर नहीं बल्कि रबर टायर पर चलेगा।
- ये सड़कों, पर्यावरण एवं पर्यावरण के अनुकूल डीजल बसों की तुलना में आरामदायक, तेज, ऊर्जा–कुशल एवं कम शोर वाली हैं।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS–01

समाचार –

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा भारत के नवीनतम ऑल–वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS–01 का उपयोग किया जाना है।

वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV-C49A

- रॉकेट द्वारा नौ अन्य ग्राहक उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। चार प्रत्येक संयुक्त राज्य अमेरिका एवं लक्जमबर्ग से हैं, जबकि एक अन्य लिथुआनिया से है।
- इसे चेन्नई के करीब दक्षिणी आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं –

- इसरो ने वित्त वर्ष 2020–21 में 20 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिसमें आदित्य एल 1 जैसे उच्च प्रोफाइल मिशन, सूर्य का पहला खोज मिशन एवं मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान, भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान के अग्रदूत थे।

EOS–01 का विवरण –

- EOS–01 कुछ ओर नहीं बल्कि एक अन्य रडार इमेजिंग सैटेलाइट (RISAT) है जो पिछले साल लॉन्च किए गए RISAT–2B एवं RISAT–2BR1 के साथ मिलकर काम करेगा।
- EOS–01 को शुरू में RISAT–2BR2 नाम दिया गया था एवं इसे उच्च रिजॉल्यूशन वाली छवियों के लिए ऑल–वेदर राउंड–द–क्लॉक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से तीन अंतरिक्ष यान तारामंडल का तीसरा माना जाता था।

- EOS–01, ISRO अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए एक नए नामकरण प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जो अब तक उनके उद्देश्य के नाम से नामित किए जाते थे।
- उदाहरण के लिए, उपग्रहों की कार्टोसैट श्रृंखला भूमि स्थलाकृति एवं मानचित्रण के लिए डेटा प्रदान करने के लिए थी, जबकि ओशनसैट उपग्रह अवलोकन के लिए थे। कुछ इन्सैट–सीरीज, रिसोर्स एट सीरीज, जीआईएसएटी, स्कैटसैट, एवं कुछ एवं सभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं, जिन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए अलग–अलग नाम दिए गए हैं जिन्हें वे करने के लिए असाइन किए गए हैं, या वे अलग–अलग उपकरण जो वे अपने काम करने के लिए उपयोग करते हैं।
- भूमि एवं वन मानचित्रण एवं निगरानी, संसाधनों का मानचित्रण जैसे पानी या खनिज या मछलियां, मौसम एवं जलवायु अवलोकन, मिट्टी का आकलन, भू–स्थान समोच्च मानचित्रण सभी पृथ्वी–अवलोकन उपग्रहों के माध्यम से किए जाते हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

समाचार –

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि 42 कैंसर रोधी दवाओं ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के बाद मूल्य में 90 प्रतिशत तक की कमी दिखाई है।
- फरवरी 2019 में एनपीपीए के मूल्य युक्तिकरण की शुरुआत हुई।

विवरण –

- एनपीपीए ने पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को एवं अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में 42 एंटी–कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन तर्कसंगतकरण पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था।
- ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (AIDAN) ने जनहित में व्यापार मार्जिन को कम करके कैंसर विरोधी दवाओं की बिक्री में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए NPPA द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है।
- आज भी, भारत सहित दुनिया भर में पुरानी एवं गैर–संचारी बीमारियों (एनसीडी) के कारण वयस्क बीमारी एवं मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कैंसर वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है एवं 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले थे, जिनमें से अकेले भारत में 1.5 मिलियन थे।
- 2018 में, विश्वभर में 9.58 के मुकाबले भारत में लगभग 0.8 मिलियन मौतें कैंसर से हुईं है।
- 2040 तक भारत में नए मामलों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान है।
- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिला स्तर की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
- आयुष्मान भारत के दायरे में, भयावह अस्पताल के एपिसोड से उत्पन्न होने वाले गरीब एवं कमजोर समूहों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM–JAY) को लागू किया जा रहा है।
- एनपीपीए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 के अनुसार सभी ड्रग्स की कीमतों को नियंत्रित करता है।
- यह राष्ट्रीय दवाओं की आवश्यक सूची (एनएलईएम) में निर्दिष्ट दवाओं की सूची के अनुसार निर्धारित योगों की सीमा मूल्य तय करता है जो 2013 में ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) की पहली अनुसूची में शामिल हैं।

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

समाचार –

- कैंसर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

विवरण –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो लोगों में मृत्यु का कारण बनती है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की। उन्होंने कैंसर नियंत्रण पर राज्य–स्तरीय आंदोलन शुरू किया एवं लोगों को मुफ्त स्क्रीनिंग के लिए नगरपालिका क्लीनिकों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया।

रो–पैक्स सेवा

समाचार –

- प्रधान मंत्री ने हजीरा में रो–पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया तथा गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो–पैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाई। रो–पैक्स सेवा, पूर्वी तटवर्ती विकास के तहत एक जल परिवहन सेवा परियोजना है।

लाभ –

- हजीरा–घोघा रो–पैक्स नौका सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी। यह घोघा और हजीरा के बीच की दूरी को 370 किलोमीटर से घटाकर 90 किलोमीटर कर देगी।
- कम कार्गो यात्रा समय के परिणामस्वरूप प्रति दिन लगभग 9000 लीटर ईंधन की भारी बचत होगी और CO_2 के उत्सर्जन में लगभग प्रति दिन 24 मिलियन टन कमी आएगी।
- इससे सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यटन उद्योग बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
- फेरी सेवाओं की शुरुआत के साथ, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बंदरगाह क्षेत्र, फर्नीचर और उर्वरक उद्योग को एक बड़ा लाभ मिलेगा।
- गुजरात में विशेष रूप से पोरबंदर, सोमनाथ, द्वारका और पालिताना में पर्यावरण–पर्यटन और धार्मिक–पर्यटन तेजी से आएगी।
- इस फेरी सेवा के माध्यम से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी का लाभ गिर में एशियाई शेरों के प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की आमद से भी होगा।

सिचुआन–तिब्बत रेलवे

समाचार –

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब तिब्बत के लिंजि में देश के दक्षिण–पश्चिम सिचुआन प्रांत को जोड़ने वाली नई रेलवे परियोजना के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- सिचुआन–तिब्बत रेलवे किंघाई–तिब्बत रेलवे परियोजना के बाद तिब्बत में दूसरी रेलवे लाइन होगी।

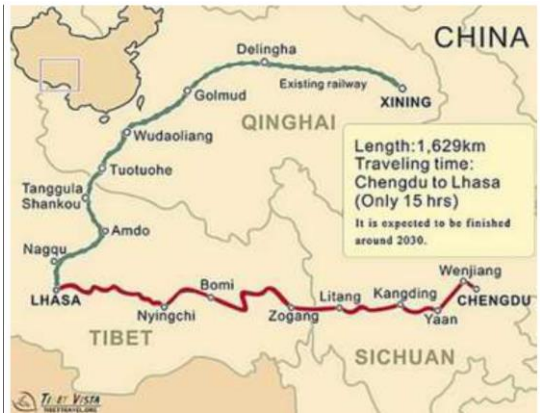

विवरण –

- यह किंघई–तिब्बत पठार के दक्षिण–पूर्व में जाएगा, जो दुनिया के सबसे भूगर्भीय क्षेत्रों में से एक है।
- सिचुआन–तिब्बत रेलवे सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंग्दू से शुरू होती है और यन से होते हुए, चेंग्दू से ल्हासा तक की यात्रा को 48 घंटे से कम करके 13 घंटे करते हुए, केमडो के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश करती है।
- लिनझी, जिसे निंगची के नाम से भी जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा के करीब स्थित है।
- भारत एवं चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, दोनों देशों के बीच की वास्तविक सीमा है, को लेकर विवाद है। चीन, दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश का दावा है जिसे भारत द्वारा मजबूती से खारिज कर दिया गया है।
- लिनझी में एक हवाई अड्डा भी है जो हिमालय क्षेत्र में चीन द्वारा निर्मित पांच हवाई अड्डों में से एक है।
- सिचुआन–तिब्बत रेलवे तिब्बत क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति देगा और बढ़ाएगा। यह सीमा स्थिरता की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अमेरिकी चुनाव परिणाम 2020

समाचार –

- जो बिडेन 46 वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस उनकी उपाध्यक्ष बनेंगी।
- इसके बाद नए राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह के बाद अगले वर्ष 20 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करेंगे।

पोर्ट, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय

समाचार –

- 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल कर पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया।

विवरण –

- जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलने का निर्णय बंदरगाहों को पुनर्जीवित करने एवं विश्व स्तरीय अंतर्देशीय जल परिवहन बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
- शिपिंग मंत्रालय अपने तह शिपिंग एवं पोर्ट सेक्टरों के भीतर आता है, जिसमें शिपबिल्डिंग, शिप–रिपेयर, मेजर पोर्ट्स, नेशनल वाटरवे एवं अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल हैं।
- विदेशी व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके बर्थ एवं कार्गो हैंडलिंग उपकरण के संदर्भ में बंदरगाहों की क्षमता में काफी सुधार किया जाना चाहिए।
- नौवहन उद्योग को स्वदेशी क्षेत्रों में समुद्र–जनित व्यापार के उच्च शेयरों में ले जाने में सक्षम होना चाहिए।

महात्मा गांधी पर एंथोलॉजी

समाचार –

- नेपाल के राष्ट्रपति ने काठमांडू में एक समारोह के दौरान महात्मा गांधी– 'गांधी के बारे में मेरी समझ (माय अंडरस्टैंडिंग अबाऊट गाँधी' पर एक विशेष संकलन जारी किया है।
- एक एंथोलॉजी को एक ऐसी पुस्तक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें समान रूप से या समान विषय के बारे में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे लेखों का एक बड़ा संग्रह होता है।
- भारतीय दूतावास द्वारा नेपाली साथियों के साथ महात्मा की सार्वभौमिक शिक्षाओं के मूल्यों को संजोने के लिए पुस्तक को लाया गया है।
- नेपाली में सचित्र एंथोलॉजी महात्मा गांधी की 151 वीं जयंती मनाने के लिए एवं '150 साल के महात्मा' के दो साल लंबे समारोह की परिणति को चिह्नित करने के लिए जारी की गई है।

विश्व विज्ञान दिवस शांति एवं विकास के लिए

समाचार –

- शांति एवं विकास के लिए प्रतिवर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ताकि नागरिकों को विज्ञान के विकास के बारे में अच्छी तरह से बताया जा सकने का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
- इस वर्ष इसे – कोविड–19 से निपटने के लिए विज्ञान एवं समाज के साथ, विषय के तहत मनाया गया।
- यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को संलग्न करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

दिन का उद्देश्य –

- शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाजों के लिए विज्ञान की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करना।
- देशों के बीच साझा विज्ञान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना।
- समाजों के लाभ के लिए विज्ञान के उपयोग के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का नवीकरण।
- वैज्ञानिक प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने में विज्ञान द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर ध्यानाकर्षण।

डोबरा–चांठी सस्पेंशन पुल

समाचार –

- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने टिहरी–गढ़वाल जिले में डोबरा–चांठी सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया।
- यह भारत का सबसे लंबा मोटरेबल (725 मीटर) सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है।
- यह पुल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए समृद्धि का स्रोत बनेगा।
- यह राज्य के आर्थिक विकास एवं पर्यटन उद्योग में भी मदद करेगा।
- डोबरा–चांठी पुल एवं टिहरी झील आने वाले वर्षों में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा।

एंटी–सैटेलाइट मिसाइल –

समाचार –

- भवन परिसर के अंदर स्थापित एंटी–सैटेलाइट मिसाइल के एक मॉडल का अनावरण किया गया।
- 'मिशन शक्ति' देश का पहला एंटी–सैटेलाइट (A–SAT) मिशन था, जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा कर रहे एक भारतीय उपग्रह को सटीकता के साथ बेअसर किया गया।
- यह एक अत्यधिक जटिल मिशन था, जो उल्लेखनीय परिशुद्धता के साथ अत्यंत उच्च गति पर संचालित किया गया।
- मिशन शक्ति के सफल आयोजन ने बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता वाला भारत को दुनिया का चौथा राष्ट्र बनाया।

फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन प्रणाली –

- इससे पहले दिन में, रक्षा मंत्री ने यात्री बसों के लिए अग्नि जांच एवं दमन प्रणाली (FDSS) के प्रदर्शन को भी देखा।
- इंजन में आग लगने पर पैसेंजर कम्पार्टमेंट के लिए वाटर मिस्ट बेस्ड FDSS एवं एयरोसोल बेस्ड FDSS पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिए गए।
- डीआरडीओ के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस) ने तकनीक विकसित की है, जो 30 सेकंड से भी कम समय में यात्री डिब्बे में आग का पता लगा सकती है एवं फिर इसे 60 सेकंड में दबा देती है, जिससे जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

मिंक –

समाचार –

- डेनमार्क, जिसने अब तक कोविड–19 के 55,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, ने SARS–CoV–2 वेरिएंट से संक्रमित 200 से अधिक मानव मामलों को भी दर्ज किया है जो कि फर्म्ड मिंक से जुड़े हैं।
- डेनमार्क के पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी द्वारा मिंक में कोरोनोवायरस के उत्परिवर्तित संस्करण की खोज के बाद, सरकार ने देश के पशु की 17 मिलियन से अधिक आबादी को बाकि देश से अलग–थलग करने का फैसला किया।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, छह देशों, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, इटली एवं अमेरिका ने फर्म्ड मिंक में SARS–CoV–2 की सूचना दी है।

यह स्ट्रैन कैसे पैदा हुआ?

- डेनमार्क ने जून 2020 से मिंक खेतों पर SARS–CoV–2 के व्यापक प्रसार का अनुभव किया है, जिसके बाद जानवरों के बीच वायरस संचरण एवं मनुष्यों के लिए एक 'फैल–बैक' था।
- डेनमार्क 15–17 मिलियन मजबूत मिंक आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मिंक निर्माता है। देश की मिंक आबादी लगभग 3 बिलियन क्रोनर है।
- मिंक न केवल SARS–CoV–2 के लिए एक जलाशय के रूप में काम कर सकता है, बल्कि इसे मनुष्यों तक फैलाने में भी सक्षम है।

मिंक –

- मिंक गहरे रंग के, अर्ध–जलीय, मांसाहारी जीवों में सामान्य नवजात शिशु एवं मस्टेला एवं परिवार मस्टेलिडे का हिस्सा होते हैं, जिसमें वेसल्स, ऊटर एवं फेरेट्स भी शामिल हैं।
- मिंक के रूप में संदर्भित दो प्रचलित प्रजातियां हैं – अमेरिकी मिंक एवं यूरोपीय मिंक।
- यूरोपीय मिंक को आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ताकि संख्या में निरंतर कमी हो।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस/राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

समाचार –

- भारत प्रतिवर्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है।
- अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।

इतिहास –

- 11 सितंबर, 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के महान पुत्र का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया।
- भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करके भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर मौलाना अब्दुल आजाद द्वारा स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में किए गए सभी महान योगदानों को श्रद्धांजलि देता है।

Tata MD CHECK

समाचार –

- टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के कोविड–19 के नए नैदानिक परीक्षण 'TataMD CHECK' को CSIR–IGIB (CSIR–Institute of Genomics and Integrative Biology) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।
- इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं यह इसीके माध्यम से शीघ्र ही पूरे भारत में नैदानिक केंद्र एवं अस्पताल पर उपलब्ध होगा। ।

मुख्य विचार –

- यह दुनिया का पहला CRISPR CaS–9 आधारित नैदानिक उपकरण है एवं FELUDA द्वारा संचालित है।
- CRISPR Cas–9 COVID–19 परीक्षण के लिए CSIR–IGIB द्वारा भारत में विकसित एक तकनीक है।
- TataMD, Tata Group का स्वास्थ्य सेवा उपक्रम है।
- TataMD CHECK एक पेपर स्ट्रिप–आधारित परीक्षण है जिसमें छवि–आधारित दृश्य परिणाम रीडआउट है। इसके लिए मानक प्रयोगशाला उपकरण आवश्यक हैं।
- छोटे बैचों का परीक्षण किया जा सकता है।
- इसकी प्रयोगशाला में तेजी से प्रतिक्रिया का समय 45–50 मिनट है एवं प्रयोगशाला में आरएनए–निकाले गए नमूनों से परीक्षण का कुल समय केवल 75 मिनट है।
- यह परीक्षण उच्च गुणवत्ता एवं त्वरित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होगा एवं उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षण की सरलता के कारण इसे सुदूर क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- सेंसर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परिणाम उपकरण का उपयोग करके नियमित गुणवत्ता नियंत्रण से नमूने की ट्रैसेबिलिटी, परीक्षण के साक्ष्य एवं क्लाउड स्पेवेंज पर कहीं भी सुलभ होने वाले परीक्षण परिणामों में मदद मिलेगी।
- परीक्षण किट का निर्माण चेन्नई, तमिलनाडु में एक गुणवत्ता–नियंत्रित उत्पादन सुविधा में किया जाएगा। वर्तमान में, उत्पादन संयंत्र में एक महीने में 1 मिलियन किट का उत्पादन करने की क्षमता है।

फेलुदा –

- FELUDA या FNCAS9 Editor–Limited यूनिफॉर्म डिटेक्शन परख SARS–CoV–2 वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित, अत्याधुनिक CRISPR तकनीक (जीन–एडिटिंग टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल करती है।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड (NCMC)

समाचार –

- कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने एक नया स्वदेशी RuPay 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट (PuPay NCMC) कार्ड' लॉन्च किया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय, संपर्क–रहित डेबिट सह प्रीपेड एवं इंटर–ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है।
- इससे बैंकिंग प्रतिमान को काफी हद तक बदलने की उम्मीद है, खासकर 'टैप एंड गो' तथा 'ऑफलाइन वॉलेट' भुगतानों की अपनी अनूठी विशेषताओं द्वारा खुदरा भुगतानों में।

कार्ड की मुख्य विशेषताएं –

- टैप एंड गो (संपर्क–रहित) – PoS टर्मिनलों पर कार्ड को डुबोए / डाले बिना भुगतान करें।
- टोल प्लाजा, मेट्रो पारगमन, पार्किंग स्थल, खुदरा दुकानों, स्मार्ट शहरों आदि पर प्रभाव भुगतान।
- वॉलेट– डेबिट कार्ड की चिप में संग्रहीत मूल्य के माध्यम से छोटे टिकट आकार के ऑफलाइन भुगतान का समर्थन करता है।
- एटीएम, PoS एवं ई–कॉमर्स के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सक्षम बनाता है।

स्कॉर्पीयन–क्लास पनडुब्बी आईएनएस वज़ीर

समाचार –

- भारतीय नौसेना को अपनी पांचवीं स्कॉपीयन श्रेणी पनडुब्बी 'आईएनएस वजीर' प्राप्त हुई जिसे अरब सागर में मुंबई के मझगाँव डॉक पर तैनात किया जाएगा।

विवरण –

- स्कॉर्पीयन श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली, INS कलावरी को 2015 में लॉन्च किया गया था एवं 2017 के अंत में सेवा में लगाया गया था।
- पनडुब्बी का निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDSL) द्वारा किया गया था।
- MDSL प्रोजेक्ट 75 (P75) के तहत पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर फ्रांसीसी सहयोगी नौसेना समूह के साथ काम कर रहा था।

स्कॉर्पीयन–क्लास पनडुब्बियों के बारे में –

- पनडुब्बियों का स्कॉर्पीयन वर्ग आमतौर पर किसी भी आधुनिक पनडुब्बी द्वारा किए जाने वाले बहुपक्षीय कार्यों को अंजाम दे सकता है जिसमें सतह के साथ–साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध भी शामिल है।
- पनडुब्बियों के इस वर्ग को लंबी अवधि के लिए जलमग्न रहने एवं ऑपरेशन जैसे कि खुफिया जानकारी जुटाने एवं शत्रुता के दौरान विशेष अभियानों में भाग लेने के लिए डिजाइन किया गया है। चिली, मलेशिया एवं ब्राजील अन्य देश हैं जो ये पनडुब्बियां हैं।

- स्कॉर्पीयन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों से ध्वनिक सिलिंग तकनीक, कम विकिरणित शोर स्तर, हाइड्रो–डायनामिक रूप से अनुकूलित आकार तथ्रर सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करते हुए दुश्मन पर हमला करने की क्षमता जैसे बेहतर फीचर्स सुनिश्चित किए गए हैं।
- MDSL ने आज तक, लिएंडर एवं गोदावरी श्रेणी के फ्रिगेट, खुखरी क्लास कॉरवेट, मिसाइल बोट, दिल्ली एवं कोलकाता के क्लास डेस्ट्रॉयर, शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स, एसएसबी पनडुब्बियों, विशाखापत्तनम वर्ग डेस्ट्रॉयर एवं पी–17 ए क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया है एवं यह अपनी पी–15 बी, के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देता है।

स्पुतनिक V

समाचार –

- रूस के स्पुतनिक V वैक्सीन 92% परिणामों के साथ ने 'उच्च प्रभावकारिता' का प्रदर्शन किया है।
- परीक्षण भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां मनुष्यों पर टीके का परीक्षण मध्य–विलंबित–अवस्था में है।

विवरण –

- रूसी संप्रभु धन कोष ने भारत में वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए डॉ. रेड्डी लेबोरेटरी के साथ भागीदारी की है।
- पहले इंजेक्शन के 21 दिन बाद टीका या प्लेसिबो प्राप्त करने वाले 16,000 से अधिक स्वयंसेवकों के बीच परीक्षणों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया।
- स्पुतनिक V वैक्सीन–लिक्विड के दो रूप हैं, जिन्हें माइनस 18°C एवं लाइगोफिलाइज्ड (फ्रीज ड्राय) में संग्रहित करना होगा, जिसे 2°C से 8°C पर संग्रहीत किया जा सकता है।
- लियोफिलिज किए गए फॉर्म को विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों पर वैक्सीन के परिवहन के लिए विकसित किया गया था।

स्पुतनिक V

- स्पुतनिक V एक मानव एडेनोवायरस वैक्सीन है जो कोविड–19 स्पाइक प्रोटीन (एसएआरएस–सीओवी–2 वायरस की स्पाइकी बाहरी परत) के निर्माण के लिए मानव शरीर में कोशिकाओं के लिए कोड ले जाने के लिए दो कमजोर एवं आनुवांशिक रूप से संशोधित सामान्य सर्दी वायरस का उपयोग करता है।)।
- शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इस स्पाइक प्रोटीन को खतरे के रूप में पहचानने एवं इस पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करने की उम्मीद होती है, इसलिए जब हमला करने की कोशिश की जाती है तो असली कोविड–19 वायरस नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।

क्षुद्रग्रह 'एपोफिस'

समाचार –

- खगोलविदों के अनुसार, 'पे एपोफिस' नाम का एक क्षुद्रग्रह 2068 में यार्कोवस्की प्रभाव नामक एक घटना के कारण पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर सकता है।
- 2004 में खोजा गया, क्षुद्रग्रह एपोफिस 1,120–फुट चौड़ा (340–मीटर चौड़ा) क्षुद्रग्रह है, जो आकार में साढ़े तीन फुटबाल के मैदान के बराबर है।

विवरण –

- यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी (आईएफए) के शोधकर्ताओं ने निकट–पृथ्वी क्षुद्रग्रह एपोफिस पर यार्कोवस्की त्वरण का पता लगाने की घोषणा की है। यह त्वरण गैर–समान थर्मल विकिरण के कारण किसी वस्तु पर एक अत्यंत कमजोर बल से उत्पन्न होता है।
- यह बल क्षुद्रग्रह एपोफिस के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2068 में पृथ्वी के प्रभाव की संभावना को प्रभावित करता है।
- सभी क्षुद्रग्रहों को ऊष्मा संतुलन से बनाए रखने के लिए सूर्य की रोशनी से अवशोषित होने वाली ऊर्जा को गर्म करने की आवश्यकता होती है, जो क्षुद्रग्रह की कक्षा को थोड़ा बदल देती है।

यार्कोवस्की प्रभाव –

- यार्कोवस्की प्रभाव का नाम उन्नीसवीं सदी के रूसी इंजीनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इस विचार का प्रस्ताव दिया था कि एक छोटी चट्टानी अंतरिक्ष वस्तु, जब लंबे समय तक, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है,एवं फिर गर्मी के रूप में उस ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो अपनी कक्षा में थोड़ा सा मुड़ जाता है।
- यार्कोवस्की प्रभाव एक बल है जो अंतरिक्ष में एक घूमने वाले पिंड पर कार्य करता है, जो थर्मल फोटोन के एनिसोट्रोपिक उत्सर्जन के कारण होता है, जो गति प्रदान करता है। ऐसा आमतौर पर उल्कापिंड या छोटे पिंडों/क्षुद्रग्रहों (लगभग 10 सेमी से 10 किमी व्यास), के संबंध में माना जाता है।

तंत्र –

- यार्कोवस्की प्रभाव इस तथ्य का परिणाम है कि विकिरण द्वारा गर्म की गई वस्तु के तापमान में परिवर्तन (एवं इसलिए वस्तु से थर्मल विकिरण की तीव्रता) आने वाले विकिरण में परिवर्तन से धीमी होती है। अर्थात वस्तु की सतह प्रदीप्त होने पर गर्म होने में समय लेती है एवं जब रोशनी समाप्त हो जाती है तो ठंडा होने में भी समय लेती है।
- सामान्य तौर पर प्रभाव के दो घटक होते हैं – पूर्ण (डार्योनल) प्रभाव एवं मौसमी (सीज़नल) प्रभाव।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति की 'चेयर ऑफ एक्सीलेंस'

समाचार –

- राष्ट्रपति ने नेशनल डिफेंस कॉलेज (NDC) में 'राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति की चेयर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को मंजूरी दी।
- दुनिया भर के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 'चेयर ऑफ एक्सीलेंस' एवं प्रोफेसरों के लिए बौद्धिक एवं अकादमिक कैलिबर के समान पद हैं।

विवरण –

- राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति की उत्कृष्टता का केंद्र कॉलेज की बौद्धिक राजधानी को बढ़ाने में मदद करेगा एवं साथ ही इसकी विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी मदद करेगा।
- एनडीसी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के भीतर रणनीतिक शिक्षा का एकमात्र संस्थान है, लेकिन यह 'महत्वपूर्ण निवासी शैक्षणिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञता' से परे है।
- यह चेयर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली में स्थित होगी एवं इसे सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी।

लोक सेवा प्रसारण दिवस

समाचार –

- 1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में महात्मा गांधी की पहली एवं अंतिम यात्रा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है।
- लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है।
- अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन की अपनी यात्रा के दौरान, गांधी ने उन लोगों को संबोधित किया जो हरियाणा के विभाजन के बाद विस्थापित हो गए थे एवं अस्थायी रूप से कुरुक्षेत्र में बस गए थे।

ऑल इंडिया रेडियो –

- ऑल इंडिया रेडियो वर्ष 1936 में स्थापित देश का एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसारक है।
- यह प्रसारण एजेंसी प्रसार भारती का एक प्रभाग है।
- ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण की भाषाओं की संख्या एवं प्रसारक द्वारा सामाजिक–आर्थिक स्पेक्ट्रम एवं सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।
- AIR ने 179 बोलियों एवं 23 भाषाओं में प्रोग्रामिंग की शुरुआत की।
- AIR के देशभर में 470 प्रसारण केंद्र हैं।
- दूरदर्शन प्रसार भारती का एक प्रभाग भी है।

प्रेरणा स्टाल

समाचार –

- 'प्रेरणा स्टाल' नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम के कार्यबल को समर्पित है। 'प्रेरणा स्टाल', प्रेरणा केंद्र को नौसेना डॉकयार्ड के इनडोर प्रयासों के साथ बनाया गया है एवं इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता में गर्व का प्रतीक है एवं जहाजों एवं पनडुब्बियों की मरम्मत एवं शोधन में आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक है।
- प्रेरणा स्थल में 3 मीटर ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज मस्तूल, 20×30 फीट का राष्ट्रीय ध्वज, अज्ञात कार्यकर्ता प्रतिमाएँ एवं एक आर्क के आकार का भवन, यार्ड की क्षमताओं एवं उम्र के साथ इसके विकास के लिए आवास।
- 'प्रेरणा स्टाल' किक का समर्पण नौसेना डॉकयार्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष की गतिविधियों को शुरू करता है जो मार्च 2021 से शुरू होगा।

शांति की प्रतिमा

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरिश्वर जी महाराज की 151 वीं जयंती समारोह को चिह्नित करने के लिए 'स्टैचू ऑफ पीस' का अनावरण किया।
- 151 इंच ऊंची प्रतिमा अष्टधातु – 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है, एवं इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र, जेटपुरा में स्थापित किया जा रहा है।

विश्व मधुमेह दिवस

समाचार –

- प्रतिवर्ष, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के नेतृत्व में मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम – नर्सेस मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज़।
- विश्व मधुमेह दिवस 1991 में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा शुरू किया गया था।

मधुमेह –

- मधुमेह मेलेट्स, जिसे आमतौर पर मधुमेह के रूप में जाना जाता है, एक चयापचय रोग है जो उच्च रक्त शर्करा का कारण बनता है।
- हार्मोन इंसुलिन रक्त में शर्करा को आपकी कोशिकाओं में स्थानांतरित करता है जिसे ऊर्जा के लिए संग्रहीत या उपयोग किया जाता है। मधुमेह के साथ, आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नही बना पाता या बनने वाले इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता हैं।
- मधुमेह से उच्च रक्त शर्करा से आपकी नसों, आंखों, गुर्दे एवं अन्य अंगों को नुकसान हो सकता है।
- मधुमेह के कुछ अलग प्रकार हैं –

  1. टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है।
  – प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। इसके अलावा, बहुत कम या कोई इंसुलिन पैदा नहीं होता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस हमले का कारण क्या होता है। मधुमेह वाले लगभग 10 प्रतिशत लोगों में यह प्रकार होता है।

  2. टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, एवं आपके रक्त में शर्करा का निर्माण होता है। इस प्रकार में, ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिकाओं में प्रवेश करने में असमर्थ होता है।

  3. प्रीडायबिटीज तब होती है जब आपकी रक्त शर्करा सामान्य से अधिक होती है, लेकिन यह टाइप 2 मधुमेह के निदान के लिए पर्याप्त उच्च नहीं है।

  4. गर्भावधि मधुमेह गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा है। नाल द्वारा निर्मित इंसुलिन–अवरुद्ध हार्मोन इस प्रकार के मधुमेह का कारण बनता है।

ट्रिस्टन दा कुन्हा

समाचार –

- ट्रिस्टन दा कुन्हा, यूके की समुद्र पार दूरस्थ क्षेत्र, जो दुनिया की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती है, ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़े पूर्णतः संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किये हैं।
- यहाँ महासागर को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियों जैसे कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, रेत निकालने और गहरे समुद्र में खनन पर 90 प्रतिशत तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ट्रिस्टन दा कुन्हा क्या है?

- ट्रिस्टन दा कुन्हा पर 300 से कम मनुष्यों रहते है, यह दक्षिण अटलांटिक में लंदन से 6,000 मील की दूरी पर द्वीपों की एक छोटी श्रृंखला है और द्वीपों के आसपास के पानी को दुनिया में सबसे प्रचुर माना जाता है।
- पहाड़ी द्वीपसमूह ट्रिस्टन दा कुन्हा में लाखों समुद्री पक्षी और कई अद्वितीय भूमि पक्षी हैं।
- इसके कुछ सीबर्ड्स जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं वे अवैध और अनियंत्रित मछली पकड़ने की गतिविधियों, अत्यधिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित खतरों का सामना करते हैं।
- द्वीप समूह, गॉफ और दुर्गम द्वीपों की विश्व धरोहर स्थल भी है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री द्वीपों में से एक है।

ब्रिटेन के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम

- कार्यक्रम देश के विदेशी क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। इसका उद्देश्य उनके समुद्री पर्यावरण के सतत प्रबंधन को प्राप्त करना है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था।
- यूके के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, यह अटलांटिक में सबसे बड़ा नो–टेक जोन और ग्रह पर चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा।
- इसका मतलब है कि मछली पकड़ने, खनन और ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दो नए रामसर स्थल

समाचार –

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषित किया कि लोनार झील (महाराष्ट्र) और सुर सरोवर झील (उत्तर प्रदेश) को रामसर स्थलों में जोड़ा गया है।
- महाराष्ट्र की लोनार झील देश की एकमात्र क्रेटर झील है।
- सुर सरोवर झील को केथम झील भी कहा जाता है।

लाभ –

- लोनार वेटलैंड्स के प्रचार और प्रतिष्ठा में वृद्धि।
- अनुदान निधि के माध्यम से सहायता की पहुँच
- झील के विकास की सुविधा, इसके बुद्धिमान उपयोग के लिए नीतियां
- लोनार वेटलैंड की समस्याओं पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विशेषज्ञ सलाह को प्रोत्साहित करें।
- लोनार के प्रतिनिधि प्राकृतिक इको–सिस्टम के साथ–साथ दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करें।

रामसर कन्वेंशन –

- रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षरित, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर–सरकारी समझौते में से एक है।
- रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- रामसर साइटों के रूप में घोषित वेटलैंड्स सम्मेलन के सख्त दिशानिर्देशों के तहत संरक्षित हैं।

लोनार झील –

- लोनार क्रेटर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विस्फोटों से ज्वालामुखी बेसाल्ट रॉक बचे हुए का एक विशाल मैदान, डेक्कन पठार के अंदर आता है।
- लोनार क्रेटर एक उल्का प्रभाव का परिणाम है जो 50,000 साल पहले हुआ था।
- झील में लवणता और क्षारीयता अधिक है, क्योंकि बहिर्वाह की कमी से खनिजों की एक सांद्रता होती है और झील का पानी वाष्पित हो जाता है।
- इस कठोर रासायनिक वातावरण में एनारोबेस, सायनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लांकटन जैसे विशिष्ट सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं।
- झील के बाहर, पौधों और जानवरों की काफी विविधता है। इस साइट में पक्षियों सहित 160 प्रजातियां हैं।
- कमजोर एशियाई ऊनी गर्दन और सामान्य पोचर्ड, सरीसृप की 46 प्रजातियां और प्रतिष्ठित ग्रे वुल्फ सहित स्तनधारियों की 12 प्रजातियां है।

सुर सरोवर –

- सुर सरोवर मूल रूप से गर्मियों में आगरा शहर को पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था।
- वेटलैंड जल्द ही एक महत्वपूर्ण और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गया।
- स्थल के आस–पास प्रवासी पक्षियों एवं मछलीयों की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
- अधिक से अधिक, खतरे में पड़ी प्रजातियों में, धब्बेदार चील, सरस क्रेन और कैटफिश, शामिल हैं।
- सुर सरोवर पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करते हैं और 30,000 से अधिक जल पक्षी सालाना जलाशय का दौरा करते हैं।

क्विक रिएक्शन सरफेस–टू–एयर–मिसाइल (QRSAM)

समाचार –

- स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस–टू–एयर मिसाइल (क्यूआरएसएएम) ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किए गए परीक्षण में मध्यम दूरी और ऊंचाई पर एक पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधा प्रहार किया। परीक्षण के दौरान, राडार ने सबसे दूर के रेंज से पायलट रहित लक्ष्य को ट्रैक किया और मिसाइल को तब मार गिराया गया जब लक्ष्य किल जोन में था।

सुविधाएँ और लाभ –

- हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र इमरातय इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास प्रतिष्ठान, बैंगलोर, अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर), पुणे, साधन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, देहरादून एवं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर, ने परीक्षण में भाग लिया।
- हथियार प्रणाली तत्वों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और निजी कंपनी एलएंडटी के माध्यम से किया गया है।
- एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, विभिन्न उद्योंगो से प्राप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्शन सिस्टम के साथ मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है।
- QRSAM, एक कनस्तर–आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बों से संग्रहीत और संचालित होता है।
- कनस्तर में, अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ–साथ हथियारों की शेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है।
- QRSAM एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है।
- यह मुख्य रूप से डीआरडीओ द्वारा दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के बख्तरबंद स्तंभों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।
- सम्पूर्ण शस्त्र प्रणाली को एक मोबाइल और कुशल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फिगर किया गया है और यह इस कदम पर हवाई सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इसे सेना में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी सीमा 25 से 30 किमी है।
- QRSAM, में पूर्णतः स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली, दो रडार – सक्रिय एरे बैटरी निगरानी रडार, सक्रिय एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार – और एक लांचर शामिल हैं।
- दोनों राडार में 'सर्च ऑन मूव' तथा 'ट्रैक ऑन मूव' क्षमताओं के साथ 360 डिग्री कवरेज है।
- प्रणाली कॉम्पैक्ट है, एक एकल चरण ठोस प्रोपेल्ड मिसाइल का उपयोग करती है और इसमें डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दो–तरफा डेटा लिंक और टर्मिनल सक्रिय साधक के साथ एक मध्य–पाठ्यक्रम जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है।
- हथियार प्रणाली 2021 तक प्रेरण के लिए तैयार होगी।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

समाचार –

- भारत में स्वतंत्र एवं जिम्मेदार प्रेस का उत्सव मनाने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए की प्रेस एक नैतिक प्रहरी के रूप में काम करता है, उच्च मानकों को बनाए रखता है एवं किसी भी प्रभाव या खतरों से विवश नहीं होता है, ने कार्य करना प्रारंभ किया था।

इतिहास –

- प्रथम प्रेस आयोग 1956 ने भारत में पत्रकारिता एवं प्रेस की स्वतंत्रता की नैतिकता की रक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की।
- इसने 10 साल बाद एक प्रेस परिषद का गठन किया।
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए सभी पत्रकार गतिविधियों पर नजर रखता है।
- जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
- उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वह न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू (2011–2014) परिषद के अध्यक्ष बनने में सफल रहे।

टीम हेलो

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र ने 'टीम हेलो' शुरू करने के लिए लंदन के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन विश्वविद्यालय में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ सहयोग किया है, जो एक पहल है जिसका उद्देश्य कोविड–19 टीकों के आसपास गलत सूचना का मुकाबला करना है।
- परियोजना के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 100 से अधिक वैज्ञानिक एक साथ आए हैं।

विवरण –

- पहल के तहत, वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कोविड–19 वैक्सीन विज्ञान पर सोशल–मीडिया फ्रेंडली वीडियो बनाएंगे।
- टीम हेलो कोविड–19 टीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक संचार मंच के रूप में कार्य करेगा।
- विश्व स्तर पर, यह पहल उन वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है जो दुनिया के शीर्ष संस्थानों में कोरोनवायरस वायरस के विकास की दौड़ में शामिल हैं।
- टीम हेलो का लक्ष्य यूके, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई, फ्रांस, स्पेन, पेरू, कनाडा, भारत एवं ब्राजील में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए काम को उजागर करना है एवं कोविड–19 वैक्सीन पर काम करने वाले वैज्ञानिक एवं इन देशों के नागरिकों के मध्य संचार के लिए एक मंच तैयार करना है।

भारत की भूमिका –

- भारत में, 22 से अधिक वैज्ञानिक प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों जैसे इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं सुम हॉस्पिटल, भुवनेश्वर से टीम हेलो में शामिल हुए हैं, PGIMER, चंडीगढ़, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, एसआरएम रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई, एवं डीप चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गांधीधाम।

संविधान दिवस/ राष्ट्रीय कानून दिवस

समाचार –

- 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है।
- इस दिन 1949 में, भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- यह दिन 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा का स्मरण कराता है।
- संविधान के अंगीकरण एवं प्रवर्तन के बीच के दो महीनों का उपयोग अंग्रेजी से हिंदी में दस्तावेज को पढ़ने एवं अनुवाद के लिए किया गया था।
- संविधान सभा ने दो दिन, 11 महीने, एवं 18 दिन पहले संविधान सभा को अंततः अपनाया गया था, जिसने संविधान निर्माण के लिए 166 दिनों की मुलाकात की।
- संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज की दो हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए एवं दो दिन बाद, यह भूमि का कानून बन गया।

महत्व –

- संविधान दिवस को भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है।

भारत का संविधान –

- संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों एवं उदाहरणों का एक समूह है, जो मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों, प्रतिबंधों एवं सरकार एवं देश के नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करता है।
- यह भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है एवं अपने नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय का आश्वासन देता है।

गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अध्यादेश, 2020

समाचार –

- उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण बिल 2020 को मंजूरी दे दी है जो शादी के लिए 'जबरदस्ती धार्मिक धर्मांतरण' को रोकना चाहता है।
- उत्तराखंड में 2018 में समान कानून लाया था।
- उत्तराखंड स्वतंत्रता धर्म अधिनियम 2018 गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह या विवाह द्वारा रूपांतरण पर रोक लगाता है। यह अपराध के लिए जेल की अवधि का भी परिचय देता है, जिसे गैर–जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश के अध्यादेश के बारे में –

- गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश, 2020 का निषेध, 1–5 साल कारावास की सिफारिश करता है अगर कोई आरोपी यह साबित करने में विफल रहता है कि महिला का विवाह बल प्रयोग, खरीद आदि से नहीं हुआ था।
- यदि महिला SC/ST समुदाय से है या उसे सामूहिक धर्म परिवर्तन के हिस्से के रूप में देखा जाता है तो अपराध के लिए जेल की सजा 3–10 वर्ष की होगी है।
- धार्मिक रूपांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस अवधि पहले के मसौदे में एक महीने से दो महीने तक दोगुनी कर दी गई है।

जेंडर सर्टिफिकेट के लिए पोर्टल

समाचार –

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमाण पत्र एवं पहचान के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया।
- पोर्टल किसी भी सरकारी कार्यालय का दौरा किए बिना डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने में ट्रांसपर्सन्स की मदद करेगा।

विवरण –

- पोर्टल के माध्यम से, वे अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- जारी करने वाले अधिकारी भी आवेदनों को संसाधित करने, प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करने के लिए सख्त समयसीमा से बाध्य हैं।
- एक बार प्रमाण पत्र एवं आई–कार्ड जारी होने के बाद, आवेदक उन्हें पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं।
- ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 के तहत, ट्रांसपर्सन अपनी स्व–कथित पहचान के आधार पर एक आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल

समाचार –

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल में सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उठाए जा रहे सभी कदमों की आवश्यक जानकारी होगी।
- यह एक एकल–बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न लाइन मंत्रालयों द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को इन पहलों की स्थिति तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
- पोर्टल सेक्टर–वार अनुकूलन एवं शमन क्रियाओं को पकड़ता है जो विभिन्न लाइन मंत्रालयों द्वारा एक स्थान पर उनके कार्यान्वयन के लिए अद्यतन जानकारी सहित लिया जाता है।
- ज्ञान पोर्टल में शामिल आठ प्रमुख घटक हैं –
  - भारत की जलवायु प्रोफाइल
  - राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा
  - भारत के एनडीसी लक्ष्य
  - अनुकूलन क्रिया
  - शमन क्रिया
  - द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग
  - अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता
  - रिपोर्ट एवं प्रकाशन

सामान्य अध्ययन– ।
भारतीय विरासत एवं संस्कृति, इतिहास एवं विश्व का भूगोल एवं समाज

चंद्रशेखर वेंकट रमन

समाचार –

- 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर, 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।

सीवी रमन के बारे में –

- सर सीवी रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन एवं उनके नाम पर प्रभाव की खोज जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
- सर सीवी रमन 19 वर्ष के थे, जब वे कोलकाता में भारतीय वित्त सेवा में सहायक महालेखाकार के रूप में शामिल हुए।
- उस समय के दौरान, वह भारत में पहले शोध संस्थान – इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (IACS) से परिचित हो गए – जिसने सर वेंकट रमन को अपने अध्ययन के दिलचस्प क्षेत्र में स्वतंत्र अनुसंधान करने की अनुमति दी एवं जहाँ उन्होंने ध्वनिकी एवं प्रकाशिकी में प्रमुख योगदान दिया। प्रकाश के विवर्तन पर उनका पहला शोध पत्र 1906 में प्रकाशित हुआ था, जबकि वह अभी भी स्नातक छात्र थे।
- सर सीवी रमन ने अध्ययन के लिए अपने प्रयोग शुरू किए कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे हुआ है, एवं इस प्रकार रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग प्रणाली में कंपन, घूर्णी एवं अन्य कम आवृत्ति मोड के अध्ययन के लिए होने लगा।
- 1932 में उन्होंने अपने एक छात्र के साथ पाया कि प्रकाश के फोटोन कोणीय संवेग दिखाते हैं।
- 1954 में, सर सीवी रमन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार – भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- सर सीवी रमन 1948 में भारतीय विज्ञान संस्थान से सेवानिवृत्त हुए एवं 1949 में बेंगलुरु में रमन शोध संस्थान की स्थापना की।
- उन्होंने इसके निदेशक के रूप में वहां काम किया एवं 21 नवंबर, 1970 को अपनी मृत्यु तक वहां सक्रिय रहे।

वायु गुणवत्ता सूचकांक

समाचार –

- हवाओं की गति तेज होने के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वायु गुणवत्ता सूचकांक पर विनिर्देशों

- 0 एवं 50 के बीच एक AQI को 'अच्छा', 51 एवं 100 'संतोषजनक', 101 एवं 200 'मध्यम', 201 एवं 300 'खराब', 301 एवं 400 पर 'बहुत खराब' एवं 401 एवं 500 पर 'गंभीर' माना जाता है।

सफर (SAFAR) –

- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान की प्रणाली (SAFAR) शहरों की वायु गुणवत्ता को मापने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय पहल है।
- जमीनी स्तर पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए प्रदूषण के स्तर के साथ–साथ एक क्षेत्र के स्थान–विशिष्ट वायु गुणवत्ता को मापता है।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे ने इस वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया।
- इसका संचालन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) करता है।

भारत दर्शन–दक्षिण भारत यात्रा

समाचार –

- 12 से 18 दिसंबर तक कोविड–19 मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए हैदराबाद एवं सिकंदराबाद से तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, रामेश्वरम, मदुरै एवं कन्याकुमारी तक भारत दर्शन–भारत यात्रा 'का आयोजन करेगा।
- पैकेज को दक्षिण भारत यात्रा का नाम दिया गया है एवं यह दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों को कवर करेगा जैसे श्रीरंगम (तिरुचिरापल्ली) में श्री रंगनाथस्वामी मंदिर, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम, अरुलमिगु रामानाथस्वामी मंदिर एवं कन्या मंदिर, मदुरै।
- यात्रियों को अपने स्वयं के तकिए, बिस्तर की चादर, कपड़े सुखाने के लिए शेन की रस्सी, सामान को सुरक्षित रखने के लिए चेन एवं चाबी, यात्रा के दौरान प्रकाश के लिए टॉर्च, छाता, दवाइयाँ एवं हल्के ऊनी कपड़ के साथ ले जाना चाहिए।

IRCTC

- IRCTC भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है।
- इसकी स्थापना 27 सितंबर, 1999 को की गई थी।
- IRCTC रेलवे के ऑनलाइन टिकटिंग, पर्यटन एवं खानपान एवं आतिथ्य संचालन को संभालती है।
- IRCTC के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सिकंद्राबाद एवं चेन्नई में 5 जोनल कार्यालय हैं।
- IRCTC ने निजी गाड़ियों को भी चलाना शुरू कर दिया है एवं देश की अपनी पहली निजी एवं सबसे तेज ट्रेन 'तेजस' है, जिसे सबसे पहले 24 मई 2017 को मुंबई सीएसटी से करमाली, जाने तक शुरू किया गया था।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएम) के आधार पर 'भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट'

वीडियो –

- अरुणाचल प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 'नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े'।
- सीआरएस – 2018 के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत द्वारा तैयार की जाती है।
- इस अनुपात से 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया था, छह राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लिंग अनुपात –

- लिंग अनुपात जनसंख्या में महिलाओं के पुरुषों का अनुपात है।
- जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) उनके जीवन की शुरुआत में जनसंख्या के लिंग अंतर का मानचित्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- भारत में सीआरएस महत्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, अभी भी जन्म) एवं उसके बाद की विशेषताओं की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की एकी.त प्रक्रिया है।

लाभ –

- एक पूर्ण एवं अद्यतित सीआरएस के माध्यम से उत्पन्न डेटा सामाजिक आर्थिक योजना के लिए एवं विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है।
- डेटा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आधारशिला के रूप में भी काम करता है।

जन्म पंजीकरण –

- 2018 में पंजीकृत जन्मों की संख्या बढ़कर 2.33 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष के 2.21 करोड़ पंजीकृत जन्मों से अधिक थी।
- 2018 में जन्म के पंजीकरण का स्तर बढ़कर 89.3% हो गया है जो 2009 में 81.3% था।
- जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा 21 दिन है। हालाँकि कुछ राज्य जन्म एवं मृत्यु के वर्षों बाद भी पंजीकरण करते हैं।
- घटना के एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किए गए बिरथों एवं मौतों को शुद्धता की पुष्टि करने एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर पंजीकृत किया जाता है।

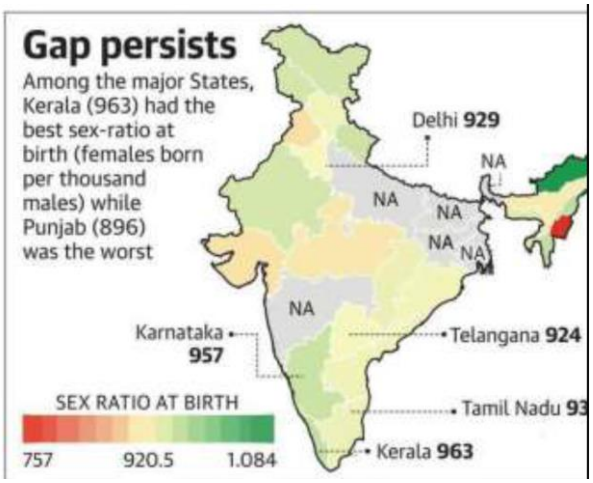

मुख्य निष्कर्ष –

- अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने क्रमशः मिजोरम एवं केरल के बाद शीर्ष दो स्लॉट दर्ज किए, जबकि मणिपुर एवं लक्षद्वीप ने जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात दिखाया है।
- अरुणाचल प्रदेश (1084), नागालैंड (965) मिजोरम (964) एवं केरल (963) द्वारा दर्ज की गई घटनाओं के आधार पर / जन्म के समय अधिकतम लिंगानुपात (एसआरबी) दर्ज की गई है।
- सबसे कम एसआरबी मणिपुर (757), लक्षद्वीप (839) एवं दमन एवं दीव (877) द्वारा पंजाब (896) द्वारा सूचित किया गया है।
- असम में लिंगानुपात 904, मेघालय 942 एवं त्रिपुरा 945 दर्ज किया गया।
- असम 20 प्रमुख राज्यों में से 13 में से एक है जिसने जन्म के पंजीकरण के 90% के स्तर को पार कर लिया है।
- असम, त्रिपुरा एवं मेघालय निर्धारित समय के भीतर 50 से 80 प्रतिशत की श्रेणी में 10 राज्यों में शामिल हैं।
- 21 दिनों की समय सीमा के भीतर जन्म पंजीकरण पूरा करने में 21 दिनों की अवधि एवं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड 50 प्रतिशत से कम की श्रेणी में हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर पैदा होने वाली 1,084 महिलाएं, उसके बाद नागालैंड (965) मिजोरम (964), केरल (963) हैं।
- कर्नाटक (957)। सबसे खराब मणिपुर (757), लक्षद्वीप (839) एवं दमन एवं दीव (877), पंजाब (896) एवं गुजरात (896) में दर्ज की गई।
- दिल्ली में लिंगानुपात 929, हरियाणा 914 एवं जम्मू एवं कश्मीर 952 दर्ज किया गया।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल –

- आरजीआई की स्थापना 1961 में भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के तहत की थी।
- यह भारत की जनगणना सर्वेक्षण एवं भारत के भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के परिणामों की व्यवस्था, संचालन एवं विश्लेषण करता है।

लोक विरासत –

- फिल्म्स डिवीजन (एफडी) लोक विराट का आयोजन कर रहा है, जो 27 नवंबर, 2020 से लोक कला एवं चित्रकला पर फिल्मों का त्योहार है।

विवरण –

- लोक कला एवं चित्रों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक विशेष गुलदस्ता – लोक विराट – 27–29 नवंबर, 2020 के बीच एफडी वेबसाइट एवं यू–ट्यूब चैनल पर प्रर्दशित किया जा रहा है।
- स्ट्रीम की जा रही फिल्मों में विभिन्न लोक कला परंपराओं पर ध्यान देने के साथ कला एवं संस्कृति की महान भारतीय विरासत के विषय शामिल हैं।
- भवई – फेडिंग यादें, भवई पर एक फिल्म – गुजरात की एक लोक कला के बारे में बताया गया है,
- नमन – महाराष्ट्र के रत्नागिरी में प्रदर्शित प्राचीन लोक कला पर एक फिल्म है,
- साही जटा, द यूजन कल्ट, पुरी के प्राचीन उड़ीसा शहर के बैक–ड्रॉप पर लोक कला के रूप में मांसपेशियों एवं संगीत के अनूठे संलयन पर एक फिल्म है एवं
- थेरुकुथुरू डांसिंग फॉर लाइफ, एक फिल्म जो पुरानी तमिल लोक कला को दर्शाती है।

कम दबाव का क्षेत्र –

समाचार –

- दक्षिण अंडमान सागर एवं इससे सटे दक्षिण–पूर्वी बंगाल की खाड़ी एवं विषुवतीय हिंद महासागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना था।

दबाव प्रणाली –

- वायु गर्म होने पर फैलती है एवं ठंडा होने पर संकुचित हो जाती है। इससे वायुमंडलीय दबाव में बदलाव होता है। वायुमंडलीय दबाव में अंतर उच्च गति से निम्न दबाव तक हवा की गति का कारण बनता है।
- क्षैतिज गति में हवा अक्षांशों के पार गर्मी एवं नमी का पुनर्वितरण करती है, जिससे पूरे ग्रह के लिए एक स्थिर तापमान बने रहता है।
- नम हवा के लंबवत बढ़ने से बादल बनते हैं एवं वर्षा लाते हैं।
- दबाव बेल्ट पृथ्वी की सतह पर, सात दबाव बेल्ट हैं। वे भूमध्यरेखीय निम्न, दो उपोष्णकटिबंधीय उच्च, दो उप–दाब एवं दो ध्रुवीय उच्च हैं। भुमध्य निम्न को छोड़कर, अन्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जोड़े बनाते हैं।

सामान्य अध्ययन– II

शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वार्षिक बोनस के लिए मजदूरी मानदंडों पर कोड

समाचार –

- मजदूरी 2019 पर कोड में एक नए प्रावधान के अनुसार, 'यौन उत्पीड़न के लिए सजा' कर्मचारिया को बोनस भुगतान से इनकार करने के लिए एक आधार हो सकता हैं।
- मौजूदा कानून के अनुसार, धोखाधड़ी, हिंसक आचरण एवं चोरी या तोड़फोड़ के लिए बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के मामले में ही बोनस को बकाया रखा जाता है।
- सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद नया कोड प्रारंभ हो जाएगा।
- यह कदम 2013 के यौन उत्पीड़न निरोधक (POSH) कानून के अलावा एक अतिरिक्त निवारक के रूप में काम करेगा।

POSH कानून दिशानिर्देश –

- 2013 के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) कानून के अनुसार, फर्मों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों में पूछताछ करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाने की आवश्यकता होती है।
- समिति को ऐसी शिकायतों में इसकी जांच के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पर नियोक्ताओं के लिए सिफारिशें करना आवश्यक है।
- आईसीसी के पास यह तय करने की शक्तियां हैं कि यदि कोई दोषी है तो पुलिस को इसकी रिपोर्ट करे, हालांकि सभी यौन उत्पीड़न के मामले पुलिस मामले में तब्दील नहीं होते हैं।
- POSH अधिनियम के तहत, यौन उत्पीड़न में निम्न अवांछित कार्यों या व्यवहारों में से किसी एक या अधिक को शामिल किया जाता है (चाहे सीधे या निहितार्थ द्वारा) –
  – शारीरिक संपर्क एवं पहल
  – सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट
  – यौन संबंधी टिप्पणी करना
  – अश्लील साहित्य दिखाना
  – यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण।

बोनस अधिनियम, 1965 का भुगतान –

- भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत देय न्यूनतम बोनस, लेखा वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी का 8.33% है।
- यह बोनस ऐसे वेतन या वेतन के अधिकतम 20% के अधीन है।
- यह बोनस उन सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाता है जो महीने में 21,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त करते हैं।
- वेतन एवं बोनस भुगतान की सीमाएं अभी तक मजदूरी पर संहिता के तहत अधिसूचित नहीं हैं।
- संहिता की धारा 29 में कहा गया है कि इस संहिता में कुछ भी होने के बावजूद, एक कर्मचारी को इस संहिता के तहत बोनस प्राप्त करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा – यदि उसे धोखाधड़ी या दंगे या हिंसक व्यवहार, चोरी, यौन उत्पीड़न, संपत्ति का दुरुपयोग या तोड़फोड के लिए सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
- अन्य अयोग्यता ट्रिगर स्पष्ट रूप से एक नियोक्ता के परिसरों पर कार्रवाई तक सीमित हैं, यौन उत्पीड़न के तहत सजा का जिक्र करने वाली ट्रिगर में घटना के स्थान के बारे में ऐसी स्थिति शामिल नहीं है।

वेतन पर नियम, 2019 –

- मजदूरी पर नियम – 2019, चार कृत्यों – मजदुरी का भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान का अधिनियम 1965 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 – एक ही नियम में, को समेकित करता है।
- श्रम पर दूसरा राष्ट्रीय आयोग (रवींद्र वर्मा, 2002) ने सभी श्रम कानूनों को चार कोड में समेकित करने का सुझाव दिया।
- नियम में कार्यकर्ता 'शब्द की समान परिभाषा होगी' लेकिन, पर्यवेक्षी क्षमता में नियुक्त 15,000 रूपये तक पाने वाला व्यक्ति भी कार्यकर्ता ही माना जाता है।
- मजदूरी कोड से पहले, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, जो रोजगार में न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रावधान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक श्रमिकों को पहले अनुसूची में शामिल किया जाना है, एवं उसके बाद, कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी।
- नया कोड न्यूनतम श्रमिकों की आवश्यकता एवं अनुसूची में शामिल किए जाने के साथ तिरस्त किया गया है।
- केंद्र सरकार के पास एक निश्चित वेतन तय करने की शक्ति होगी। एक बार तय हो जाने के बाद, राज्य सरकारें इससे न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

समाचार –

- श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध कोड, 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया। नियमों को 2021 अप्रैल तक लागू किया जाना है।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, संसद द्वारा पारित तीन श्रम संहिताओं में से एक थी, जिसमें औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियनों एवं स्थायी आदेशों के संबंध में तीन कानून थे, जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विवरण सूचीबद्ध करता है।
- यह सुपरसाइड करेगा –
- औद्योगिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1949,
- औद्योगिक न्यायाधिकरण (केंद्रीय प्रक्रिया) नियम, 1954,

- औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम, 1946।

प्रमुख झलकियाँ –

- मसौदा नियम नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हड़ताल के लिए नोटिस भेजने के लिए अनुमतियों एवं श्रमिकों की तलाश करने में सक्षम बनाते हैं।
- हड़ताल के नोटिस को सचिव एवं पंजीकृत व्यापार संघ के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा एवं उन्हें नियोक्ता, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा भेजे गए एक प्रति के साथ, दिया जाएगा।
- नियमों में सेवानिवृत्त श्रमिकों के लिए एक रीसिलिंग फंड की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
- औद्योगिक संबंध नियम के तहत, सरकार ने 300 कर्मचारियों तक की फर्मों को कर्मचारियों को निकालने एवं पूर्व सरकार की मंजूरी के बिना फर्म को बंद करने की अनुमति देती है।
- लेकिन, यदि अधिकारी उनके अनुरोध का जवाब नहीं देते हैं, तो सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी।
- यहाँ भी 300 से अधिक श्रमिकों वाली फर्मों को अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। इन नए कोड से पहले, श्रम कानूनों को 'काम करने वालों' को पीछे करने से पहले 30 से 90 दिन की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से शॉप फ्लोर श्रमिकों का एक वर्ग है।
- नियोक्ता को छंटनी के 10 दिनों के भीतर सरकार द्वारा रखे गए खाते में सेवानिवृत्त श्रमिकों या श्रमिक के अंतिम आहरित मजदूरी के 15 दिनों के बराबर राशि का इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण करना होगा।
- ऐसा फंड जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक या श्रमिक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित किया जाएगा, नियोक्ता से धन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर एवं श्रमिक अपने पुनः–कौशल के लिए ऐसी राशि का उपयोग करेगा।
- 100 या अधिक श्रमिकों के साथ विनिर्माण इकाइयों, वृक्षारोपण एवं खानों के मामले में भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है।
- औद्योगिक संबंध कोड के तहत, यूनियनों को अब 60–दिवसीय पूर्व हड़ताल नोटिस देना होगा।
- जब एक श्रम न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित होती है, तो श्रमिक पूरा होने के बाद 60 दिन के लिए हड़ताल पर नहीं जा सकते।

गिलगित–बाल्टिस्तान

समाचार –

- 1 नवंबर को, गिलगित–बाल्टिस्तान में प्रतिवर्ष 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया जाता है, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार इस क्षेत्र को 'अस्थायी प्रांतीय स्थिति' देगी।
- जब ऐसा होगा, तो गिलगित–बाल्टिस्तान पाकिस्तान का पांचवा प्रांत बन जाएगा।
- यद्यपि, जी–बी क्षेत्र का दावा भारत द्वारा जम्मू एवं कश्मीर की तत्कालीन रियासत के हिस्से के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह 1947 में भारत के अपने अस्तित्व में था।

विवरण –

- गिलगित–बाल्टिस्तान पाकिस्तान द्वारा प्रशासित सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जो देश का एकमात्र क्षेत्रीय सीमांत क्षेत्र है, एवं इस तरह चीन के साथ एक भूमि मार्ग है, जहां यह शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र से मिलता है।
- चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने दोनों देशों के लिए इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना दिया है।
- जी–बी के पश्चिम में अफगानिस्तान है, इसके दक्षिण में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, एवं पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर है।

क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- हालाँकि पाकिस्तान, भारत की तरह, जी–बी के भाग्य को कश्मीर से जोड़ता है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पीओके के लोगों से अलग है।
- जबकि पीओके का अपना संविधान है जो अपनी शक्तियों एवं उनकी सीमाओं को पाकिस्तान के रूप में स्थापित करता है, जी–बी को ज्यादातर कार्यकारी फाइट द्वारा शासित किया गया है। 2009 तक, इस क्षेत्र को केवल उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था।
- इसे अपना वर्तमान नाम केवल गिलगित–बाल्टिस्तान (सशक्तीकरण एवं स्व–शासन) आदेश, 2009 के साथ मिला, जिसने उत्तरी क्षेत्र विधान सभा को साथ विधान परिषद में बदल दिया।
- NALC एक निर्वाचित निकाय था, लेकिन कश्मीर मामलों एवं उत्तरी क्षेत्रों के लिए इस्लामाबाद के शासन के सामने इनकी भूमिका सलाहकार की ही थी।
- विधान सभा केवल एक मामूली सुधार है। इसमें 24 सीधे निर्वाचित सदस्य हैं एवं नौ नामित हैं।
- 2018 में, तत्कालीन पीएमएल (एन) सरकार ने विधानसभा को दी गई सीमित शक्तियों को भी केंद्रीयकृत करते हुए एक आदेश पारित किया, जो भूमि पर अधिक नियंत्रण एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अन्य संसाधनों की आवश्यकता से जुड़ा एक कदम था, जिसे तब CPEC के तहत योजना बनाई गई थी।
- आदेश को चुनौती दी गई थी, एवं 2019 में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया एवं वर्तमान सरकार को इसे शासन सुधारों से बदलने के लिए कहा। ऐसा नहीं किया गया।
- इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को जी–बी तक बढ़ा दिया एवं अगले विधान सभा चुनावों तक एक कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था की।
- आखिरी चुनाव जुलाई 2015 में हुए थे, एवं इस साल जुलाई में विधानसभा का पांच कार्यकाल समाप्त हो गया था।
- महामारी के कारण नए चुनाव नहीं हो सके।
- यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव से पहले या बाद में प्रांतीय स्थिति आएगी या नहीं।

गिलगित बाल्टिस्तान की भूगोल –

- गिलगित–बाल्टिस्तान दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का घर है।
- इस क्षेत्र में मुख्य श्रेणियाँ काराकोरम एवं पश्चिमी हिमालय हैं।
- पामीर पर्वत उत्तर में हैं एवं हिंदू कुश पश्चिम में स्थित है।

नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम की धारा 67

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक सवाल पर फैसला सुनाया है कि क्या नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान आपराधिक परीक्षणों के दौरान स्वीकारोक्ति बयान के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं।
- न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन –

- एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत एक अधिकारी के समक्ष दिए गए अदालत के कबूलनामे के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का आधार 'संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन' होगा।
- जबकि यह अदालत को प्रस्तुत किया गया था कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्तिपूर्ण बयानों को अब निरस्त आतंकवाद एवं विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम एवं आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA) सहित अन्य विशेष कृत्यों में स्वीकार्य माना जाता है, अदालत ने कहा कि उनका उपयोग खुद अधिनियमों में निहित कई सुरक्षा उपायों के साथ किया गया था।
- अदालत ने यह भी कहा कि जब एक संदर्भ 'पुलिस अधिकारियों' के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब न केवल राज्य पुलिस बल से संबंधित पुलिस अधिकारी होता है, बल्कि ऐसे अधिकारी भी शामिल होते हैं जो अन्य विभागों से संबंधित हो सकते हैं।

NDPS ACT 1985

- यह अधिनियम किसी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन/निर्माण/खेती, कब्जे, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण एवं/या उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
- ब्यूरो मार्च 1986 से लागू हुआ था।
- अधिनियम भारत की संधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है –
  1. नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन,
  2. साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन,
  3. नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 –

- एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अनुसार, राज्य के केंद्र द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी जांच के दौरान यह जानने के लिए कि क्या किसी भी व्यक्ति से, अधिनियम का कोई भी उल्लंघन हुआ, कॉल कर सकता है।

बहस –

- चूंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारियों को 'पुलिस अधिकारी' के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें 'पुलिस स्टेशन के अधिकारी–प्रभारी' की शक्तियां दी जाती हैं, इसलिए उन्हें दिए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य होने चाहिए।
- विशेष एंटी–ड्रग जांच एजेंसी, एनसीबी में अधिकारियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क सहित सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
- इसके विपरीत राय में कहा गया है कि संविधान सहित अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय कानून में अभियुक्तों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय भी विस्तारित हैं।
- एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा एक पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता है एवं अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

टेली–कानून

समाचार –

- टेली कानून ने 4 लाख लाभार्थियों के साथ एक नया मील का पत्थर छू लिया है, जिसे सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से कानूनी सलाह मिली है।

टेली–कानून –

- टेली–लॉ कार्यक्रम को प्री–लिटिगेशन चरण में मामलों को संबोधित करने के लिए 2017 में न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्मार्ट तकनीक, टेलीफोन/इंस्टेंट कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
- पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों का उपयोग समय–समय पर एवं मूल्यवान कानूनी सलाह लेने के लिए पैनल वकीलों के साथ डाउन–ट्रॉडन, कमजोर, समूहों एवं समुदायों को जोड़ने के लिए किया जाता है।
- टेली–लॉ सेवा NALSA एवं CSC-ई सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों के एक समूह के माध्यम से समूहों एवं समुदायों के लिए प्रचलित है।
- यह कार्यक्रम कानूनी सेवाओं के अधिकारियों, अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुत कानूनी सहायता के हकदार लोगों को लाभान्वित करता है, जिसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के सदस्यों को मुत में कानूनी सलाह लेना शामिल है।
- टेली लॉ वेब पोर्टल कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली 22 भाषाओं में उपलब्ध है।
- टेली लॉ डैशबोर्ड को पंजीकृत एवं सलाह सक्षम मामलों पर वास्तविक समय में डेटा पर कब्जा करने के लिए विकसित किया गया है।
- टेली–लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग पर ई–ट्यूटोरियल टेली–लॉ पोर्टल पर अपलोड किया गया है। टेली लॉ पोर्टल पर 22 भाषाओं में टेली लॉ पैम्फलेट भी उपलब्ध हैं।

नालसा –

- इसकी गठन की तारीख – 1995 कानूनी सेवाओं के अधिकारियों के तहत अधिनियम 1987
- **इसका उद्देश्य** – योग्य उम्मीदवारों को मुत कानूनी सेवाएं प्रदान करना एवं मामलों के शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है।
- **पैट्रन इन चीफ** – भारत के मुख्य न्यायाधीश
- **विकेंद्रीत स्तर पर** – राज्य एवं जिला स्तर पर समान तंत्र के लिए क्रमशः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की व्यवस्था है।

कानून का उद्देश्य –

- यह मुख्य रूप से पूर्व–मुकदमेबाजी स्तर पर मुद्दों को संबोधित करना है।
- कानूनी सलाह लेने के लिए डिजिटल रूप से पैनल के वकीलों के साथ हाशिए एवं गरीब लोगों को जोड़ता है।
- यह ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं टेलीफोन सेवा के उपयोग के माध्यम से परामर्श की सुविधा देता है।
- टेली–लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग पर ई–ट्यूटोरियल टेली–लॉ पोर्टल पर अपलोड किया गया है। टेली लॉ पोर्टल पर 22 भाषाओं में टेली लॉ पैम्फलेट भी उपलब्ध हैं।

सामान्य सेवा केंद्र –

- यह राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की रणनीतिक आधारशिला है, जिसे 2006 में मंजूरी दी गई थी।
- ई–गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के लिए इसकी प्रतिबद्धता।
- सीएससी यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वेब–सक्षम ई–गवर्नेंस सेवाओं की पेशकश करेगा, जिसमें आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, एवं उपयोगिता भुगतान जैसे कि बिजली, टेलीफोन एवं पानी के बिल शामिल हैं।

ओपेक–भारत संवाद –

समाचार –

- ओपेक सचिवालय ने 05 नवंबर 2020 को ओपेक–भारत वार्ता की 4 वीं उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की।

बैठक का मुख्य फोकस –

- बैठक में कोविड–19 के निहितार्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें तेल सहित विश्व अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा बाजार दोनों पर महामारी के नतीजों एवं इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर चर्चा की गई।
- प्रतिभागियों ने मध्यमार्ग पर विचार–विमर्श भी किया
- ऊर्जा एवं तेल की संभावनाएं एवं चुनौतियां।
- ओपेक एवं सहयोग की घोषणा (DoC) कोविड–19 के अनूठे प्रभाव एवं परिणामस्वरूप गंभीर बाजार को संबोधित कर रहा है।
- तेजी से एवं सूचित कार्यों के माध्यम से असंतुलन।

झलकियाँ –

- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- भारत अपने तेल का लगभग 80% तेल ओपेक के सदस्य देशों से आयात करता है।
- भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ओपेक महत्वपूर्ण है –
- भारत की कच्चे तेल की मांग का 78%, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की 59% एवं इसकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की लगभग 38% मांग को पूरा करता है।
- मूल्य के संदर्भ में, भारत ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ओपेक के सदस्य देशों से 92.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हाइड्रोकार्बन आयात किए।
- इस वर्ष भारत ने अपने SPR कार्यक्रम के चरण I के तहत 5. 33 MMT की क्षमता के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) भरे हैं।
- भारत पीपीपी मॉडल के तहत दो स्थानों पर वाणिज्यिक–सह–रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण की एक एवं 6.5 एमएमटी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
- भारत ने इस अवसर पर निवेश करने के लिए ओपेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया।
- ओपेक–भारत वार्ता की अगली उच्च स्तरीय बैठक 2021 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

OPEC -

- ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में पहले पांच सदस्यों (ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, एवं वेनेजुएला) द्वारा की गई थी।
- 1965 से, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में है। (ऑस्ट्रिया एक ओपेक सदस्य राज्य नहीं है)
- ओपेक का गठन 2016 के अंत में किया गया था, ताकि वैश्विक कच्चे तेल बाजार पर अधिक नियंत्रण हो सके।
- वर्तमान ओपेक सदस्य निम्नलिखित हैं (13) – अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब (डी वास्तविक नेता), संयुक्त अरब अमीरात एवं वेनेजुएला।
- ओपेक के पूर्व सदस्य इक्वाडोर, इंडोनेशिया एवं कतर हैं।

पहला भारत–नॉर्डिक–बाल्टिक कॉन्क्लेव –

समाचार –

- पहला भारत–नॉर्डिक–बाल्टिक कॉन्क्लेव वस्तुतः आयोजित किया गया था।

कॉन्क्लेव का फोकस –

- कॉन्क्लेव में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला रसद एवं ब्लॉकचेन के नेतृत्व में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- नॉर्डिक एवं बाल्टिक देशों का अर्थ है नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप–डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एवं आइसलैंड में पांच देशों का एक समूह है, जबकि बाल्टिक देश तीन देश हैं – एस्टोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया जो बाल्टिक समुद्र के साथ एक समुद्र तट साझा करते हैं।

विवरण –

- भारत ने इन देशों के साथ दोस्ती बढ़ा दी है एवं 2018 में स्वीडन में पहली बार भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ।
- डेनमार्क दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन देखेगा एवं यह भारत–डेनमार्क आभासी शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था जो पहले 2020 में हुआ था।
- भारत अधिक लचीला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने का इच्छुक है एवं इसका उद्देश्य भारत की भारत–आत्मनिर्भर नीति है।
- इसका उद्धेश्य उद्यमिता, रोजगार, नवाचार एवं कौशल को बढ़ावा देना है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (AFI)

समाचार –

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (एएफआई) में 0.352 के स्कोर के साथ काफी कम स्कोर किया है।

सूचकांक के बारे में –

- अकादमिक स्वतंत्रता, सामान्य तौर पर, आधिकारिक हस्तक्षेप या पेशेवर नुकसान के जोखिम के बिना विचारों को व्यक्त करने के लिए एक विद्वान की स्वतंत्रता को संदर्भित करती है।
- वैश्विक सार्वजनिक नीति संस्थान द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक को वैश्विक समय–श्रृंखला डेटासेट (1900–2019) के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया गया है।
- फ्रेडरिक–अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय एर्लांगेन–नूर्नबर्ग, स्कॉलर्स एट रिस्क एवं वी–डेम इंस्टीट्यूट के साथ निकट सहयोग में ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट बर्लिन में स्थित एक गैर–लाभकारी थिंक टैंक है।
- संस्थान की स्थापना 2003 में हुई थी।
- संस्थान विदेश नीति एवं वैश्विक शासन से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। संस्थान का मिशन अनुसंधान, नीति सलाह एवं बहस के माध्यम से वैश्विक शासन में सुधार करना है।

सूचकांक का विवरण –

- यह विश्वविद्यालय के विद्वानों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर बहस करने की स्वतंत्रता को निर्धारित करने की कोशिश करता है।
- इंडेक्स को 0–1 के स्कोर पर आधारित है।
- सूचकांक ने 35 देशों के डेटा की रिपोर्ट नहीं की – जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- उरुग्वे एवं पुर्तगाल एएफआई के शीर्ष पर है, जिसमें 0.971 के स्कोर हैं, इसके बाद लात्विया (0.964) एवं जर्मनी (0.960) का नंबर आता है।
- FI ने स्कोर का मूल्यांकन करने के लिए आठ घटकों का उपयोग किया –
  1. अनुसंधान एवं सिखाने की स्वतंत्रता
  2. अकादमिक आदान–प्रदान एवं प्रसार की स्वतंत्रता
  3. संस्थागत स्वायत्तता
  4. परिसर की अखंडता
  5. शैक्षणिक एवं सांस्तिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  6. शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा
  7. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्तिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के तहत शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धता
  8. विश्वविद्यालयों का अस्तित्व

सूचकांक पर भारत की स्थिती –

- भारत में 0.352 का AFI है, जो सऊदी अरब एवं लीबिया के स्कोर के बराबर है।
- 5जी यह दक्षिण एशिया में 5 वें स्थान पर है।
- भारत की तुलना में मलेशिया (0.582), पाकिस्तान (0.554), ब्राजील (0.466), सोमालिया (0.436) एवं यूक्रेन (0.422) जैसे देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
- भारत ने संस्थागत स्वायत्तता, परिसर अखंडता, अकादमिक एवं सांस्तिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा जैसे घटकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
- देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में अकादमिक एवं गैर–शैक्षणिक दोनों स्तरों पर सरकारों से अवांछित हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।

मुद्दे –

- कुलपतियों, कुलसचिवों जैसे शीर्षस्थ पदों पर बहुसंख्यक नियुक्तियों का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया है।
- ऐसी राजनीतिक नियुक्तियाँ न केवल अकादमिक एवं रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं बल्कि भ्रष्ट आचरण को भी जन्म देती हैं।
- यह स्टाफ नियुक्तियों एवं छात्र प्रवेश में अस्वस्थ पक्षपात एवं भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देता है।
- यह शैक्षणिक समुदाय के भीतर 'किराए पर लेने की संस्कृति' को दर्शाता है।

अश्लीलता

समाचार –

- मॉडल मिलिंद सोमन को राज्य में एक समुद्र तट पर खुद को नग्न करते हुए एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद गोवा पुलिस ने अश्लीलता के लिए बुक किया था।

'अश्लील' किसे माना जाता है?

- किसी पुस्तक या वस्तु के अश्लील होने के लिए, IPC की धारा '9' में कहा गया है कि यह कामुक या वासनापूर्ण होना चाहिए या किसी को हटाने या भ्रष्ट करने का प्रभाव होना चाहिए।
- अदालतों द्वारा विवेचना के लिए जगह छोड़ने पर 'शब्द' कामुक, 'व्यावहारिक', 'कमजोर' एवं 'भ्रष्ट' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- अदालतें, अपने हिस्से के लिए, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण विकसित कर चुकी हैं कि क्या कुछ 'अश्लील' है।

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन –

- 1965 में, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक रंजीत उदेशी फैसले ने विक्टोरियन युग के हिकलिन परीक्षण को अपनाया।
- परीक्षण ने किसी के मानक द्वारा अश्लीलता का आकलन किया जो अनैतिक प्रभावों के लिए खुला था एवं प्रश्न में सामग्री द्वारा भ्रष्ट या वंचित होने की संभावना थी।
- 2014 के एवेक सरकार मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश हिकलिन परीक्षण किया एवं इसके बजाय अमेरिकी रोथ परीक्षण को अपनाया।
- इस परीक्षण के अनुसार, समकालीन समुदाय मानकों को लागू करने वाले एक औसत व्यक्ति की तरह अश्लीलता का मूल्यांकन किया जाना था।

भारतीय कानून अश्लीलता के बारे में क्या कहता है?

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा '94' में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें या शब्द हैं।
- अपराध माना जाना, अश्लीलता 'दूसरों को झुंझलाहट' का कारण होना चाहिए।
- इस कानून के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को तीन महीने तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है।
- अश्लील पुस्तकें धारा 292 के तहत समान रूप से अपराधी हैं।

- इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के आगमन के साथ अश्लीलता पर कानून विकसित हुआ है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे दंडित किया जा सकता है।

धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून

समाचार –

- हरियाणा सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून पर विचार कर रही है एवं इस तरह के कानून के बारे में पहले ही जानकारी मांग चुकी है।
- हिमाचल प्रदेश में बल पिछले साल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने स्वतंत्रता विधेयक, 2019 पारित किया।

हिमाचल प्रदेश एंटीकोन्वर्सन कानून क्या है?

- राज्य ने पहले ही 2007 में एक कानून लागू किया था जिसने एक धर्म से दूसरे धर्म में बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी।
- 2019 के सत्र में, राज्य ने कानून का अधिक कठोर संस्करण पेश किया।

कानून क्या कहता है?

- अधिनियम के अनुसार, 'कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से पेश करने, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से या विवाह करके या तो सीधे या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरित करने या बदलने का प्रयास नहीं करेगा एवं न ही कोई व्यक्ति इस तरह के धर्म परिवर्तन को मानता है या करता है।
- अधिनियम में एक व्यक्ति को उसके 'माता–पिता के धर्म' में समाहित नहीं किया गया है।
- यह आगे कहता है कि धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य के लिए किए गए किसी भी विवाह को किसी भी पक्ष द्वारा एक याचिका पर अदालत द्वारा शून्य एवं शून्य घोषित किया जा सकता है।

यदि कोई किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होना चाहता है तो क्या होगा?

- अधिनियम के अनुसार, जो कोई भी किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करना चाहता है, वह जिला अधिकारियों को कम से कम एक महीने पहले एक घोषणा देगा, यह निर्दिष्ट करते हुए कि कोई व्यक्ति अपनी 'अपनी इच्छा या स्वतंत्र सहमति' के अनुसार ऐसा कर रहा है।
- धर्मान्तरण समारोह करने वाले धार्मिक पुजारी को कम से कम एक महीने पहले अधिकारियों को सूचित करना होता है।
- जिला मजिस्ट्रेट तब प्रस्तावित रूपांतरण के इरादे, उद्देश्य एवं कारण के बारे में एक जांच करेगा।
- यदि अधिकारियों को पहले से सूचित नहीं किया जाता है तो रूपांतरण अवैध रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

सबूत के बोझ –

- अधिनियम कहता है कि सबूत का बोझ इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म परिवर्तन का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा है या धोखेबाज व्यक्ति पर इतना धर्मांतरित हुआ है, या वह व्यक्ति जिसने धर्मांतरण की सुविधा दी है।

सजा क्या है?

- अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर–जमानती हैं।
- उल्लंघन करने वाले को जुर्माने के साथ एक से पांच साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
- यदि पीड़ित नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, तो कारावास सात साल तक बढ़ सकता है।
- अग्रिम रूप से धर्मांतरण की घोषणा करने में दो साल तक की कैद भी हो सकती है।
- गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश का उत्तर प्रदेश निषेध
- कानून गैरकानूनी तरीके से किए जाने पर 10 साल की जेल के समय के साथ गैर–जमानती बनाता है।
- इस कानून के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में शादी के लिए धार्मिक रूपांतरण को एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया जाए।
- कानून में ही लव जिहाद का कोई उल्लेख नहीं है।
- अध्यादेश सरकार द्वारा जप मिशन शक्ति 'लॉन्च करने के बाद था, जो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए एक अभियान था।

स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020

समाचार –

- राज्य विधानसभा ने स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 को निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसरों के लिए प्रशस्त किया है।
- हरियाणा (आंध्र प्रदेश के बाद) ने भी घोषणा की है कि वह राज्य में 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र की नौकरी चाहता है, एक निश्चित वेतन स्लैब तक, स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

इस विधेयक के अंतर्गत कौन से सभी क्षेत्र शामिल होंगे?

- सभी कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों एवं 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी व्यक्ति एवं एक इकाई, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है, इस अधिनियम के दायरे में आ जाएगी।
- विधेयक में दी गई 'नियोक्ता' की परिभाषा का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 18) के तहत पंजी.त कंपनी या हरियाणा पंजीकरण एवं सोसायटी अधिनियम, 2012 के विनियमन या एक सीमित देयता भागीदारी फर्म के तहत पंजी.त सोसायटी। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केंद्रीय अधिनियम 6) या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत परिभाषित एक ट्रस्ट या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत परिभाषित एक साझेदारी फर्म या वेतन, मजदूरी पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के तहत। विनिर्माण या किसी भी सेवा या ऐसी इकाई को प्रदान करने के लिए अन्य पारिश्रमिक, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।
- इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई संस्था शामिल नहीं होगी।

'स्थानीय उम्मीदवार' का क्या अर्थ है?

- एक उम्मीदवार 'जिसे हरियाणा राज्य में अधिवासित किया जाता है' को स्थानीय उम्मीदवार कहा जाता है एवं निजी क्षेत्र में रोजगार की मांग करते हुए इस आरक्षण का लाभ उठा सकेगा।
- उम्मीदवार को इस आरक्षण के तहत लाभ प्राप्त करने के दौरान अनिवार्य रूप से एक निर्दिष्ट पोर्टल पर खुद को पंजी.त करना होगा।
- नियोक्ता को भी इस पोर्टल के माध्यम से भर्तियां करनी होंगी।

क्या इसका मतलब है कि एक नियोक्ता के कुल कर्मचारियों का 75% हरियाणा से ही होगा?

- नहीं, प्रत्येक नियोक्ता को उन पदों के लिए 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 50,000 रुपये से अधिक नहीं हैं या समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित है।
- स्थानीय उम्मीदवार हरियाणा के किसी भी जिले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता के पास स्थानीय रोजगार को प्रतिबंधित करने का विवेक होगा
- किसी भी जिले के उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत है।
- हालाँकि, यह नियोक्ता के विवेक का भी होगा कि वह किसी विशेष जिले के 10% से अधिक कर्मचारियों की भर्ती करना चाहता है या नहीं।

क्या इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नियोक्ता को दंडित किया जाएगा?

- हां, एक बार यह स्थापित हो जाता है कि नियोक्ता ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो नियोक्ता पर न्यूनतम 10,000 रुपये एवं अधिकतम 2 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या यह आरक्षण विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है?

- हरियाणा विधानसभा में चिंताओं को उठाया गया, विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन कहा गया।
- हालांकि, हरियाणा सरकार का दावा है कि जबकि अनुच्छेद 16 'सार्वजनिक रोजगार' के बारे में बात करता है, बिल केवल 'निजी क्षेत्र के रोजगार' से संबंधित है।

अनुच्छेद 16

- राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
- कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अयोग्य नहीं होगा या भेदभाव नही किया जाएगा
- इस अनुच्छेद में किसी भी संसद को कोई भी कानून को निर्धारित करने से रोक नहीं सकता है, जो कि सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी कार्यालय, रोजगार या नियुक्ति से संबंधित है।
- इस अनुच्छेद में किसी भी राज्य को नागरिकों के पिछड़ा वर्ग, जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।
- इस अनुच्छेद में कोई भी किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो यह प्रदान करता है कि किसी भी धार्मिक या संप्रदाय के संस्थान या उसके संचालक मंडल के किसी भी सदस्य के संबंध में एक कार्यालय का प्रभारी व्यक्ति एक विशेष धर्म या संबंधित व्यक्ति होगा।
- इस अनुच्छेद में कोई भी राज्य को किसी के पक्ष में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त एवं क्लाज (4) में वर्णित वर्गों के अलावा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्रत्येक श्रेणी में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

प्रशासनिक एवं बजट संबंधी संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति (ACABQ)

समाचार –

- भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को जनरल असेंबली का सहायक अंग प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न (ACABQ) पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया था।
- मैत्रा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, एशिया–प्रशांत राज्यों के समूह में 126 वोट प्राप्त किए।

विवरण –

- महासभा की पांचवीं समिति, जो प्रशासनिक एवं बजटीय मुद्दों से संबंधित है, ने 1 जनवरी 2021 से तीन साल के कार्यकाल के लिए सुश्री मैत्रा को सिफारिश की।
- महासभा जिसमें 193 सदस्य–राज्य हैं, व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता एवं अनुभव के आधार पर सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्नों पर सलाहकार समिति (ACABQ)
- सलाहकार समिति तीन साल के लिए महासभा द्वारा चुनी गई सोलह सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति है, जो व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है।
- सदस्य व्यक्तिगत क्षमता में सेवा करते हैं न कि सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में।
- समिति प्रति वर्ष नौ एवं दस महीने के बीच कुल बैठक समय के साथ तीन सत्र आयोजित करती है।
- समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- सलाहकार समिति के काम का कार्यक्रम महासभा एवं अन्य विधायी निकायों की आवश्यकताओं से निर्धारित होता है, जिन्हें वह रिपोर्ट करता है।
- सलाहकार समिति को सचिवालय द्वारा एक कार्यकारी सचिव की अध्यक्षता में उप द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT)

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की कटक बेंच के कार्यालय–सह–आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। ITAT की कटक बेंच बनाई गई एवं 23 मई 1970 से कार्य करना शुरू कर दिया। कटक पीठ का अधिकार क्षेत्र पूरे ओडिशा तक फैला हुआ है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण –

- ITAT प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है एवं इसके आदेशों को तथ्य के निष्कर्षों पर अंतिम रूप में स्वीकार किया जाता है।
- ITAT 25 जनवरी 1941 को बनाया गया पहला ट्रिब्यूनल था एवं इसे 'मदर ट्रिब्यूनल' के नाम से भी जाना जाता था।
- दिल्ली, बॉम्बे एवं कलकत्ता में वर्ष 1941 में तीन बेंचों से शुरू होकर यह अब 63 बेंच तक बढ़ गई है एवं भारत के तीस शहरों में फैली हुई दो सर्किट बेंच हैं।
- ITAT अपने आदर्श वाक्य 'निस्पक्ष सुलभ सतवर न्याय' से प्रेरणा लेता है, जिसका अर्थ है निष्पक्ष, आसान एवं त्वरित न्याय।
- समीचीन न्याय प्रदान करने के अलावा, ITAT तकनीकी से मुक्त एक सस्ती, आसानी से सुलभ मंच द्वारा, प्रत्यक्ष कर के विषय पर अपने विशेषज्ञ ज्ञान द्वारा न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने की अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है।

गुजारा भत्ता दिशानिर्देश

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक दंपति के बीच विवाद पर सुनवाई करते हुए गुजारा भत्ते पर व्यापक दिशा–निर्देश दिए।

निर्णय –

- सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशानिर्देशों को स्थापित करते हुए अनुच्छेद 15 (3) एवं अनुच्छेद 39 एवं अन्य कानूनों की मेजबानी पर रोक लगा दी।
- यह फैसला किया कि एक परित्यक्त पत्नी एवं बच्चे उस तारीख से अनुरक्षण 'के हकदार होंगे जो वह कानून की अदालत में इसके लिए आवेदन करती है।

गुजारा भत्ता का दावा कैसे किया जा सकता है?

- SC ने कहा कि महिलाएं अलग–अलग कानूनों के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकती हैं, जिनमें –
  – घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा
  – सीआरपीसी की धारा 125, या
  – द हिंदू मैरिज एक्ट, 1955, शामिल हैं।
- प्रत्येक कार्यवाही के तहत रखरखाव का भुगतान करने के लिए पति को निर्देशित करना अनुचित होगा।

गुजारा भत्ता एवं रखरखाव –

- गुजारा भत्ता एवं रखरखाव दोनों एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति या उन लोगों की जरूरतों के लिए प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति के हिस्से पर एक कर्तव्य के अस्तित्व को दर्शाता है।
- अंतरिम रखरखाव – जबकि कानूनी कार्यवाही अभी भी चल रही है, कार्यवाही के खर्चों के साथ पति को पत्नी के लिए रखरखाव का भुगतान करना आवश्यक है। अंतरिम रखरखाव याचिका दाखिल होने की तिथि से देय है, जब तक कि अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है।
- स्थायी रखरखाव – जब पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण का निर्णय लिया जाता है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि पति पत्नी को अदालत द्वारा निर्धारित किसी विशेष राशि का समय–समय पर भुगतान करेगा।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय –

- संसद एवं अदालतों ने महिलाओं को बेहतर अधिकार देने के लिए लगातार कानून बनाए हैं।
- अनुच्छेद 15 (3) एवं अनुच्छेद 39 दो प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं।
- अनुच्छेद 15 (3) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।
- अनुच्छेद 39 राज्य नीति को पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन एवं अवसरों के लिए निर्देशित करता है एवं महिलाओं एवं बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करता है।

भारत में गुजारा भत्ता एवं रखरखाव से संबंधित मुद्दे –

- रखरखाव एवं गुजारा भत्ता केवल आजीविका के स्रोत हैं इसलिए धर्म, जाति, जाति, लिंग या उम्र के आधार पर भेदभाव है
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी.त जीवन, स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा हमला।
- भेदभावपूर्ण रखरखाव एवं गुजारा भत्ता महिलाओं के बारे में पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करता है एवं इस प्रकार कोई भी प्रावधान
- अपराधियों या महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण रूढ़िवादिता को मजबूती से प्रकट करना मनमाना है।
- सभी महिलाओं को भारत में गुजारा भत्ते से संबंधित समान अधिकार नहीं हैं जो कि भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
- भारत में, महिलाओं के प्रति समाज के पितृसत्तात्मक रवैये के कारण महिलाएं बहुत कमजोर हैं, इसलिए गुजारा भत्ता के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि महिलाएं सम्मानजनक जीवन जी सकें।
- भारत में ज्यादातर लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है एवं अगर उन्हें तलाक मिल जाता है तो उनके जीवन को बनाए रखने के लिए उचित गुजारा भत्ता की जरूरत होती है।

- भारत में, न्यायिक कार्यवाही में लंबा समय लगता है एवं पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है इसलिए अंतरिम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- इसके बाद भी आजादी के कई वर्षों के बाद एवं भारत के 70 साल एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने से संबंधित कानून
- रखरखाव एवं गुजारा भत्ता न केवल जटिल एवं बोझिल हैं, बल्कि समान, तर्कसंगत होने के संवैधानिक जनादेश के भी खिलाफ हैं एवं केवल।
- रखरखाव एवं गुजारा भत्ता के भेदभावपूर्ण आधार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के उल्लंघन हैं।

चुनाव आयोग की शक्तियाँ –

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है।
- मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक को हटाने की शक्ति नहीं दी है।

चुनाव आयोग का आदेश –

- पूर्व सीएम ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते समय किसी अन्य पार्टी की महिला उम्मीदवार के बारे में एक अप्रिय व्यक्तिगत टिप्पणी की।
- यही कारण है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 'नैतिक एवं गरिमापूर्ण व्यवहार' के एक कथित उल्लंघन पर ध्यान दिया एवं कमलनाथ को मध्य प्रदेश में 'स्टार प्रचारक' के रूप में निरस्त कर दिया।

स्टार प्रचारक –

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 एक उम्मीदवार के चुनाव खर्च से संबंधित है।
- यह धारा राजनीतिक दल को खुद तय करने देती है कि उसके नेता कौन हैं।
- यह हर पार्टी को ऐसे 'स्टार प्रचारकों' की सूची चुनाव अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है।

स्टार की स्थिति को बदलने का क्या अर्थ है?

- इसका अर्थ है कि उम्मीदवारों के खाते पर चुनावी खर्च के बिना अभियान के अधिकार को वापस लेना।
- चुनाव नियामक के रूप में, चुनाव आयोग को अभियान के मानदंडों का उल्लंघन होने पर या किसी प्रचारक की स्थिति को रद्द करने की शक्ति होती है
- MCC – ECI का आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यवहार के मानकों को पूरा करती है।

भारत चुनाव आयोग –

- भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
- यह राष्ट्र एवं राज्य में भारत में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों एवं देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनावों का संचालन करता है।
- चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार संविधान के अधिकार के तहत कार्य करता है।

फिंगर 8

समाचार –

- चुशुल में आठवीं कोर कमांडर–स्तरीय वार्ता के दौरान, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग त्सो के उत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास फिंगर 8 पर लौटने के लिए तैयार है।
- इस प्रस्ताव में एक क्षेत्र में किसी भी घटना की संभावना को कम करने के लिए दोनों एवं गहराई वाले क्षेत्रों में सैनिकों, टैंकों एवं तोपखाने को स्थानांतरित करना शामिल है।

पृष्ठभूमि –

- भारत के अनुसार, LAC, पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से होकर गुजरती है। मई में, चीनी सैनिक 8 किमी पश्चिम में फिंगर 4 से आए थे।
- जुलाई की शुरुआत में विघटन के शुरुआती दौर में जैसे ही भारतीय सैनिकों ने फिंगर 3 में कदम रखा चीनी फिंगर 4 के आधार से फिंगर 5 की तरफ पिछे चले गए, लेकिन फिंगर 4 के रिज को खाली करने से इनकार कर दिया, एवं तब से वहीं हैं।
- अगस्त के अंत में, भारतीय सैनिकों ने पैंगॉन्ग त्सो के दक्षिणी तट पर एवं में दक्षिण की एवं बड़ा चुशुल उप–क्षेत्र की ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीनियों को चौंका दिया।

स्थान का रणनीतिक महत्व –

- भारतीय सैनिकों ने गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपारी, रेचिन ला एवं रेजांग ला पर खुद को तैनात किया। अब उनके पास चीन के मोल्दो गैरीसन, एवं रणनीतिक स्पैंगपुर गैप का प्रत्यक्ष दृश्य है, जिसका उपयोग आक्रमणकारीयों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है – जैसा कि चीनियों ने 1962 में किया था।
- भारतीय सैनिकों ने झील के उत्तरी किनारे पर अपनी स्थिति को फिंगर 3 एवं फिंगर 4 को जोड़ने वाली राइगलाइन हाइट्स पर फिर से संगठित किया।

वास्तविक नियंत्रण रेखा

- एक संवैधानिक सीमांकन रेखा है जो चीन–नियंत्रित क्षेत्र से भारतीय–नियंत्रित क्षेत्र को चीन–भारतीय सीमा विवाद में अलग करती है। कहा जाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल जोउ एनलाई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया गया था।

पैंगोंग त्सो झील –

- यह पूर्वी लद्दाख एवं पश्चिम तिब्बत में फैली एक एंडोर्फिक झील है।
- यह 4,225 मीटर (13,862 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है।
- यह 134 किमी लंबी है एवं पांच उप झीलों में विभाजित है, जिसे पैंगोंग त्सो, त्सो न्याक, रम त्सो (जुड़वां झीलों) एवं न्याक त्सो कहा जाता है।
- झील अपने सबसे विस्तृत बिंदु पर 5 किमी (3.1 मील) चौड़ी है। सभी मिलकर 604 किमी 2 को कवर करते हैं।
- यह एक खारी झील है।
- झील रामसर कन्वेंशन के तहत पहचाने जाने की प्रक्रिया में है।

विवरण –

- जबकि इस प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है, भारत चीनी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, एवं अन्य घर्षण क्षेत्रों के लिए तौर–तरीके अभी भी चर्चा के तहत हैं।
- भारत की जिद पर अडिग रहने की स्थिति – अपने अप्रैल स्थानों पर लौटने वाले सैनिकों की – एवं विशेष रूप से चीन के विस्थापन के प्रति चीन की अनिच्छा के कारण है।
- पैंगॉन्ग उत्तर बैंक के दोनो और इस क्षेत्र में हजारों सैनिकों, टैंकों, तोपखाने एवं हवाई संपत्ति की तैनाती है।
- प्रस्ताव में 'किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए' फिंगर 4 एवं फिंगर 8 के बीच अस्थायी नो–पैट्रोलिंग जोन का निर्माण शामिल है।
- प्रस्ताव के अनुसार, पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर सैनिकों को भी अपने मूल पदों पर वापस जाना है।

स्टेटस क्वो –

- यथास्थिति या स्टेटु क्वो एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है मौजूदा स्थिति।

तीस मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) परियोजना –

समाचार –

- भारतीय खगोलविदों ने हवाई में मौना किआ में स्थापित किए जा रहे थर्टी मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) प्रोजेक्ट के बैक–एंड इंस्ट्रूमेंट्स एवं संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन पर 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया घेज के साथ मिलकर काम किया था।
- टीएमटी परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के माध्यम से, कैलटेक, कैलिफोर्निया, कनाडा, जापान, चीन एवं भारत के विश्वविद्यालयों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है।
- 'थर्टी मीटर' दर्पण के 30–मीटर व्यास को संदर्भित करता है, जिसमें ग्लास के 492 खंडों को मिलाकर बनाया गया है।

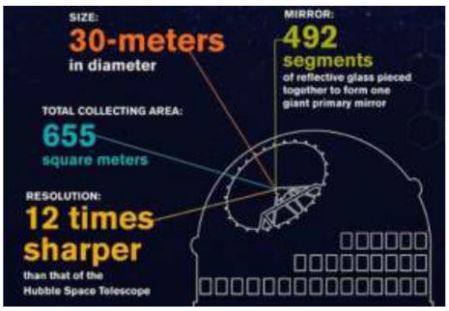

विवरण –

- एक बार पूरा होने के बाद, यह दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा दृश्यमान दूरबीन के रूप में तीन गुना चौड़ा होगा।
- दर्पण जितना बड़ा होगा, उतनी ही अधिक रोशनी एक टेलीस्कोप एकत्रित कर सकता है, जिसका अर्थ है, बदले में, यह आगे, दूर की वस्तुओं को 'देख' सकता है।
- यह वर्तमान टेलीस्कोपों की तुलना में 200 गुना अधिक संवेदनशील होगा एवं हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना बेहतर वस्तुओं को हल करने में सक्षम होगा।
- टीएमटी को मध्य–अवरक्त (0.31 से 28 माइक्रोन तरंग दैर्ध्य) अवलोकनों के करीब–पराबैंगनी विकिरणों के लिए डिजाइन किया गया है, जो छवि धुंधलेपन को ठीक करने में सहायता करने के लिए अनुकूली प्रकाशिकी की विशेषता है।
- इसके प्रमुख उपयोगों में से एक एक्सोप्लैनेट का अध्ययन होगा, जिनमें से कई पिछले कुछ वर्षों में पाए गए हैं, एवं क्या उनके वायुमंडल में जल वाष्प या मीथेन संभव जीवन के हस्ताक्षर होते हैं।

मौना किया

- यह हवाई द्वीप के एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है
- इसका शिखर समुद्र तल से 4,207.3 मीटर (13,803 फीट) है, जो इसे हवाई राज्य में उच्चतम बिंदु बनाता है।
- मौना किया दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है, जिसकी ऊँचाई 10,211 मीटर (33,500 फीट) है। (पर्वत के आधार से उसके शिखर के ऊँचाई के संदर्भ में।

दूरबीन –

- टीएमटी ऑब्जर्वेटरी का केंद्रबिंदु 30 मीटर (98 फीट) व्यास के प्राथमिक दर्पण के साथ रिती–चेरेतिन दूरबीन होना है।
- इस दर्पण 492 छोटे (1.4 मीटर) के खंडों से बना है, व्यक्तिगत हेक्सागोनल दर्पण शामिल हैं। प्रत्येक खंड का आकार, साथ ही पड़ोसी खंडों के सापेक्ष इसकी स्थिति को सक्रिय रूप से नियंत्रित किया जाता है।

वैज्ञानिक उपकरण –

- वाइड फील्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर (WFOS)
- इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (IRIS)
- इन्फ्रारेड मल्टी–ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर (IRMS)

टॉप टु द टोटल योजना

समाचार –

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल्स, 50% परिवहन सब्सिडी अब पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के 41 अधिसूचित फलों एवं सब्जियों के लिए भारत के किसी भी स्थान पर हवाई परिवहन के लिए उपलब्ध कराई गई है।
- एयरलाइंस वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई शुल्क का केवल 50% चार्ज करने के तरीके से परिवहन सब्सिडी सीधे आपूर्तिकर्ता/कंसाइनर/कंसाइनी/एजेंट को प्रदान करेगी एवं सब्सिडी के रूप में MoFPI से शेष 50% का दावा करेगी।
- परिवहन सब्सिडी पहले अक्टूबर 2020 से किसान रेल योजना के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत बढ़ा दी गई थी। रेलवे ने अधिसूचित फल एवं सब्जियों पर केवल 50% माल भाड़ा शुल्क लगाया है।

पात्र फसलें –

- फल (21) – आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, मौसम्बी, नारंगी, किनौनी, चूना, नींबू, पपीता, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, जुनून फल, नाशपाती, शकरकंद, चीकूय
- सब्जियां (20) – फ्रेंच बीन्स, बिटर लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरा), ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलायची, कद्दू, अदरक, गोभी, स्क्वैश एवं हल्दी (सूखा)

योग्य हवाई अड्डें –

- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम (बागडोगरा), एवं उत्तर–पूर्व से त्रिपुरा, एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों के सभी हवाई अड्डे।

ऑपरेशन ग्रीन –

- ऑपरेशन ग्रीन्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक परियोजना है।
- इसका लक्ष्य भारत में टमाटर, प्याज एवं आलू की फसलों (TOP फसलों) की आपूर्ति को स्थिर करना है।
- यह योजना देश भर में उनकी उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगी, मूल्य–अस्थिरता के बिना साल भर।
- इसे भारत के 2018–2019 के केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था।
- इसे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि–रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

समाचार –

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ने डाकिया के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक धर्मार्थ सेवा की पहल शुरू की है।
- जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनरों को सुविधाजनक एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा।
- जीवन सुरक्षा पोर्टल नवंबर 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

भारतीय डाक भुगतान बैंक –

- भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित है।
- IPPB संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के साथ काम कर रहा है।
- IPPB का लक्ष्य भारत के 155,015 डाकघरों को एक्सेस प्वाइंट के रूप में एवं 3 लाख डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
- IPPB तीसरे पक्ष, बिल एवं उपयोगिता भुगतान के माध्यम से बचत खाते, धन हस्तांतरण एवं बीमा प्रदान करता है।

जीवन प्रणाम –

- जीवन प्रेरणा पेंशनरों के लिए आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है। इसे 10 नवंबर 2014 को प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
- जीवन प्रतिमा पेंशन के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में एक भौतिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के साथ दूर करेगी, ताकि पेंशन की निरंतरता उनके खाते में जमा हो सके।
- जीवन प्रचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग द्वारा विकसित किया गया है।

विवरण –

- पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने डाकघर एवं ग्रामीण डाक सेवकों को विशाल नेटवर्क का उपयोग करते जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनरों को घर पहुँच सुविधा प्रदान की है।
- इसके परिणामस्वरूप, देश भर में बड़ी संख्या में पेंशनभोगी बैंक की शाखा में आए बिना दरवाजे की सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
- यह सुविधा अन्य सुविधाओं के अलावा होगी जैसे कि घर बैठे ही बैंक खाते से पैसे निकालना आदि।

सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के तहत मसौदा नियम

समाचार –

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को जारी किया।
- मंत्रालय ने 13 नवंबर को मसौदा नियमों को अधिसूचित किया एवं 45 दिनों के भीतर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी।

मुख्य विचार –

- कर्मचारियों के भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा, निर्माण श्रमिक (BOCW) एवं उपकर के संबंध में नियम, सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए गए हैं।
- नियम के तहत बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, श्रमिकों को श्रम मंत्रालय पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
- नियम आधार (कार्ड) –आधारित पंजीकरण के लिए प्रदान किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों एवं मंच श्रमिकों का पंजीकरण शामिल है।

नियमों –

- जब कोई कार्यकर्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो वह उन राज्यों से लाभ प्राप्त करने का हकदार है जहां वह वर्तमान में काम कर रहा है। यह यह सुनिश्चित करना कि लाभ पलायित श्रमिकों तक पहुंचे यह भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी है।
- नियमों में कर्मचारी जो निश्चित अवधि के रोजगार में थे की ग्रेच्युटी भी शामिल है।
- यह एक प्रतिष्ठान का एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण भी प्रदान करता है एवं बंद गतिविधियों के मामले में पंजीकरण का एकल इलेक्ट्रॉनिक रद्द भी करता है।
- नियम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों द्वारा स्व–मूल्यांकन एवं उपकर के भुगतान की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। स्व–मूल्यांकन के लिए, नियोक्ता राज्य लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्दिष्ट निर्माण की लागत की गणना करेगा। निर्माण की लागत की गणना भी रिटर्न या रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।

- विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की दर 2% से घटाकर 1% प्रति माह कर दी गई है।
- नियमों के तहत, आकलन करने वाले अधिकारी के पास यह निर्देश देने की शक्तियां होती हैं कि कोई भी मशीनरी या सामग्री निर्माण स्थल से विचलित या निकाली नहीं जाएगी। नियमों ने निर्माण कार्य को रोकने के लिए अधिकारी की शक्तियों को वापस ले लिया है। इसके अलावा, नए नियमों के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के सचिव की पूर्व स्वीकृति के साथ ही स्थल का दौरा करेगा।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020

समाचार –

- 15 वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) 14 नवंबर को संपन्न हुआ।
- शिखर सम्मेलन ने ईएएस मंच को मजबूत करने एवं अपनी 15 वीं वर्षगांठ पर उभरती चुनौतियों के लिए इसे और अधिक उत्तरदायी बनाने के तरीकों पर चर्चा की एवं हा नोई घोषणा को अपनाया।
- हा नोई घोषणा के अलावा, शिखर सम्मेलन ने समुद्री स्थिरता, महामारी निवारण एवं प्रतिक्रिया, महिलाओं, शांति एवं सुरक्षा, एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास पर चार अन्य नेताओं के बयानों को भी अपनाया।

हा नोई घोषणा –

- इसने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की निम्नलिखित घोषणाओं की पुष्टि की
  - 2005 कुआलालंपुर घोषणा
  - 2010 हा नोई घोषणा
  - 2011 बाली घोषणा
  - 2015 कुआलालंपुर घोषणा
- घोषणा ने आसियान–केंद्रित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दिया।
- शिखर सम्मेलन ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को एक प्रभावी मंच के रूप में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- इसने नोम पेन्ह घोषणा (2018–2022) को आगे बढ़ाने के लिए मनीला प्लान ऑफ एक्शन के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। यह पूर्वी एशिया विकास पहल पर केंद्रित है।

मुख्य विचार –

- दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में विश्वास को खत्म करने पर चिंता व्यक्त की गई।
- भारत के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के महत्व की बात की, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान किया, एवं एक नियम–आधारित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- चीन सभी दक्षिण चीन सागर की संप्रभुता का दावा करता है जहाँ विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार है।
- भारत इस क्षेत्र में नियम–आधारित आदेश को बढ़ावा दे रहा है। यह मुख्य रूप से UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) का पालन करने के बारे में है।
- नेताओं ने कोविड–19 टीकों को सुरक्षित, प्रभावी एवं सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया।
- उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को एक समीचीन एवं स्थायी आर्थिक सुधार के लिए खुला रखने में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
- दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, कोरियाई प्रायद्वीप एवं राखीन राज्य की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन –

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) सालाना आयोजित होने वाला एक क्षेत्रीय मंच है।
- प्रारंभ में, इसमें आसियान के छह तंत्र के आधार पर पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण एशियाई एवं महासागर क्षेत्रों में 16 देश शामिल थे।
- 2011 में छठे ईएएस में रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के शामिल होने से सदस्यो की संख्या 18 हो गई।
- अपनी स्थापना के बाद से, आसियान ने मंच में केंद्रीय भूमिका एवं नेतृत्व को रखा है।
- ईएएस बैठकें वार्षिक आसियान नेताओं की बैठकों के बाद आयोजित की जाती हैं एवं एशिया–प्रशांत के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- पहला शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में 14 दिसंबर 2005 को हुआ था।

12 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

समाचार –

- प्रधानमंत्री 17 नवंबर को रूस द्वारा आयोजित 12 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
- **थीम** – ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ।
- शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ एवं कोविड–19 महामारी के मध्य की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है।

चर्चा के क्षेत्र –

- नेता वैश्विक संदर्भ में इंट्रा–ब्रिक्स सहयोग एवं प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें –
  - बहुपक्षीय प्रणाली का सुधार,
  - चल रही कोविड–19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपाय, तथा
  - आतंकवाद से निपटने में सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं लोगों से लोगों का आदान–प्रदान, शामिल हैं।

बीआरआईसी –

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओंरू ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए तैयार किया गये संस्थान का संक्षिप्त नाम है।
- 2009 के बाद से, ब्रिक्स राष्ट्रों ने औपचारिक शिखर सम्मेलन में सालाना बैठके की हैं।
- ब्रिक्स को एक प्रभावशाली ब्लॉक के रूप में जाना जाता है जो 3.6 बिलियन से अधिक या दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 16.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर है।

- ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध मुख्य रूप से गैर–हस्तक्षेप, समानता एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, जो अपनी स्थापना के बाद से भारत के लिए 2012 एवं 2016 के बाद तीसरी बार होगी।
- भारत अगले साल 13 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

पेरू के राष्ट्रपति

समाचार –

- पेरू के राष्ट्रपति मैनुअल मेरिनो को सत्ता से बाहर कर दिया गया अर्थात इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।

मुद्दा –

- 9 नवंबर, 2020 को पेरू के विधानमंडल द्वारा मैनुअल के पूर्ववर्ती मार्टिन विजकार्रा पर महाभियोग लगाया गया था। उन पर यह साबित ना किए जा से भ्रष्टाचार के अभियोगों के आधार पर लगाया गया था।
- विज्कारा ने एक विरोधी–भ्रष्टाचार एजेंडे का वादा किया था जिसने पेरू सरकार की न्यायिक एवं विधायी शाखाओं में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुधारों की शुरुआत की थी। इसे देश के अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा खतरे के रूप में देखा गया था।
- विजकारा किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है।
- विज्कारा ने 2019 में 130 सदस्यीय एकपक्षीय विधायी निकाय को भंग कर दिया जिससे देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। इसके चलते जनवरी 2020 में संसदीय चुनाव हुए।
- चुनावों में, पेरू ने पार्टियों के ऐतिहासिक विभाजन को देखा। अंत में, किसी भी पार्टी को चुनावों में 11% से अधिक वोट नहीं मिले।
- चुनावों के बाद से, पेरू कांग्रेस ने विजकार्रा को सत्ता से हटाने की मांग की थी।

पेरू का संविधान –

- 1992 में संवैधानिक संकट के बाद पेरू का वर्तमान संविधान मसौदा और अधिनियमित किया गया था।
- वर्तमान संविधान राष्ट्रपति को अधिक अधिकार देता है।

पेरू –

- यह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का एक देश है।
- पेरू एकात्मक राष्ट्रपति लोकतांत्रिक गणराज्य है।
- यह मल्टी–पार्टी सिस्टम का अनुसरण करता है।
- एकात्मक का अर्थ है केंद्र सरकार अंततः सर्वोच्च है। भारत एकात्मक है।
- पेरू अनिवार्य मतदान प्रणाली का अनुसरण करता है।
- अर्थात, अगर मतदान करने की पात्र आयु (18–70 वर्ष) से संबंधित नागरिक अपना वोट डालने में विफल रहता है, तो उसे कानून के तहत दंडित किया जाता है।

मालाबार अभ्यास

समाचार –

- उत्तरी अरब सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास मालाबार 2020 का दूसरा चरण।
- भाग लेने वाले देश – ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएँ।

मालाबार अभ्यास का इतिहास –

- मालाबार अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं भारत का त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
- मूल रूप से 1992 में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ।
- जापान 2015 में एक स्थायी भागीदार बन गया।
- विगत गैर–स्थायी प्रतिभागियों में सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- वार्षिक मालाबार अभ्यास में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें लड़ाकू विमानवाहक युद्धपोत से लेकर समुद्री अंतर्जनपदीय संचालन, एंटीसुमारमाइन युद्ध जैसे युद्धक संचालन शामिल हैं।
- 2020 में अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी रही, यह 13 वर्षों में पहली बार था कि क्वाड के रूप में ज्ञात क्षेत्रीय समूह के सभी सदस्य सैन्य रूप से साथ थे।

डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति

समाचार –

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के फैसले का पालन करने के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार एवं वर्तमान मामलों को अपलोड/स्ट्रीमिंग में शामिल योग्य संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसे सरकार ने अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफडीआई की अनुमति दी थी।

विवरण –

- मंत्रालय ने समाचार एवं करंट अफेयर्स के अपलोडिंग एवं स्ट्रीमिंग में शामिल पात्र संस्थाओं को सुविधा देने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
- डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सरकार के निर्णय का पालन करने के लिए, जिसे सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% FDI की अनुमति दी गई है।
- 26 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली इकाइयां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक महीने के भीतर सूचना दे सकती हैं।
- उन्हें अपने निदेशकों एवं शेयरधारकों के नाम एवं पते के साथ कंपनी, इकाई एवं इसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण प्रदान करना होगा।
- कोई भी इकाई जो देश में नए विदेशी निवेश लाने का इरादा रखती है, उसे DPIIT के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- प्रत्येक इकाई को निदेशक मंडल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नागरिकता की आवश्यकताओं का पालन करना होता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश –

- एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एक निवेश एक फर्म या व्यक्ति द्वारा एक देश में दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया जाता है। आम तौर पर, एफडीआई तब होता है जब कोई निवेशक विदेशी व्यापार संचालन स्थापित करता है या किसी विदेशी कंपनी में विदेशी व्यापार परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करता है।

गोल्डन वीजा –

समाचार –

- यूएई ने विशिष्ट डिग्री धारकों एवं अन्य सहित कुछ व्यवसायों के लिए 10 साल के निवास की अनुमति देने वाले 'गोल्डन' वीजा अनुदान को मंजूरी दी है।

गोल्डन वीजा –

- गोल्डन कार्ड मई 2019 में प्रधान मंत्री एवं दुबई के शासक द्वारा घोषित एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है।
- गोल्डन कार्ड को शुरू में एक स्थायी निवास प्रणाली के रूप में बिल किया गया था, लेकिन रेजिडेंसी एवं विदेश मंत्रालय के सामान्य निदेशालय ने इसे दीर्घकालिक, 10–वर्षीय वीजा के रूप में स्पष्ट किया है।

विवरण –

- दुबई के नेता ने कहा कि वीजा अनुदान 'डॉक्टरेट डिग्री के सभी धारकों, सभी डॉक्टरों, कंप्यूटर के क्षेत्र में इंजीनियरों, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, बिजली एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए होगा।
- वीजा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़े डेटा या महामारी विज्ञान एवं वायरस में विशिष्ट डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा।
- देश में पहले हाई स्कूल के छात्रों के लिए वीजा के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- मध्य पूर्व के व्यापार एवं पर्यटन केंद्र दुबई के अमीरात ने कहा कि यह प्रति पांच वर्ष में अमीर विदेशी यात्रियों को अक्षय नवीकरण प्रदान करेगा।

यह कदम क्यों उठाया गया है?

- संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था को कोरोनोवायरस महामारी एवं कम तेल की कीमतों ने प्रभावित किया है, जिससे कई प्रवासियों को निकलने का मौका मिला है।
- यह विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करेगा एवं दुनिया के सबसे उज्ज्वल दिमागों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में कैरियर की अपील को जोड़ते हुए नवाचार, रचनात्मकता एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।

पृष्ठभूमि –

- यूएई में विदेशियों के पास आमतौर पर नवीकरणीय वीजा होता है जो केवल कुछ वर्षों के लिए उनके रोजगार से जुड़ा होता है।
- 9 मई 2019 में, यूएई ने 5 एवं 10–वर्षीय नवीकरणीय वीजा देना शुरू किया।

भारत के लिए महत्व –

- इस फैसले से खाड़ी देशों में अधिक भारतीय पेशेवर एवं व्यापारी आकर्षित होंगे एवं भारत–यूएई संबंध मजबूत होंगे।
- यह उन भारतीयों की वापसी की सुविधा भी देगा जो कोविड–19–संबंधित प्रतिबंधों में छूट के बाद काम फिर से शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए भारत ने नवंबर 2020 की शुरुआत में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्यों से अनुरोध किया था।

भारत–बहरीन समझौते

समाचार –

- भारत एवं बहरीन रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

विवरण –

- दोनों देशों ने रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढांचे, आईटी, फिनटेक, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मुद्दों के संपूर्ण सरगम पर चर्चा की एवं कोविड की चुनौतियों से निपटने में सहयोग एवं समन्वय सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर चर्चा की।
- भारत ने अगले कुछ महीनों में तीसरे भारत–बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आने के लिए बहरीन के निमंत्रण को नवीनीकृत किया।
- उन्होंने दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया।

- हवाई बुलबुले (यात्रा गलियारे या यात्रा बुलबुले) दो देशों के बीच स्थापित सिस्टम हैं जो एक दूसरे को सुरक्षित मानते हैं एवं दोनों देशों के वाहक को किसी भी प्रतिबंध के बिना यात्रियों को उड़ाने की अनुमति देते हैं।

भारत–बहरीन संबंध –

- बहरीन–भारत संबंध भारत एवं बहरीन के बीच राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक, सैन्य एवं सांस्कृतिक संबंध हैं।
- किंगडम अपनी खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के सबसे प्रमुख समर्थकों में से है।

द्विपक्षीय समझौते/समझौता ज्ञापन –

- प्रत्यर्पण संधि (जनवरी 2004)
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (मई 2012)
- संयुक्त उच्चायोग की स्थापना पर एमओयू (फरवरी 2014)
- जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन पर एमओयू (फरवरी 2015)
- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग पर समझौता, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध एवं अवैध ड्रग्स, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं मनोवैज्ञानिक पदार्थ एवं अग्रदूत रसायन (दिसंबर 2015)
- डिप्लोमैटिक एंड स्पेशल/ऑफिशियल पासपोर्ट (जुलाई 2018) के होल्डर्स के लिए शॉर्ट स्टे वीजा से छूट पर रिन्यूएबल एनर्जी एवं हेल्थकेयर के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (जुलाई 2018)
- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग में सहयोग पर बववचमतंजपवद समझौता ज्ञापन (मार्च 2019)

पिरीयड प्रोडक्ट (निःशुल्क प्रावधान) (स्कॉटलैंड) विधेयक

समाचार –

- स्कॉटलैंड ने सभी महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी उत्पाद दिया, जो 'पिरीयड पोवर्टी' के खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया।

पिरीयड पोवर्टी –

- 'पिरीयड पोवर्टी' में मासिक धर्म रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए पैड, टैम्पोन, या लाइनर जैसे उत्पादों को वहन करने में असमर्थ होने की प्रचलित घटना को संदर्भित किया गया है।
- मासिक धर्म के उत्पादों की कमी के कारण स्कूलों में प्रति 5 में से 1 लड़कीं के अनुपस्थित होने के साथ, 'पिरीयड पोवर्टी' महत्वपूर्ण है फिर भी अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में इसे नजरअंदाज किया जाता है।

विवरण –

- यह उपाय सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों एवं फार्मेसियों, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 24 मिलियन पाउंड ($ 32 मिलियन यूएस) की अनुमानित वार्षिक लागत पर, टैम्पोन एवं सैनिटरी पैड उपलब्ध कराता है।
- 2018 में, स्कॉटलैंड स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बन गया।
- अब जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया है, ब्रिटिश वित्त मंत्री ने कहा है कि वह जनवरी 2021 में 'टैम्पोन टैक्स' को समाप्त कर देगा।

टैम्पोन टैक्स –

- टैम्पोन टैक्स एक लोकप्रिय शब्द है जिसका इस्तेमाल टैम्पोन, एवं अन्य स्त्री–स्वच्छता उत्पादों पर लगाया जाता है, जो आवश्यक माना जाने वाले अन्य उत्पादों के लिए कर छूट की स्थिति के विपरीत मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर के अधीन है।
- कर छूट के समर्थकों का तर्क है कि टैम्पोन, सैनिटरी नैपकिन, मासिक धर्म कप एवं तुलनीय उत्पाद महिलाओं के लिए बुनियादी, अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं एवं इस प्रकार उन्हें कर–मुक्त बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्तियाँ

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

क्षमा

- इसमें सजा एवं दोषसिद्धी दोनों को हटा देता है एवं अपराधी को सभी सजाओं, दोषसिद्धीयों एवं अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ

- अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित वाक्यों को माफ करने का संवैधानिक अधिकार है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह शक्ति 'सीमा के बिना दी गई है' एवं कांग्रेस द्वारा प्रतिबंधित नहीं की जा सकती।
- क्षमादान एक व्यापक कार्यकारी शक्ति है, एवं विवेकाधीन है जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपने क्षमा के लिए जवाबदेह नहीं है एवं उसे जारी करने के लिए कोई कारण नहीं देना है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं। यूएसए में एक राष्ट्रपति प्रणाली है।
- अनुच्छेद II, अमेरिकी संविधान की धारा 2 में कहा गया है कि सभी राष्ट्रपतियों के पास महाभियोग के मामलों को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपराधों के लिए रेप्रीव्स एवं क्षमा देने की शक्ति होगी।

भारतीय राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ

- जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित स्थितियों में क्षमा प्रदान करने की शक्तियों के साथ अधिकार दिया गया है –
  – सजा केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए है।
  – जब सजा एक सैन्य अदालत द्वारा होती है।
  – मौत की सजा में

राज्यपाल की क्षमा शक्तियाँ –

- लेख 161 के अनुसार, एक राज्य के राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंर्तगत किसी भी कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा में माफी देने, राहत देने, या सजा देने के को निलंबित करने, हटाने या मनाने की शक्ति है।
- कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मौत की सजा को क्षमा कर सकता है।
- लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल इस शक्ति का आनंद नहीं लेता है।

भारत–अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता

समाचार –

- भारत एवं अमेरिका ने भारत–अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है।
- भारत इस समझौते के आधार पर अमेरिका से परमाणु सामग्री खरीदता है। समझौते के विस्तार पर **परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र (GCNEP)**, पर हस्ताक्षर किए गए थे।

दोनों सरकारों की प्रतिबद्धताएँ –

- परमाणु सुरक्षा एवं सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास के लिए एक प्रेरणा देने के उद्देश्य से पहल पर सहयोग को बढ़ावा देना।
- उन्नत परियोजनाओं पर सहयोग करके परमाणु एवं अन्य रेडियोधर्मी सामग्री सुरक्षा पर वार्तालाप को गहरा करें।
- दोनों सरकारों एवं संबंधित संस्थाओं की एजेंसियों को शामिल करना।
- जीसीएनईपी की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का निर्माण करें, एवं यह सु.ढ़ करें कि दोनों देश संयुक्त रूप से क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता–निर्माण के अवसरों का विकास एवं/या वितरण करके परमाणु एवं रेडियोधर्मी सामग्री (ऑनलाइन सामग्री सहित) सुरक्षा के लिए भागीदार हैं।

परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र (GNEP)

- यह पहला विश्व परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र है।
- इसकी स्थापना हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ तहसील के खेरी जसौर गाँव में की गई थी।

- यह केंद्र परमाणु रिएक्टरों एवं परमाणु ईंधन चक्र में नवाचार, प्रसार प्रतिरोधी रिएक्टरों के विकास, सुरक्षा प्रौद्योगिकियों एवं विकिरण जोखिम के प्रभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के विचार–विमर्श एवं विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान करता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा

- भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। वर्तमान में, भारत में 3.22% बिजली परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न होती है।
- भारत में दुनिया में यूरेनियम भंडार सीमित है। यह लगभग 54,636 टन सुनिश्चित परमाणु संसाधन रखता है।
- भारत के परमाणु ऊर्जा निगम के अनुसार, भारत के परमाणु संसाधन लगभग 40 वर्षों तक केवल 10 गीगावॉट बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए, भारत को विदेशों से परमाणु सामग्री आयात करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन – III

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

मूँगे की चट्टानें (कोरल रीफ्स)

समाचार –

- मुंबई सिविक बॉडी (BMC) को मुम्बई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के तट से दूर 18 कोरल कालोनियों के स्थान परिवर्तन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) से स्वीकृति प्राप्त हुई।

मूँगा –

- मूँगा पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे समुद्री जानवर हैं जो जेलिफिश एवं एनीमोन से संबंधित हैं।
- कोरल पॉलीप्स छोटे, मुलायम शरीर वाले जीव हैं।
- उनके आधार पर एक कठिन, सुरक्षात्मक चूना पत्थर का कंकाल होता है, जिसे एक केल्सिल कहा जाता है, जो प्रवाल भित्तियों की संरचना बनाता है।
- कोरल 2 प्रकार के होते हैं –
  – स्टोनी, उथले–पानी के कोरल – जिस तरह से चट्टानें बनती हैं।
  – शीतल मूंगे एवं गहरे पानी वाले कोरल जो गहरे ठंडे पानी में रहते हैं।

मूंगे की चट्टानें

- रीफ्स तब शुरू होती है जब एक पॉलीप खुद को सीफ्लोर पर एक चट्टान से जोड़ता है, फिर विभाजित करता है, या कलियों को हजारों क्लोन में विभाजित करता है। पॉलीप कैलिकल्स कनेक्ट करते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं जो एकल जीव के रूप में कार्य करता है।
- जैसे–जैसे उपनिवेश सैकड़ों एवं हजारों वर्षों में बढ़ते हैं, वे अन्य उपनिवेशों के साथ जुड़ते जाते हैं एवं चट्टान बन जाते हैं।
- नरम कोरल भी हैं, जो झाड़ियों, घास, पेड़ों से मिलते जुलते हैं।
- कोरल रीफ्स समुद्र तल के 1% से कम को कवर करते हैं लेकिन वे पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक एवं विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं। उन्हें अपनी जैव विविधता के लिए समुद्र के वर्षावन के रूप में जाना जाता है।
- कोरल रीफ पानी के नीचे के शहरों की तरह हैं जो समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं।

खतरा –

- जलवायु परिवर्तन कोरल के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है। दुनिया भर में, यह खतरा कोरल के 'विरंजन' में दिखाई देता है।
- दुनिया भर में कोरल रीफ तनाव में हैं।
- विशेष रूप से, मूंगा खनन, कृषि एवं शहरी अपवाह, प्रदूषण (जैविक एवं अकार्बनिक), अतिप्रवाह, मछली पकड़ने की अधिकता, एवं नहरों की खुदाई मूंगा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्थानीयकृत खतरे हैं।
- दुनिया की लगभग 10% प्रवाल भित्तियाँ मृत हैं। दुनिया की लगभग 60% चट्टानें मानव संबंधी गतिविधियों के कारण खतरे में हैं।
- दुनिया के 50% से अधिक प्रवाल भित्तियों को 2030 तक नष्ट हो सकती है।
- कैरिबियन एवं उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में, सामान्य समुद्री शैवाल के 40–70% के बीच सीधा संपर्क विरंजन एवं मृत्यु का कारण बनता है।
- लिपिड–घुलनशील चयापचयों के हस्तांतरण के माध्यम से प्रवाल का 1–2°C (1.8°F – 3.6° F) से अधिक पानी का तापमान परिवर्तन या लवणता परिवर्तन प्रवाल की कुछ प्रजातियों को मार सकते हैं।

प्रवाल विरंजन –

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके दौरान गर्म मौसम से होने वाले तनाव में, कोरल, उस शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, इससे कोरल को शानदार रंग मिलता हैं एवं वह कोरल के ऊतकों में रहती हैं एवं अपना भोजन बनाती हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ को 1998, 2002, 2006, 2016, 2017 एवं अब 2020 में सामान्य महासागरों के तापमान की वजह से छह बड़े विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा है।
- द ग्रेट बैरियर रीफ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है एवं इस ग्रह पर मूंगा भित्तियों के सबसे बड़े संग्रह में से एक है।

मुंबई में कोरल एवं उनका स्थान परिवर्तन –

- मुम्बई तट के किनारे चट्टानी पैच में पाए जाने वाले मूंगे ज्यादातर तेजी से बढ़ते हैं एवं रीफ का निर्माण ना करने वाले कोरल हैं।
- हाजी अली की कॉलोनियों को मरीन लाइन्स एवं वर्ली में निर्माण स्थल से कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जाएगा।

- मूंगों का स्थान परिवर्तन भारतीय तटरेखा पर नवजात अवस्था में है। यह कठिन है एवं भारत में बहुत सफल नहीं रहा है।
- जीवित रहने की दर, विधि, परिवर्तन के स्थल एवं उच्च गर्मी प्रतिरोधी प्रवाल कालोनियों का निर्माण आदि के अध्ययन करने के लिए लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर पायलट परियोजनाएं, एवं कच्छ एवं तमिलनाडु के तट पर, किए गए हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि जीवित रहने की उच्च दर के लिए, एक जगह पर समान पर्यावरणीय विशेषताओं जैसे कि गहराई, वर्तमान प्रवाह, प्रकाश की मात्रा, एवं दबाव के साथ कोरल का स्थान परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है।

मूंगा भित्तियों का महत्व –

- कोरल रीफ पानी के नीचे के शहरों की तरह हैं जो समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं।
- वे दुनिया भर में कम से कम आधा अरब लोगों को खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका प्रदान करते हैं।
- कोरल रीफ्स समुद्र एवं तट रेखा के बीच 'वेव ब्रेक' के रूप में भी काम करते हैं एवं समुद्री क्षरण के प्रभाव को कम करते हैं।
- भारत में, कोरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत हैं।
- कोरल रीफ्स समुद्र एवं तट रेखा के बीच 'वेव ब्रेक' के रूप में भी काम करते हैं एवं समुद्री क्षरण के प्रभाव को कम करते हैं।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

समाचार –

- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
- मिशन का उद्धेश्य, मुद्धे को गति, पैमाने एवं कौशल के साथ लागू करने के लिए विभिन्न पहलूओं पर चर्चा करना है।
- जल जीवन मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर में दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित मात्रा में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति का आश्वासन हो।

जल जीवन मिशन के तहत घटक –

- JJM के तहत निम्नलिखित घटक है –
  – प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गाँव के पाइप से जलापूर्ति की बुनियादी सुविधाओं का विकास
  – जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास एवं/या मौजूदा स्रोतों का संवर्द्धन
  – जहां भी आवश्यक हो, हर ग्रामीण घर को पूरा करने के लिए थोक जल अंतरण, उपचार संयंत्र एवं वितरण नेटवर्क
  – जहां पानी की गुणवत्ता एक मुद्दा है, वहां से प्रदूषण को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
- न्यूनतम 55 lpcd के सेवा स्तर पर FHTCs प्रदान करने के लिए पूर्ण एवं चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग।

ग्रे–वाटर प्रबंधन –

- समर्थन गतिविधियाँ, अर्थात् IEC, HRD, प्रशिक्षण, उपयोगिताओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी, अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता निर्माण इत्यादि।
- प्राकृतिक आपदाओं/आपदाओं के कारण उभरने वाली कोई अन्य अप्रत्याशित चुनौती / मुद्दे जो फ्लेक्सी फंड्स पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 2024 तक हर घर में FHTC के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं।

सेना विमानन कोर

समाचार –

- भारतीय सेना की सबसे युवा वाहिनी, आर्मी एविएशन कॉर्प्स (AAC) ने 1 नवंबर को अपना 35 वां वाहिनी दिवस मनाया।
- यह आधुनिक समय के युद्धक्षेत्रों में प्रासंगिक है, जिसमें काउंटर–इंसर्जेंसी एवं काउंटर–टेररिज्म (CI–CT) ऑपरेशन शामिल हैं।

उत्पत्ति एवं महत्व –

- इसकी उत्पत्ति का पता 1942 में भारत में रॉयल एयर फोर्स के आर्मी एविएशन विंग, एवं अगस्त 1947 में पहली भारतीय एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के गठन के बाद लगाया जा सकता है।
- एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट इकाइयों ने मुख्य रूप से तोपखाने के स्पॉटर्स के रूप में काम किया।
- 1965 एवं 1971 के युद्धों में, एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन की सीमाओं के करीब उड़ान भरने एवं जमीन पर स्पॉट टारगेट की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1986 में 1 नवंबर को कोर को एक अलग गठन के रूप में निर्मीत किया गया।
- अब यह अपने अधिकारियों एवं लोगो को सेना की सभी शाखाओं से लेता है जिसमें आर्टिलरी आर्म्स की एक महत्वपूर्ण संख्या भी शामिल है।
- निर्माण के तुरंत बाद, तमिल टाइगर्स के खिलाफ श्रीलंका के ज्यादातर जंगल क्षेत्रों में, कोर की इकाइयों को भारतीय पवन सेना बलों द्वारा ऑपरेशन पवन में कार्रवाई में दबाया गया था।
- जब से एएसी हेलीकॉप्टर सभी प्रमुख संघर्ष परिदृश्यों में लड़ाई संरचनाओं का एक अविभाज्य हिस्सा रहा है, एवं शांति के समय यह जीवन रक्षक संपत्ति है।

राष्ट्रपति का वर्ण –

- पिछले साल अक्टूबर में, राष्ट्रपति ने नासिक रोड स्थित आर्मी एविएशन बेस में आयोजित एक औपचारिक परेड में राष्ट्रपति के वर्णों को सेना विमानन कोर को प्रस्तुत किया।
- राष्ट्रपति के वर्ण, जो एक औपचारिक ध्वज है, सैन्य इकाइयों या संस्थानों को उनकी उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में, एवं युद्ध एवं शांति दोनों के दौरान उनके योगदान की मान्यता के रूप में सम्मानित किया जाता है।

वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

समाचार –

- चिकित्सा शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने "वार्षिक मबीबीएस प्रवेश विनियम (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताए' जारी की।

MBBS प्रवेश नियम (2020)

मुख्य विवरण –

- जारी की गई अधिसूचना भारत के तत्कालीन मेडिकल काउंसिल के "मेडिकल कॉलेजों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं, 1999" की जगह लेती है (एमसीआई)।
- नए विनियमन सभी नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होने का प्रस्ताव करने के लिए लागू होगा, एवं स्थापित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से अपने वार्षिक एमबीबीएस सेवन को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- नए विनियमन ने एक मेडिकल कॉलेज एवं उसके संबद्ध शिक्षण अस्पतालों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा को हटा दिया है।
- अधिसूचना संस्थान एवं कार्यात्मक क्षेत्रों में सभी छात्र–केंद्रित क्षेत्रों के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित करती है।
- मानक सभी विभागों द्वारा उपलब्ध शिक्षण स्थानों के बंटवारे की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- ई–लर्निंग के लिए सभी शिक्षण रिक्त स्थान को सक्षम करना एवं डिजिटल रूप से एक दूसरे से जुड़ा होना।
- छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित 'कौशल प्रयोगशाला' अब आवश्यक है। यह शैक्षिक अध्यापन में चिकित्सा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा इकाई को भी परिभाषित करता है।
- पुस्तकालय के लिए आवश्यक स्थान एवं पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की संख्या को युक्तिसंगत एवं कम किया गया है।
- हाल के दिनों में मेडिकल छात्रों एवं निवासियों के बीच बढ़ते तनाव को पहचानते हुए छात्र परामर्श सेवाओं को अनिवार्य किया गया है।
- नया विनियमन एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन का समय अब कम से कम 2 वर्षों के लिए पूरी तरह कार्यात्मक 300–बेड के मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की उपलब्धता को अनिवार्य करता है।
- नए विनियम में शिक्षण संकाय के मानव संसाधन को भी युक्तिसंगत बनाया गया है।
- न्यूनतम निर्धारित संकाय के ऊपर, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 'विजिटिंग फैकल्टी' का प्रावधान किया गया है।
- स्नातक मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब दो नए शिक्षण विभाग अनिवार्य हो गए हैं। इनमें आपातकालीन चिकित्सा विभाग (जिसमें पहले के आकस्मिक विभाग को प्रतिस्थापित किया गया है) शामिल हैं एवं यह विशेष रूप से आघात की आपात स्थिति के लिए उचित प्रतिक्रिया एवं पहुंच सुनिश्चित करेगाय एवं भौतिक चिकित्सा विभाग एवं पुनर्वास जो व्यापक पुनर्वास देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए एक बड़ा अंतर भर देगा।
- विनियमन ने मानकों में बताई गई न्यूनतम आवश्यकताओं से परे 'वांछनीय' एवं 'आकांक्षात्मक' लक्ष्यों को भी रेखांकित किया है।
- उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए चिकित्सा संस्थानों को प्रोत्साहित करें। इन तत्वों का उपयोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा किया जाएगा जबकि देश में चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग की जाएगी।

MCI (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया)

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है।
- यह चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है।
- इसने 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया।
- आयोग चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता प्रदान करता है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, चिकित्सा चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करता है, एवं चिकित्सा पद्धति की निगरानी करता है एवं भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आकलन करता है।
- इसे पहले जनवरी 2019 में एक अध्यादेश द्वारा 6 महीने के लिए स्थापित किया गया था एवं बाद में भारत की संसद द्वारा पारित एक स्थायी कानून बन गया।

राष्ट्रीय मानसून मिशन रिपोर्ट

समाचार –

- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा किया गया एक अध्ययन।
- परिषद ने इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से किया।
- रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय मानसून मिशन में सरकार के निवेश के आर्थिक लाभों का मूल्यांकन करना है
- सटीक पूर्वानुमान किसानों एवं मछुआरों को करोड़ों रुपये बचाने में मदद करता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (प्डक) एवं अन्य एजेंसियों की गणनानुसार सटीक मौसम पूर्वानुमान से कृषि परिवारों (किसानों एवं पशुपालकों) को कुल 13,331 करोड़ रुपये का वार्षिक आर्थिक लाभ होता है।

राष्ट्रीय मानसून मिशन –

- 2012 मिशन को 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- इसकी दृष्टि विभिन्न समयमानों पर मानसून की वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है।

उद्देश्य –

- महासागर–वायुमंडलीय मॉडल बनाने के लिए –
  – मौसमी वर्षा की मौसमी वर्षा को मौसमी समय सीमा (16 दिन से एक सीजन) तक बढ़ाना
  – मध्यम से कम समय के पैमाने (15 दिन तक) पर तापमान, वर्षा एवं चरम मौसम की घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी।
- सरकार ने अब तक मिशन में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च –

- एनसीएईआर एक नई दिल्ली स्थित गैर–लाभकारी थिंक टैंक है।
- इसकी स्थापना 1956 में हुई थी।

मुख्य निष्कर्ष –

- राष्ट्रीय मानसून मिशन पर सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, देश को 50 रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा, जो अगले पांच साल की अवधि में निवेश पर 50 गुना अधिक लाभ है।
- आईएमडी की सबसे प्रमुख मौसम सेवाएं किसानों के लिए उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए कृषि–मौसम संबंधी सेवाएं हैं।
- इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हर दिन समुद्र में जाने वाले मछुआरों को समुद्र की स्थिति का पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रदान करता है।
- 9% प्रतिशत किसानों ने फसल की बदलती किस्म/नस्ल जैसे बदलाव किए, फसल के भंडारण की व्यवस्था की, जल्दी/देरी से कटाई, परिवर्तित फसल, जल्दी/देरी से बुवाई, जुताई/भूमि की तैयारी के समय को बदल दिया, कीटनाशक आवेदन अनुसूची को बदल दिया, उर्वरक आवेदन अनुसूची को बदल दिया एवं अनुसूचित सिंचाई को बदल दिया।
- सर्वेक्षण में शामिल 94 प्रतिशत किसानों ने कहा कि इससे उन्हें नुकसान से बचने या आय बढ़ाने में मदद मिली।
- हर बार समुद्र में उद्यम करने से पहले 82 प्रतिशत मछुआरों ने ओशन स्टेट फोरकास्ट (ओएसएफ) की सलाह का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया एवं उनमें से 95 फीसदी ने सूचना दी कि OSF सलाह के बाद खाली यात्राओं से बचना चाहिए।
- अध्ययन का अनुमान है कि इससे उन्हें समुद्र में जाने से बचने में 18.25 करोड़ रुपए की परिचालन लागत बचाने में मदद मिली।
- संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र (PFZ) सलाह के परिणामस्वरूप सफल यात्राएं लगभग 1.92 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय पैदा करती हैं।

चीनी उद्योग को निर्यात सब्सिडी

समाचार –

- चीनी उद्योग ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि केंद्र सरकार 2020–21 चीनी मौसम के लिए अपने निर्यात सब्सिडी के विस्तार पर विचार नहीं कर रही है।
- उद्योग ने अत्यधिक स्टॉक के कारण क्षेत्र में एक 'ऊर्ध्वाधर पतन' की चेतावनी दी है।

चीनी उद्योग निर्यात की ओर क्यों जा रहा है?

- चीनी सीजन की शुरुआत (अक्टूबर–नवंबर) में, उद्योग अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है, जो अगले सीजन के लिए चीनी की उपलब्धता को निर्धारित करता है।
- असामान्य रूप से उच्च स्टॉक के मामले में, एक्स–मिल की कीमतें वर्तमान सीजन के साथ–साथ आगामी सीजन के लिए कम रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीनी क्षेत्र के लिए तरलता संकट होता है।
- जिस सीजन की शुरुआत हुई है, उसके लिए वार्षिक उत्पादन 326 लाख टन (इथेनॉल की एवं किसी भी तरह के बदलाव के बिना) होने का अनुमान है, एवं सीजन की शुरुआत 107 लाख टन स्टॉक के साथ हुई है।
- उद्योग के सूत्रों का अनुमान है कि चीनी का उत्पादन 20 लाख टन कम हो सकता है क्योंकि मिलों से इथेनॉल का उत्पादन होने की उम्मीद है, एवं इस प्रकार इस मौसम में कुल उपलब्ध चीनी संतुलन 413 लाख टन होने की उम्मीद है।
- सरकारी सब्सिडी की तरह निर्यात प्रोत्साहन के बिना यह असामान्य रूप से उच्च स्टॉक के परिणामस्वरूप सेक्टर का ऊर्ध्वाधर पतन होगा।

मुद्दे का हल –

- इस इन्वेंट्री को सही करने का एक तरीका कम से कम 50 लाख टन चीनी के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- (चीनी मिलें श्वेत के साथ–साथ कच्ची–अपरिष्कृत चीनी जो भूरी होती हैं) चीनी का निर्यात करती हैं।

मिलें सरकारी सब्सिडी के बिना चीनी निर्यात करने की अनिच्छुक क्यों हैं?

- मिलों की अनिच्छा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विनिर्माण लागत एवं कच्ची चीनी की मौजूदा कीमत के बीच के अंतर से उपजी है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी अनुबंध 21–22 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि उत्पादन की लागत 32 रुपये है।
- मूल्य के बेमेल ने किसी भी निर्यात संभावनाओं को खारिज कर दिया है क्योंकि इससे मिलों को ओर नुकसान होगा।
- पिछले सीजन का निर्यात केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी कार्यक्रम के कारण ही संभव था।
- इस सब्सिडी ने मिलों को उत्पादन लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच अंतर को पाटने में मदद की थी।

पृष्ठभूमि –

- भारतीय मिल्स इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जब भारतीय चीनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाई है।
- बांग्लादेश, मलेशिया एवं श्रीलंका के पारंपरिक बाजारों के अलावा, भारतीय मिलों ने अपनी उपज को ईरान, चीन, दक्षिण कोरिया एवं सोमालिया जैसे नए देशों में भेज दिया है।

भारत का चीनी उद्योग –

- गन्ना उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। भारत में, गन्ने को साल में तीन बार लगाया जाता है। भारत में अधिकांश चीनी उत्पादन स्थानीय सहकारी चीनी मिलों में होता है।
- भारत में चीनी उद्योग एक बड़ा व्यवसाय है।
- पिछले पेराई सत्र में लगभग 525 मिलों ने 30 मिलियन टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया।
- यह ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत चीनी का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, 2018–19 में देश की चीनी मिलें 35.5 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करेंगी।

तथ्य –

- पिछले 5 वर्षों में, तीन राज्यों ने भारत के चीनी उत्पादन पर राज किया है।
- उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का मिलकर चीनी उत्पादन का 66 प्रतिशत का हिस्सा हैं।
- गन्ने का प्रसंस्करण बगास, गुड़ एवं प्रेस मिट्टी उत्पन्न करता है। भारतीय चीनी उद्योग इन उप–उत्पादों का उपयोग वर्षों से बायोएथेनॉल, बिजली एवं कई अन्य उत्पादों को बनाने के लिए कर रहा है।

PRASHAD योजना

समाचार –

- केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने 'गुरुवयूर, केरल का विकास' परियोजना के तहत निर्मित 'पर्यटक सुविधा केंद्र' का उद्घाटन किया।

PRASHAD योजना –

- इस योजना के तहत 'गुरुवयूर के विकास' के लिए परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- घटक जैसे कि 'पर्यटक सुविधा केंद्र' पूरा हो गया है। परियोजनाओं के अन्य घटक हैं सीसीटीवी नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट एमिनिटीज सेंटर एवं मल्टी–लेवल कार पार्किंग। सीसीटीवी नेटवर्क पहले ही पूरा हो चुका है।

PRASHAD **योजना** –

- इसका पूर्ण रूप – तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन ड्राइव पर राष्ट्रीय मिशन है।
- यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य पहचान किए गए तीर्थ एवं विरासत स्थलों के एकीकृत विकास है।

बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से योजना –

- प्रवेश बिंदु (सड़क, रेल एवं पानी परिवहन), अंतिम–मील कनेक्टिविटी, सूचना/व्याख्या केंद्र जैसी बुनियादी पर्यटन सुविधाएं), ATM/मनी एक्सचेंज, परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल तरीके, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के साथ क्षेत्र प्रकाश एवं रोशनी, वाटर पार्किंग, पीने का पानी, शौचालय, प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाजार/हाट/स्मारिका दुकानें/कैफेटेरिया, रेन शेल्टर, दूरसंचार सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि।
- PRASAD योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।
- योजना के तहत लगभग 30 अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं की पहचान की गई है।

स्काईलार्क उपग्रह नक्षत्र

समाचार –

- स्काईलार्क पहला समर्पित उपग्रह तारामंडल होगा जो अंतरिक्ष में स्थिति का प्रबंधन, भीड़भाड़, खतरों के खतरे एवं अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को संबोधित करने वाला होगा।
- स्काईलार्क उपग्रह नक्षत्र को विशेष रूप से अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (एसएसए) के लिए डिजाइन किया गया है।
- समय की आवश्यकता है।
- स्पुतनिक 1 पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी।
- अंतरिक्ष में 2,500 से अधिक सक्रिय उपग्रहों के अलावा 29,000 ऑब्जेक्ट्स (वर्तमान में) मलबे (व्यास में 10 सेंटीमीटर से बड़े) हैं।

मुख्य विचार –

- पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं को ट्रैक करता है एवं भविष्यवाणी करता है कि वस्तुएँ किसी भी समय कहाँ जा रही हैं। इसके ग्राउंड स्टेशन यूरोप एवं कनाडा में होंगे।
- यह 12 उपग्रहों का एक नक्षत्र है जो सक्रिय एवं निष्क्रिय उपग्रहों एवं मलबे सहित अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए ऑप्टिकल सेंसर से लैस होगा जो खतरा पैदा कर सकते है।
- कनाडाई कंपनी ने नक्षत्र निर्माण के लिए पहले तीन उपग्रहों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।
- यह उन्हें 2022 के मध्य तक एवं बाकी को 2024 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
- प्रत्येक उपग्रह का वजन लगभग 200 किलोग्राम है एवं यह 60–सेंटीमीटर लंबे सेंसर से लैस है।
- तीन उपग्रहों के सेट में एक सर्पिल होता है, इसलिए नक्षत्र में अलग–अलग कक्षाओं के साथ चार सर्पिल होंगे, जो सभी गोलाकार होंगे एवं पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में पृथ्वी की सतह से लगभग 575 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगे।
- यह प्रणाली नॉर्थस्टार के एल्गोरिदम पर काम करती है ताकि अंतरिक्ष ट्रैफिक डेटा एवं टक्कर टालने वाली नेविगेशन सेवाओं एवं प्रदान की जा सके।
- सही दृष्टिकोण से डेटा प्राप्त करने के लिए उपग्रहों की आवश्यकता होती है।

चुनौतियाँ –

- 1961 में रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान के बाद से, कई अंतरिक्ष मिशनों ने इसके निर्माण में योगदान दिया है।
- अधिकांश स्पेस जंक 'लगभग 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। क्योंकि अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा एवं गति जिस स्तर पर है, वह नासा के अनुसार अंतरिक्ष एवं पृथ्वी पर अंतरिक्ष एवं पृथ्वी पर लोगों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा कर रहे हैं।

अंतरिक्ष अड्डा (स्पेस स्टेशन) –

- अंतरिक्ष–आधारित उपग्रह प्रणाली में जमीन–आधारित प्रणालियों से अधिक कुछ फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं –
  – एक वस्तु के लिए कई दृष्टि–बिंदुओं का होना
  – मौसम परिवर्तन एवं वायुमंडलीय हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं

भुमध्य कम दबाव का क्षेत्र

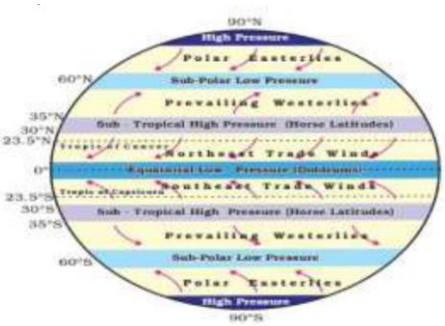

Major Pressure Belts and Wind System

- यह कम दबाव वाली बेल्ट भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में 0° से 5° तक फैली हुई है। यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के कारण तीव्र ताप होता है।
- इसलिए हवा फैलती है एवं संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है जिससे यहां कम दबाव पैदा होता है। कम दबाव वाली इस बेल्ट को डॉल्ड्रम्स भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी हवा के कुल शांत क्षेत्र है।

उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट

- लगभग 30° उत्तर एवं दक्षिण में भूमध्य रेखा के क्षेत्र में स्थित है जहाँ आरोही भूमध्यरेखीय वायु धाराएँ उतरती हैं। यह क्षेत्र इस प्रकार उच्च दबाव का क्षेत्र है। इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब पर बहती है। तो, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा की ओर व्यापार हवाओं के रूप में तथा उप–ध्रुवीय की ओर एक पच्छीमी पवनों की तरह बहती हैं।

परिध्रुवी कम दबाव पेटी

- परिध्रुवी कम दबाव पेटी प्रत्येक गोलार्ध में 60° एवं 70° के बीच स्थित होते हैं जिन्हें सरक्यूम–पोलर लो–प्रेशर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अवरोही वायु दो भागों में विभाजित हो जाती है।
- एक हिस्सा इक्वेटोरियल लो–प्रेशर बेल्ट की एवं बढ़ता है। दूसरा हिस्सा सरक्यूम–पोलर लो–प्रेशर बेल्ट की एवं बढ़ता है।
- यह क्षेत्र ध्रुवों से बहने वाली ठंडी ध्रुवीय हवा पर गर्म उपोष्णकटिबंधीय हवा की चढ़ाई द्वारा चिह्नित होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण, ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास की हवाएं भूमध्य रेखा की ओर उड़ती हैं।
- इस क्षेत्र में काम कर रहे केन्द्रापसारक बल कम दबाव वाले बेल्ट को उचित रूप से सर्कुलेटर लो–प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यह क्षेत्र सर्दियों में हिंसक तूफानों से चिह्नित होता है।
- ध्रुवीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर, 70° से 90° उत्तर एवं दक्षिण के बीच, तापमान हमेशा बेहद कम होता है। ठंड में उतरती हवा उच्च दबाव को जन्म देती है।
- ध्रुवीय उच्च दबाव के इन क्षेत्रों को ध्रुवीय उच्च के रूप में जाना जाता है।
- इन क्षेत्रों में स्थायी आइस कैप्स (हिमभंडार) पाए जाते हैं।

बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई)

समाचार –

- द लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार, भारत उन देशों में क्रमशः नीचे से तीसरे एवं पांचवें स्थान पर है जहां 19 वर्षीय लड़कियों एवं लड़कों का बॉडी मास इंडेक्स कम है। अध्ययन 200 देशों में वर्ष 2019 में ऊंचाई एवं बीएमआई रुझानों के लिए नए अनुमान प्रदान करता है।
- बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को ऊंचाई (मीटर में) के वर्ग को वजन (किलो में) से विभाजित करके पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशानुसार 18.5 से 24.9 तक सामान्य बीएमआई रेंज हैं, 25 या अधिक, अधिक वजन, एवं 30 या अधिक को मोटापे के रूप में जाना जाता है।

BMI	Nutritional status
Below 18.5	Underweight
18.5–24.9	Normal weight
25.0–29.9	Pre-obesity
30.0–34.9	Obesity class I
35.0–39.9	Obesity class II
Above 40	Obesity class III

मुख्य निष्कर्ष

- कुक आइलैंड्स में 29.6 के उच्च एवं इथियोपिया में 19.2 के निचले स्तर की तुलना में 19 वर्षीय लड़कों का बीएमआई 20.1 है।
- भारतीय लड़कियों के लिए, बीएमआई 20.1 है, जबकि यह टोंगा में 29.0 की उच्च एवं तिमोर–लेस्ते में 19.6 के निचले स्तर है।
- भारतीय 19–वर्ष के बच्चों की औसत ऊंचाई लड़कों के लिए 166.5 सेमी एवं लड़कियों के लिए 155.2 सेमी है, जो नीदरलैंड के लड़कों (183.8 सेमी) एवं लड़कियों (170 सेमी) से कम है।
- सबसे लम्बे एवं सबसे छोटे औसत ऊँचाई वाले देशों के बीच 20 सेमी या उससे अधिक का अंतर लड़कियों के विकास के लगभग 8 साल एवं लड़कों के लिए लगभग 6 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, भारत में 19 साल की लड़कियों की उतनी ही ऊंचाई होती है, जितनी 12 साल की डच लड़कियों की होती है।
- विकासशील देशों में, भारत की तरह, एक दोहरी बोझ है, अर्थात, अतिपोषण एवं कुपोषण।
- विकसित देशों के बच्चों की तुलना में भारतीय लड़कियों एवं लड़कों दोनों के किशोरों में अधिक वजन एवं मोटापे की व्यापकता कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पश्चजनन (एपीजेनेटीक), खानपान संबधी, पारिवारिक, मनोसामाजिक, पालकों की शिक्षा, पेशवर, आय आदि।

THE TOP 3, THE BOTTOM 3, AND INDIA

BOYS, AGE 19		GIRLS, AGE 19	
MEAN HEIGHT, 2019		**MEAN HEIGHT, 2019**	
Netherlands	183.8 cm	Netherlands	170.4 cm
Montenegro	183.3 cm	Montenegro	170.0 cm
Estonia	182.8 cm	Denmark	169.5 cm
India	166.5 cm	India	155.2 cm
Solomon Islands	163.1 cm	Nepal	152.4 cm
Lao PDR	162.8 cm	Bangladesh	152.4 cm
Timor-Leste	160.1 cm	Guatemala	150.9 cm
MEAN BMI, 2019		**MEAN BMI, 2019**	
Cook Islands	29.6	Tonga	29.0
Nauru	29.5	Cook Islands	28.9
Tuvalu	28.2	Nauru	28.6
India	20.1	India*	20.1
DR Congo	19.9	Romania	19.9
Niger	19.8	Timor-Leste	19.6
Ethiopia	19.2		

*India 3rd from bottom

Source: The Lancet

आगे की राह –

- बच्चों एवं किशोरों में अधिक वजन एवं मोटापे की वृद्धि को रोकने के लिए भारत में नियमित आहार एवं पोषण सर्वेक्षण की आवश्यकता है।
- अधिक वजन एवं मोटापा ज्यादातर वयस्क उम्र में आता है एवं इंसुलिन प्रतिरोध, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सीवीडी, स्ट्रोक एवं कुछ कैंसर जैसे कई चयापचय विकारों के लिए जिम्मेदार होता है।

भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीपी) 2020

समाचार –

- अपनी तरह के पहले नीति परामर्श में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने सुविधा के लिए अत्यधिक कुशल भारतीय प्रवासीयों से भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीपी) 2020 में योगदान करने के लिए बातचीत की।

उद्देश्य –

- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में वृद्धि में तेजी लाने के लिए प्रवासी भारतीयों को भारतीय वैज्ञानिक एवं आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना।

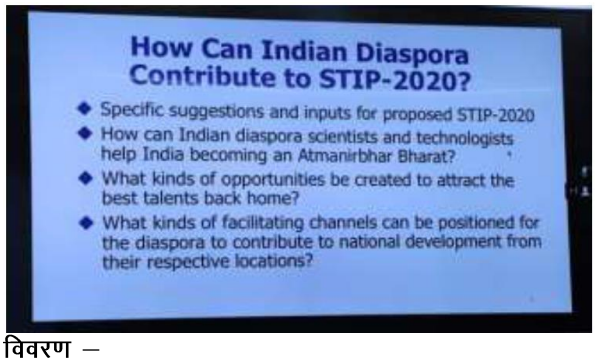

विवरण –

- आगामी नीति का उद्देश्य भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ाव के लिए संस्थागत तंत्र की सुविधा के द्वारा पहली एवं दूसरी पीढ़ी के दोनों को संबोधित करना है।
- VAIBHAV शिखर सम्मेलन एवं विज्ञान एवं तकनीक से संबंध्ति प्रवासी भारतीयों के लिए हाल ही में समर्पित, प्लेटफॉर्म, 'PRABHAS', इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास के कुछ उदहारण हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत में वैश्विक एसटीआई नेता के रूप में तेजी से राष्ट्रीय विकास हुआ है।
- भारत नैनो टेक्नोलॉजी जैसी उभरती तकनीकों में भी सक्रिय रूप से संलग्न है।
- 2020 एसटीआईपी 2020 का सूत्रीकरण 4 अंतःसंबंधित पटरियों, 21 विशेषज्ञ–संचालित विषयगत समूहों एवं केंद्रित सार्वजनिक चर्चाओं/परामर्शों द्वारा संचालित है।
- इस प्रक्रिया का उद्देश्य राष्ट्रीय एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्राथमिकता के मुद्दों को परिभाषित करना है, संरेखित कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ सिफारिशें, अपेक्षित वितरण, एवं एक कठोर निगरानी तंत्र।

महत्व –

- वैज्ञानिक प्रवासी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्राष्ट्रीयकरण एवं देश की प्रौद्योगिकी तीव्रता को बढ़ाने में योगदान करते हैं।
- उनकी संबंध को फिर से लागू करने से भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के सभी क्षेत्रों में मजबूत विकास के लिए दुनिया भर में अपनी विज्ञान एवं तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम होगा।

दृष्टि –

- एसटीआईपी 2020 की मुख्य दृष्टि नीति डिजाइन का विकेंद्रीकरण है जो इसे एक निचली एवं समावेशी प्रक्रिया बनाती है।
- इसका उद्देश्य है – वास्तविक प्राथमिकताएं, बड़ी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों के साथ क्षेत्रीय ध्यान एवं अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के तरीके प्राप्त करना।

VAIBHAV (वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक) शिखर सम्मेलन

- VAIBHAV पहल का उद्देश्य उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता एवं ज्ञान का लाभ उठाने के लिए व्यापक रोडमैप को सामने लाना है।
- VAIBHAV शिखर सम्मेलन भारत के एसएंडटी एवं अकादमिक संगठनों द्वारा एक सुविचारित पहल है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के साथ समस्या–समाधान के दृष्टिकोण के साथ विचार प्रक्रिया, प्रथाओं एवं आर एंड डी संस्कृति पर विचार–विमर्श को सक्षम करना है।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों के साथ सहयोग को और गहराई से प्रतिबिंबित करना है। लक्ष्य वैश्विक पहुँच के माध्यम से देश में ज्ञान एवं नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

टेलीमेडिसिन सेवा 'eSanjeevani'

समाचार –

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा eSanjeevani, ने 7 लाख परामर्श पूरे किए।
- ईसंजीवनी पर प्रतिदिन 10 हजार से अधिक परामर्श दर्ज किए गए। यह देश में स्थापित सबसे बड़ी ओपीडी सेवाओं में आकार ले रहा है।

टेलीमेडिसिन –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वितरण है, जहां व्यक्तियों एवं उनके समुदायों के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के हितों में बीमारी एवं चोटों के निदान तथा उपचार के लिए दूरी एक महत्वपूर्ण कारक है, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग किया जाता है।
- टेली–परामर्श टेलीमेडिसिन के अनुप्रयोगों में से एक है। यह मरीज एवं डॉक्टर के बीच संचार की सुविधा के लिए आईटी का उपयोग करता है।

eSanjeevani का विवरण –

- eSanjeevani के प्लेटफॉर्म ने टेलीमेडिसिन के दो प्रकारों को सक्षम किया है – डॉक्टर से डॉक्टर (eSanjeevaniAB–HWC) एवं रोगी से डॉक्टर (eSanjeevaniOPD)।
- पूर्व को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (AB–HWC) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 'हब एंड स्पोक' मॉडल में चिन्हित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ मिलकर सभी 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में टेलीकॉन्लेशन लागू करना है।

eSanjeevaniOPD

- रोगी–से–डॉक्टर टेली–परामर्श को सक्षम करने के लिए कोविड–19 महामारी के बीच इसे लॉन्च किया गया था।
- बिना किसी लागत के, इस ई–स्वास्थ्य सेवा ने लोगों को यात्रा के बिना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सुविधाजनक बना दिया है। यह दो–तरफा बातचीत को सक्षम करता है एवं यहां तक कि एक पर्ची भी उत्पन्न करता है।
- यह 40 से अधिक ऑनलाइन रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं की मेजबानी कर रहा है, इनमें से आधे से अधिक विशेष ओपीडी हैं जिनमें एड्स/एचआईवी रोगियों, गैर–संचारी रोग (एनसीडी), स्त्री रोग, मनोचिकित्सा, एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) आदि शामिल हैं।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)

समाचार –

- छह घाटों में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में पर्यावरण मंत्रालय के 2018 के मसौदा अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाटों को यूनेस्को द्वारा विश्व के आठ सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र –

- इको–सेंसिटिव एरिया (ESAs) संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा ESAs को अधिसूचित किया जाता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के आस–पास की कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों में शामिल नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

मुद्दा –

- एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका में केंद्र एवं केरल को पश्चिमी घाटों पर पारिस्थितिक रूप से विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) (गाडगिल समिती) एवं कस्तूरीरंगन समिती की सिफारिशों को ना लागू करने का निवेदन किया गया हैं।
- दलील ने केरल सरकार द्वारा 2014 में गठित ओमन वी ओमन समिति की सिफारिशों को लागू करने एवं कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने की मांग भी की गई है।

गाडगिल समिति –

- 2011 में इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली एक कमेटी जिसे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) के नाम से भी जाना जाता है, ने सिफारिश की कि सभी पश्चिमी घाटों को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज (ईएसए) के रूप में घोषित किया जाए ताकि ग्रेडेड जोनों में उनका निरंतर विकास हो सके।
- पैनल ने पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) 1, 2 एवं 3 में वर्गीकृत किया था, जिनमें से ईएसए–1 उच्च प्राथमिकता है, इसमें लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियां (खनन, थर्मल पावर प्लांट आदि) प्रतिबंधित हैं।
- इसने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में एक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय प्राधिकरण (WGEA) के गठन की सिफारिश की, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियां शामिल हो।

कस्तूरीरंगन समिति –

- कस्तूरीरंगन आयोग ने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की मांग की। समिति की प्रमुख सिफारिशें थीं –
  – पश्चिमी घाटों के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ईएसए के तहत लाया जाना है।
  – ईएसए में खनन, उत्खनन एवं रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  – किसी भी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए एवं विस्तृत अध्ययन के बाद ही जलविद्युत परियोजनाओं को अनुमति दी जानी चाहिए।
  – रेड इंडस्ट्रीज यानी जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले हैं उन पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

– रिपोर्ट में ईएसएएस के दायरे से बसे क्षेत्रों एवं वृक्षारोपण को शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिससे यह किसान समर्थक दृष्टिकोण वाली है।

ओमन वी ओमन समिति

- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) के अध्यक्ष ओमन वोमेन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति थी, जिसने अक्टूबर 2013 में, मुख्य रूप से इडुक्की, वायनाड एवं कोझीकोड के उच्च–सीमा वाले जिलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना, पश्चिमी घाट संरक्षण पर कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के विरोध में आंदोलन के मद्देनजर, बनाया गया था।
- राज्य के पैनल की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि कस्तूरीरंगन पैनल द्वारा ईएसए की पहचान करने के लिए अपनाई गई विधि को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- पैनल बताता है कि कस्तूरीरंगन पैनल के अनुसार यदि किसी गांव का 20 प्रतिशत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, तो पूरा गांव ईएसए के तहत आता है, भले ही शेष 80 प्रतिशत अत्यधिक आबादी शहरीकृत हो।
- केरल जैसे राज्य में, जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, कस्तूरीरंगन पैनल की ईएसए की पहचान गंभीर समस्याओं को जन्म देती है।
- केरल के 123 ईएसए गांवों में से अधिकांश का जनसंख्या घनत्व 250 से अधिक व्यक्ति/वर्ग किमी हैं।
- यह माधव गाडिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय विशेषज्ञों के पैनल (WGEEP) द्वारा सुझाए गए कस्तूरीरंगन पैनल एवं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 1 एवं 2 द्वारा चिह्नित ईएसए गांवों के भौतिक सत्यापन करने की सिफारिश करता है।
- एक गांव के भीतर, राज्य पैनल का कहना है, सभी आबादी वाले क्षेत्रों, कृषि भूमि एवं वृक्षारोपण को ईएसए से बाहर रखा जाना चाहिए। सत्यापन एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय निकायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, राजस्व, वन एवं कृषि विभागों के प्रतिनिधि शामिल हों।
- राज्य का पैनल भी कहता है कि कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट की सिफारिश ईएसए के आसपास 10 किमी बफर क्षेत्र बनाए रखने के लिए व्यावहारिक नहीं है क्योंकि क्षेत्र अत्यधिक आबादी वाले हैं एवं बफर क्षेत्र घोषित करने से इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास प्रभावित होगा।

विवरण –

- मसौदा अधिसूचना केरल में 123 कृषि गांवों की घोषणा करेगी क्योंकि ईएसए इस क्षेत्र में अर्ध–शहरी गांवों को बिना किसी सुविधा एवं सड़कों के जंगलों में परिवर्तित कर रहा है। यह 22 लाख लोगों को प्रभावित करेगा एवं केरल की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा।
- इसके अलावा, यह सुझाव दिया कि केरल में ईएसए को आरक्षित वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिए।
- केरल स्थित एनजीओ ने मांग की कि मंत्रालय के 2018 की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि यह जीवन के अधिकार एवं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसानों की आजीविका की गारंटी का उल्लंघन करता है।
- यदि 2018 की अधिसूचना केरल में लागू की जाती है, तो यह लाखों किसानों की आजीविका को प्रभावित करेगा क्योंकि उनकी कृषि भूमि सीमांत पारिस्थितिक क्षेत्रों (ईएसए) के अंतर्गत आएगी।
- एनजीओ के अनुसार, गाडगिल समिति की रिपोर्ट सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण के अनुकूल थी, जनसंख्या जैसे कारक, विस्थापन में व्यावहारिकता एवं आजीविका के स्रोत पर विचार नहीं किया गया था।

ब्रिक्स वित्त मंत्रीयों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की प्रथम बैठक –

समाचार –

- वित्त मंत्री ने 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा करने के लिए रूसी अध्यक्षता में पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया।

कार्यसूची –

- बैठक के एजेंडे में 2020 में जी 20 सऊदी प्रेसीडेंसी के परिणामों पर चर्चा, बुनियादी ढांचा निवेश एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एक डिजिटल मंच शामिल है।
- वित्त मंत्रालय ने पाया कि जी 20 ने कोविड–19 के जवाब में जी 20 एक्शन प्लान सहित कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलें की हैं।
- इसके अतिरिक्त, जी 20 ऋण सेवा सस्पेंशन पहल ने निम्न–आय वाले देशों की तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता सुनिश्चित की।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान के मुद्दे का हल खोजने के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर, वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक सर्वसम्मत समाधान कर प्रणाली की निष्पक्षता, इक्विटी एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सदस्यता के विस्तार पर भी चर्चा की।
- वित्त मंत्री ने NDB की सदस्यता के विस्तार का समर्थन किया एवं क्षेत्रीय संतुलन के महत्व पर बल दिया।
- भारत ने एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म (डेटा रूम) विकसित करने के लिए रूस की पहल के परिप्रेक्ष्य को भी साझा किया।

ब्रिक्स –

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं – ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए तैयार किया गया संक्षिप्त नाम है। 2009 के बाद से, ब्रिक्स राष्ट्रों ने औपचारिक शिखर सम्मेलन में सालाना बैठके आयोजित की हैं।
- ब्रक्स के पास 39,746,220 किमी^{2} का एक संयुक्त क्षेत्र है एवं अनुमानित कुल आबादी लगभग 3.21 बिलियन या लगभग 27% है।
- ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की भूमि की सतह 27% एवं दुनिया की आबादी का 41% है।

जी–20 –

- जी 20 (या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) 19 देशों एवं यूरोपीय संघ (ईयू) की सरकारों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित नीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से 1999 में स्थापित, जी 20 ने 2008 से अपने एजेंडे का विस्तार किया है एवं सरकार प्रमुखों, साथ ही वित्त मंत्रियों, विदेश मंत्रियों एवं थिंक टैंकों ने समय–समय पर शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया है।
- जी 20 की सदस्यता में 19 व्यक्तिगत देश एवं यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- सामूहिक रूप से, जी20 अर्थव्यवस्थाओं का सकल विश्व उत्पाद (GWP) का लगभग 90%, विश्व व्यापार का 80%, विश्व जनसंख्या का दो–तिहाई एवं विश्व भूमि क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, ब्रिक्स राज्यों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- NDB के समझौते के अनुसार, बैंक सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं को ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी एवं अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से समर्थन करेगा।
- NDB अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा, एवं परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है।

पीएम कुसुम

समाचार –

- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा अभियान उत्तम महाभियान (पीएम–कुसुम) के विस्तार के आदेश जारी किए हैं। अब लक्ष्य 2022 तक 30.8 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की बढ़ी हुई सौर क्षमता प्राप्त करना है।

पृष्ठभूमि –

- 9 फरवरी 2019 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम–कुसुम योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी थी।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना है। योजना ने 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा था।

पीएम कुसुम

- इस योजना में अब तीन घटक हैं।
- पहला 10,000 मेगावाट का विकेन्द्रीकृत ग्राऊँड–माँऊटेड ग्रिड से जुड़ा 2 मेगावाट नवीकरणीय बिजली संयंत्र है जुड़ा है।
- दूसरा 20 लाख (17.50 से आगे) स्टैंड–अलोन सौर–संचालित कृषि पंपों की स्थापना है।
- तीसरा घटक 15 लाख (10 लाख आगे) का ग्रिड–कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर–ऊर्जा से संचालन में परिवर्तित करने से है।

लाभ –

- यह योजना 25 वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण भूमि मालिकों की आय को स्थिर करेगी।
- इस योजना से यह सुनिश्चित होता है कि सौर पंप डीजल पंप चलाने के लिए डीजल पर होने वाले खर्च को बचाएंगे।
- ग्रामीण भार केंद्र को खिलाने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने पर यह योजना सुनिश्चित करेगी।
- सौर पंप सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करेंगे एवं डीजल पंपों के कारण होने वाले हानिकारक प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगे।
- यह योजना चार वर्षों की अवधि में 17.5 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए है। ग्रिड लोड को जोड़े बिना यह अनुमान लगाया गया है।

कोविड–19 खाद्य संकट को रोकने के लिए खाद्य गठबंधन

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र ने कोविड–19 खाद्य संकट को रोकने के लिए एक नया गठबंधन बनाया है। इसे इटली द्वारा प्रस्तावित एवं खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है।
- इटली द्वारा प्रस्तावित एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के नेतृत्व में, गठबंधन का उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाना है, वैश्विक खाद्य पहुंच सुनिश्चित करना है।

प्रभाव –

- कोविड–19 महामारी ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को खतरे में डालते हुए खाद्य प्रणालियों में बाधा उत्पन्न कर दी है। विश्व रिपोर्ट, 2020 में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण राज्य के अनुसार, 2019 में कम से कम 690 मिलीयन लोग भूखे रह गए।
- अब, महामारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंत तक 130 मिलियन से अधिक लोगों को भूखमरी में ढकेल सकती है।

गठबंधन –

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने 5 नवंबर, 2020 को एक खाद्य गठबंधन शुरू किया।
- इटली एवं नीदरलैंड ने गठबंधन को वित्तीय संसाधन एवं तकनीकी सहायता दी।
- इटली ने $1.2 मिलियन के शुरुआती योगदान के साथ गठबंधन का समर्थन किया है।
- 30 से अधिक देशों ने पहले ही गठबंधन में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है।
- देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य मूल्य श्रृंखलाएं अच्छी तरह से काम करती रहें एवं ग्रामीण श्रम एवं गरीब उपभोक्ता, ग्रामीण एवं शहरी दोनों को गरीबी रेखा के नीचे ना चले जाएं।

खाद्य गठबंधन निम्न दिशा में काम करेगा –

- संसाधनों, विशेषज्ञता एवं नवाचार को जुटाना
- संयुक्त एवं समन्वित कोविड–19 प्रतिक्रिया के लिए वकालत करना
- देशों के बीच संवाद एवं ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना
- समाधान उन्मुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की दिशा में काम करना
- दीर्घकालिक प्रभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी का विस्तार करना

महत्व –

- गठबंधन, कोविड–19 के जवाब में खाद्य पहुंच सुनिश्चित करने एवं कृषि खाद्य प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाने के उपायों के समर्थन के लिए एकीकृत वैश्विक कार्रवाई के लिए नेटवर्क एवं बहु–हितधारक गठबंधन के रूप में काम करेगा।

अन्य मामले –

- वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि जारी रही, एफएओ के अनुसार खाद्य मूल्य सूचकांक भी 5 नवंबर को जारी किया गया।
- वैश्विक अनाज उत्पादन के लिए पूर्वानुमान कम था, 2020 के लिए उत्पादन अभी भी सभी उच्च स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है।

आगे की राह –

- कोविड–19 ने हमें सिखाया है कि हमें कृषि–खाद्य प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वे जोखिम को कम करने एवं उनके साथ सामना करने के लिए तैयार रहें।

भारत में भुखमरी –

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों में से 94 वें स्थान पर है। 27.2 के स्कोर के साथ भारत में भूख का उच्च स्तर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सूचकांक में यह भी कहा गया है कि दुनिया जीरो हंगर नामक दूसरे एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल) को प्राप्त करने के लिए ट्रैक में नहीं है।

'अर्थव्यवस्था की स्थिति' रिपोर्ट

समाचार –

- भारिबै ने अब जुलाई–सितंबर तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.6 प्रतिशत के संकुचन का पूर्वानुमान (नाऊकास्टिंग) लगाया है।
- भारत ने अप्रैल–जून में पहले ही जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट देखी है।
- आरबीआई 2020–21 की अक्टूबर–दिसंबर तिमाही में सकारात्मक वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।

मंदी एवं पूर्वानुमान (नाऊकास्टिंग) –

- अर्थशास्त्र में, जब जीडीपी की वृद्धि दर लगातार दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए नकारात्मक है, इसे मंदी कहा जाता है।
- नाऊकास्टिंग अर्थव्यवस्था की स्थिति के वर्तमान या बहुत निकट भविष्य की भविष्यवाणी है।

जोखिम –

आयात के बावजूद मुद्रास्फीति का अविश्वसनीय दबाव

- सबसे महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति का जोखिम है, आपूर्ति प्रबंधन के उपायों जैसे कि प्याज व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लागू करने, आलू एवं प्याज के आयात एवं दालों पर आयात शुल्क में अस्थायी कमी के बावजूद भटकने का कोई संकेत नहीं है।

कोविड–19 लहर वैश्विक विकास को नुकसान पहुंचा रही है।

- अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा जोखिम कोविड–19 की दूसरी लहर से अब वैश्विक अर्थव्यवस्था से उपजा खतरा है। बाहरी मांग फिर से गिर सकती है क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, निर्यात में हाल ही में हुई रिकवरी रूक सकती है।

घरेलू स्तर, कॉरपोरेट्स के बीच तनाव को तीव्र करना

- घरेलू स्तर एवं निगमों के बीच तीव्र तनाव जो समाप्त नही बल्कि विलंबित हुआ है फिर से वित्तीय क्षेत्र में फैल सकता है।

आगे की राह –

- वैश्विक घटनाक्रमों के विपरीत, कोविड–19 महामारी पर, भारत में स्वास्थ्य संकट की पुनरावृत्ति के बढ़ते संकेत हैं एवं इसने लोगों को सामाजिक दुरस्तथा, मास्क एवं स्वच्छता के मानदंडों के भीतर आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने का साहस प्रदान किया है।

डेटा सेंटर नीति

समाचार –

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सेंटर नीति का मसौदा जारी किया जिसमें कहा गया था कि सरकार रेलवे, रोडवेज एवं पावर जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए 'अवसंरचना स्थिति' प्रदान करने की दिशा में काम करेगी।

डाटा सेंटर –

- यह एक इमारत/केंद्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहां कंप्यूटिंग एवं नेटवर्किंग उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, प्रसंस्करण, वितरण या अनुमति देने के उद्देश्य से केंद्रित है।

डाटा सेंटर पार्क –

- ये विशेष रूप से सुरक्षित डेटा जोन, रणनीतिक रूप से सबसे अनुकूल गैर–आईटी एवं आईटी डेटा से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला अवसंरचना के साथ स्थित हैं, एवं कंप्यूटिंग, भंडारण, नेटवर्किंग एवं प्रावधान की उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डेटा केंद्रों के छोटे पैमाने/बड़े पैमाने पर समूहों के आवास मिश्रण के लिए विनियामक वातावरण हैं।

महत्व –

- यह स्थिति घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से आसान शर्तों पर क्षेत्र को दीर्घकालिक ऋण लेने में मदद करेगी एवं निवेश को बढ़ावा देगी।
- नीति का उद्देश्य देश में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी को आसान बनाना है।

झलकियाँ –

- डेटा सेंटर अवसंरचना के लिए आवश्यक एक मुख्य घटक निर्बाध विद्युत आपूर्ति है एवं नीति ने इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में इसे संबोधित किया है।
- नीति डेटा सेंटर पार्कों को स्वयं की बिजली उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने एवं अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- 'नीति में केंद्रीय क्षेत्र योजना – DCEZ योजना के रूप में कम से कम चार डाटा केंद्र आर्थिक क्षेत्र (DCEZ) की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- प्रस्तावित DCEZ का उद्देश्य हाइपरस्केल डेटा केंद्रों, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, IT कंपनियों, R–D इकाइयों एवं अन्य संबद्ध उद्योगों का एक इको–सिस्टम बनाना है।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- डेटा केंद्रों को 'आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1968 (ESMA) के तहत एक आवश्यक सेवा के रूप में भी घोषित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपदा या संकट के समय भी सेवाओं की निरंतरता होगी।

ड्राफ्ट डेटा सेंटर पॉलिसी का विजन –

- भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बनाना
- क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना
- डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ावा देना।
- देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विश्वसनीय होस्टिंग बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सक्षम करना एवं
- नागरिकों को कला सेवा वितरण की स्थिति को सुविधाजनक बनाना।

आगे की राह –

- देश में डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पहले से ही निवेश के लिए एक संभावित अवसर बनती है, जिसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है यदि भारत वैश्विक खिलाड़ियों की पसंद का स्थान बन जाता।
- वर्तमान में, देश में डेटा केंद्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश नहीं है।
- भारत वैश्विक उद्यमों के लिए अनिवार्य रूप से डेटा सेंटर हब बन सकता है, अगर सरकार के पास इसके बारे में स्पष्ट नीति है।

वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना

समाचार –

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024–25 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना को जारी रखने एवं फिर से जारी करने को मंजूरी दी।
- केंद्र आर्थिक अवसंरचना के लिए कुल परियोजना लागत (TPC) का 20% जारी रखेगा, यह प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र, अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट में सामाजिक अवसंरचना के लिए TPC का 30% भी प्रदान करेगा।
- योजना देश के सामाजिक बुनियादी ढांचे को उभारने के लिए आगे बढ़ेगी एवं कोर सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन जारी रखेगी।

वायबिलिटी गैप फाइनेंस

- वायबिलिटी गैप फाइनेंस का अर्थ उन परियोजनाओं को समर्थन देना है जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हों लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
- इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाने वाली योजना के रूप में बनाया गया है एवं बजट में राशि वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर बनाई जाती है।
- वीजीएफ के तहत इस तरह के अनुदान को पीपीपी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है जो अन्यथा आर्थिक रूप से अविभाज्य हैं।
- लंबी अवधि की अवधि एवं भविष्य में छोटे राजस्व प्रवाह के कारण परियोजनाएँ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती हैं।
- पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वीजीएफ योजना 2004 में शुरू की गई थी।

मुख्य विशेषताएं –

- पहले की वीजीएफ योजना आर्थिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं तक सीमित थी।
- पुनर्निर्मित वीजीएफ योजना अधिक पीपीपी परियोजनाओं को आकर्षित करेगी एवं निजी निवेश की सुविधा प्रदान करेगी।
- सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं पानी की आपूर्ति) नए अस्पतालों एवं स्कूलों का निर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के कई अवसर पैदा करेगा।
- अब, इस योजना के तहत, अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को केंद्र से कुल परियोजना लागत का 30% तक मिल सकता है।
- अलग से, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में पायलट प्रोजेक्ट, कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली के साथ, केंद्र सरकार से कुल परियोजना लागत का 40% तक प्राप्त किए जा सकते हैं।
- पहले पाँच वर्षों के लिए केंद्र एवं राज्य मिलकर परियोजना की पूंजीगत लागत का 80% एवं संचालन तथा रखरखाव लागत का 50% वहन करेंगे।

योजना के घटक –

- नई योजना के दो घटक होंगे।

उप–योजना–1

- यह अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों जैसे सामाजिक क्षेत्रों को पूरा करेगा, जो अक्सर खराब राजस्व धाराओं के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं।
- उप–योजना–1 के तहत पात्र परियोजनाओं में कम से कम 100 प्रतिशत परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए।
- केंद्र सरकार वीजीएफ के रूप में परियोजना की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का अधिकतम 30% प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्रालय या वैधानिक इकाई को प्रायोजित करने वाली राज्य सरकार, टीपीसी के 30% तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है।

उप–योजना –2

- यह प्रदर्शन या पायलट सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं का समर्थन करेगा। परियोजनाएं स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती हैं जहां पर कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली है।
- ऐसी परियोजनाओं में, केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर पूंजीगत व्यय का 80 प्रतिशत तक एवं पहले पांच वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) लागत का 50 प्रतिशत तक प्रदान करेंगी।
- केंद्र परियोजना के टीपीसी का अधिकतम 40% प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, यह वाणिज्यिक परिचालन के पहले पांच वर्षों में परियोजना की परिचालन लागत का अधिकतम 25% प्रदान कर सकता है।

ऑपरेशन थंडर 2020

समाचार –

- इंडिया कस्टम्स ने एक महीने के थंडर 2020 ऑपरेशन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के लिए नियत लाल चंदन के एक शिपमेंट को रोक दिया।

- ऑपरेशन का समन्वय इंटरपोल एवं विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किया जाता है, जिसमें 103 देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल थीं।

पृष्ठभूमि –

- थंडर 2020, 2017 के बाद से सालाना थंडर ऑपरेशन की श्रृंखला में चौथा है।
- इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है एवं वन्यजीवों एवं लकड़ी प्रजातियों के अवैध व्यापार में लगे हजारों संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है।

ऑपरेशन थंडर 2020 –

- ऑपरेशन थंडर 2020 के परिणामस्वरूप वन्यजीव एवं वानिकी उत्पादों के 2,000 से अधिक बरामदगी हुई। इसके परिणामस्वरूप संरक्षित वन्यजीवों एवं वानिकी नमूनों एवं उत्पाद की बड़ी बरामदगी हुई।
- इससे दुनिया भर में कई गिरफ्तारियाँ एवं जाँच भी शुरू हो रही हैं।
- ऑपरेशन पूर्व–पहचाने गए मार्गों एवं हॉटस्पॉट पर केंद्रित था।
- भाग लेने वाले देशों ने मुख्य रूप से वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत संरक्षित प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य जंगली जानवरों एवं पौधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना है, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है।
- दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अवैध व्यापार, वन्यजीव एवं वानिकी का है – न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं वैश्विक अर्थशास्त्र के लिए दूरगामी एवं विनाशकारी परिणामों के साथ यह अवैध व्यापार, वन्यजीव एवं वानिकी अपराध अक्सर कर चोरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग एवं यहां तक कि हत्या के रूप में परिणित होता है।
- संगठित अपराध समूह संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी के लिए उन्हीं मार्गों का उपयोग कर रहे हैं जैसे वे लोग, हथियार, ड्रग्स एवं अन्य अवैध उत्पाद करते हैं।

प्रभाव –

- ऑपरेशन थंडर 2020 दर्शाता है कि वैश्विक संदर्भ में वन्यजीव अपराध का जवाब देने के लिए पार्टियों का समन्वय महत्वपूर्ण किंतु चुनौतिपूर्ण है।
- सभी स्तरों पर मजबूत, समन्वित प्रतिक्रियाएं आवश्यक हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की गतिविधियों को संबोधित किया जा सके।
- इससे सीमा, पारगमन एवं गंतव्य राज्यों में अवैध व्यापार श्रृंखला बाधित होगी।

विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) –

- WCO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
- डब्ल्यूसीओ को वस्तुओं के वर्गीकरण, मूल्यांकन, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क राजस्व का संग्रह, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क प्रवर्तन गतिविधियों जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, उपकरणों के विकास बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), ड्रग्स प्रवर्तन, अवैध हथियारों के व्यापार, अखंडता को बढ़ावा देने, एवं स्थायी वितरण के समर्थन में जालसाज, सीमा शुल्क सुधार एवं आधुनिकीकरण के साथ सहायता करने की क्षमता निर्माण को कवर करने वाले क्षेत्रों में अपने काम के लिए जाना जाता है।
- डब्ल्यूसीओ अंतर्राष्ट्रीय हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) माल नामकरण को बनाए रखता है एवं सीमा शुल्क मानदंड एवं उत्पत्ति के नियमों पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के तकनीकी पहलुओं को प्रशासित करता है।

इंटरपोल –

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO), जिसे आमतौर पर INTERPOL के रूप में जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग एवं अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- ल्योन में मुख्यालय, इसके दुनिया भर में सात क्षेत्रीय ब्यूरो हैं एवं सभी 194 सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है।
- इंटरपोल दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए खोजी समर्थन, विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है – आतंकवाद, साइबर अपराध एवं संगठित अपराध।
- इसका व्यापक जनादेश लगभग हर तरह के अपराध को कवर करता है, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध, बाल पोर्नोग्राफी, ड्रग तस्करी एवं उत्पादन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, कॉपीराइट का उल्लंघन एवं सफेदपोश अपराध शामिल हैं।
- एजेंसी आपराधिक डेटाबेस एवं संचार नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा भी देती है।
- इंटरपोल खुद एक कानून प्रवर्तन एजेंसी नहीं है।

G20 का ऋण संधि

समाचार –

- **जी** 20 के वित्त मंत्री सरकारी ऋण के पुनर्गठन के लिए पहली बार एक नए संयुक्त ढांचे पर सहमत हुए हैं, इस अनुमान में कि कोरोनोवायरस संकट के कारण कुछ गरीब देशों को गहरी राहत की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड–19 संकट ने गरीब देशों को ऋण चुकाने में विफल होने के जोखिम में डाल दिया है।

उद्देश्य –

- रूपरेखा का उद्देश्य 'अप्रैल में होने वाले ऋण भुगतान फ्रीज के योग्य देशों के लिए' समय पर एवं व्यवस्थित ऋण उपचार की सुविधा प्रदान करना है, लेकिन इसमें केवल स्वैच्छिक आधार पर निजी क्षेत्र के लेनदारों को शामिल किया गया है।

पृष्ठभूमि –

- इससे पहले जी 20 देशों ने जी 20 ऋण सेवा निलंबन पहल पर सहमति व्यक्त की थी। अब, इसे एक उन्नत ढांचे के साथ एक समझौते के रूप में हस्ताक्षरित किया जा रहा है। सदस्य देश की सरकारों के लिए संधि को अनिवार्य बनाया गया है।

- जाम्बिया ने घोषणा की कि 13 नवंबर, 2020 की समयसीमा में यह अतिदेय यूरोबॉन्ड का भुगतान नहीं कर सकता है।

विवरण –

- चीन सहित प्रमुख लेनदारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सामान्य दिशा–निर्देशों का पालन करें कि किस तरह से ऋण घटाया या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।
- नई रूपरेखा में पेरिस क्लब के नियमों के स्तर से बहुत अधिक उधार लिया गया है, जो ज्यादातर अमीर देश सरकारों का एक अनौपचारिक समूह है, अब तक ऋण पुनर्गठन के लिए बातचीत का एकमात्र संयुक्त मंच था।
- नए ढांचे के तहत, लेनदार देश एक देनदार देश के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, जिससे निजी क्षेत्र के लेनदारों से समान उपचार शर्तों की तलाश की जाएगी।
- चीन द्वारा अपने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के लिए ऋण को शामिल नहीं करने के मुद्दे पर जी 20 भागीदारों द्वारा के लिए आलोचना किए जाने के बाद नये ढांचे में डेट फ्रीज के आगे सभी सार्वजनिक लेनदारों को भी भाग लेने आवश्यकता का प्रावधान है।
- चीन हाल के वर्षों में विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख देनदार बन गया है, अक्सर चीन विकास बैंक एवं चीन EXIM जैसे संस्थानों के माध्यम से उधार देता है।
- लेकिन चीन कर्ज रिट–ऑफ के बारे में सावधान है एवं बीजिंग ने राज्य के स्वामित्व वाले चीन विकास बैंक को एक निजी संस्थान के रूप में परिभाषित किया है, जो ऋण राहत में पूर्ण भागीदारी का आह्वान करता है।

पेरिस क्लब –

- यह एक अनौपचारिक समूह है जो पेरिस में मासिक आधार पर बैठक करता है।
- समूह का मुख्य उद्देश्य देनदार राष्ट्रों के सामने आने वाली समस्याओं के भुगतान के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना है।
- इसके 19 सदस्य देश हैं।
- उनमें से अधिकांश स्कैंडिनेवियाई देश, यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूके हैं।

चीन समझौते को स्वीकार करने में क्यों हिचक रहा था?

- 2019 तक चीन पर जी 20 देशों के कुल कर्ज का 63% बकाया है।
- बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन सैकड़ों से अधिक परियोजनाओं के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है।
- चीन द्वारा देनदार देशों में से अधिकांश अफ्रीका से हैं।
- यह अनुमान लगाया गया है कि अफ्रीकी देशों को चीनी ऋण 150 बिलियन अमरीकी डालर है।
- चीन अफ्रीका के एक तिहाई संप्रभु ऋण रखता है।

वार्षिक निमोनिया एवं दस्त (डायरिया) प्रगति रिपोर्ट

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर (आईवीएसी) द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे के निमोनिया एवं दस्त से होने वाली मौतों को रोकने के लिए भारत ने अपने टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

रिपोर्ट के बारे में –

- रिपोर्ट में 10 संकेतकों का विश्लेषण करके प्रगति पर नजर रखी गई है कि कैसे देश – स्तनपान, टीकाकरण, देखभाल की मांग एवं एंटीबायोटिक दवाओं, मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान (ओआरएस), एवं जिंक पूरकता – निमोनिया एवं दस्त से होने वाली मौतों को रोकने में सफल हुए हैं।
- रिपोर्ट में शामिल 15 फोकस देशों में से, भारत केवल चार देशों में से एक है जो अनन्य स्तनपान में लक्ष्य से अधिक है।

मुख्य निष्कर्ष –

- भारत ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया एवं दस्त जैसी बीमारियों से बचाने के लिए अपने टीकाकरण कवरेज में सुधार किया है।
- भारत ने रिपोर्ट में पाँच में से तीन टीकों के लिए 90% कवरेज का वैश्विक लक्ष्य हासिल किया है जिसकी कवरेज रिपोर्ट में निगरानी की जाती है।
- ये टीके डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस (DPT) वैक्सीन, खसरा–युक्त संवहनी पहले खुराक, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV) एवं रोटावायरस वैक्सीन हैं।
- कुल मिलाकर, दुनिया की स्वास्थ्य प्रणाली यह सुनिश्चित करने में असफल हो रही है कि बच्चों की रोकथाम एवं उपचार सेवाओं तक पहुंच हो।
- भारत में रोटावायरस वैक्सीन का कवरेज 18 प्रतिशत अंक (2018 में 35% रोटावायरस कवरेज 2019 में 53% तक) बढ़ गया, न्यूमोकोकल निमोनिया के खिलाफ कवरेज 9 प्रतिशत अंक (2001 में 6% से बढ़कर 2019 में 15%) बढ़ गया।
- रिपोर्ट में शामिल लगभग हर देश निमोनिया एवं डायरिया के खिलाफ उपचार के उपयोग में पिछड़ा साबित हुआ।
- भारत उपचार के लिए सभी चार लक्ष्यों (स्तनपान, टीकाकरण, देखभालएवं एंटीबायोटिक्स) तक पहुंचने में विफल रहा, यह कहते हुए कि दस्त के इलाज में सबसे कम कवरेज था, जिसमें केवल 51% बच्चे ओआरएस प्राप्त कर रहे थे एवं 20% जिंक प्राप्त कर रहे थे।

निष्कर्ष –

- 2019 में भारत में प्रगति हुई थी लेकिन 2020 में कोविड–19 महामारी ने नियमित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे टीकाकरण एवं मेडिकल ऑक्सीजन को बुरी तरह बाधित किया।

100 दिन का एजेंडा –

- 100–दिवसीय एजेंडा रोटावायरस वैक्सीन का एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने है। भारत ने इसे 2019 में पूरा किया।
- रोटावायरस डायरिया के जानलेवा मामलों के खिलाफ प्रत्येक वर्ष पैदा होने वाले 26 मिलियन बच्चों की रक्षा के लिए यह ऐतिहासिक वैक्सीन विस्तार मदद करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर (आईवीएसी)

- आईवीएसी टीकों के मूल्य के लिए ज्ञान एवं समर्थन बनाता है।
- 2003 से, IVAC ने सरकारों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में काम किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अनुसंधान समूह एवं गैर–लाभकारी संगठन, जो सभी लोगों के लिए जीवन–रक्षक टीकाकरण तक पहुंच की मांग कर रहे हैं।

- जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्थित, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के भीतर, आईवीएसी विविध कौशल एवं अनुसंधान अनुभवों के साथ काम करता है।

न्यूमोनिया –

- निमोनिया एक संक्रमण है जो हवा के थक्के को एक या दोनों फेफड़ों में प्रवाहित करता है। वायु थैली तरल पदार्थ या मवाद से भर सकती है, जिससे कफ या मवाद, बुखार, ठंड लगना एवं साँस लेने में कठिनाई के साथ खांसी हो सकती है।
- बैक्टीरिया, वायरस एवं कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीव निमोनिया का कारण बन सकते हैं।

दस्त –

- डायरिया तब होता है जब आपकी मल त्याग ढीली या पानीदार हो जाती है। दस्त की परिभाषा एक दिन में 3 या अधिक बार (या सामान्य से अधिक बार) ढीली या पानी वाली मल त्याग है। अतिसार तब होता है जब आंत का अस्तर द्रव को अवशोषित करने में असमर्थ होता है, या यह सक्रिय रूप से द्रव को तरल करता है।
- निमोनिया एवं डायरिया दुनिया के सबसे कम उम्र के बच्चों के हत्यारे हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 29 प्रतिशत मौतें होती हैं – या प्रतिवर्ष 2 मिलियन से अधिक लोगों की जान चली जाती है। फिर भी, रोकथाम एवं उपचार का स्तर कम रहता है, खासकर गरीबों के बीच।

थोक मूल्य सूचकांक

समाचार –

- भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अक्टूबर 2020 में बढ़कर 1.48% हो गया। यह पिछले आठ महीनों में सबसे अधिक था।

विवरण –

- (थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति सितंबर में 1.32% थी।
- WPI फूड इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जिसमें प्राथमिक लेख समूह से 'खाद्य मदें' एवं निर्मित उत्पाद समूह से 'खाद्य उत्पाद' शामिल हैं, अक्टूबर में सितंबर में 6.92% से घटकर 5.78% हो गई।
- सरकार ने अगस्त के लिए थोक मुद्रास्फीति को 0.16% से संशोधित कर 0.41% कर दिया।
- अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 6.37% हो गई जो सितंबर में 8.17% थी। सब्जियों एवं आलू की मुद्रास्फीति अक्टूबर में क्रमशः 25.23% एवं 107.70% थी।
- विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी में मुद्रास्फीति सितंबर में 1.61% की तुलना में 2.12% थी। अक्टूबर में ईंधन एवं बिजली में 10.95% की कमी देखी गई।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में छह साल के उच्च स्तर 7.61% थी।

थोक मूल्य सूचकांक – डब्ल्यूपीआई

- थोक मूल्य सूचकांक थोक वस्तुओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुख्य रूप से निगम के बीच व्यापार किए गए माल पर केंद्रित है।
- डब्लूपीआई का मुख्य उद्देश्य मूल्य बहाव की निगरानी करना है। यह अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म आर्थिक एवं व्यापक आर्थिक स्थितियों का आकलन करने में मदद करता है।
- डब्ल्यूपीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है
- थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011–12 है। पहले यह 2004–05 था। इसे 2017 में संशोधित किया गया था।

WPI के घटक –

- WPI की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक मदों को खाद्य मदों एवं गैर–खाद्य मदों में विभाजित किया जाता है।
- खाद्य मदों में धान, अनाज, गेहूं, सब्जियां, दूध, फल, अंडे, मछली आदि शामिल हैं।
- गैर–खाद्य मदों में खनिज, तेल बीज एवं कच्चे पेट्रोलियम हैं।
- WPI टोकरी में ईंधन एवं बिजली, निर्मित सामान भी शामिल हैं।
- निर्मित सामानों में एपियरल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर, प्लास्टिक, रसायन, धातु, सीमेंट एवं कई अन्य शामिल हैं।
- निर्मित माल की टोकरी में तंबाकू उत्पाद, चीनी, पशु तेल आदि शामिल हैं।

एसेट मोनेटाइजेशन –

समाचार –

- निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, विश्व बैंक परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए DIPAM को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है।

मुद्रीकरण –

- एसेट मुद्रीकरण कम या कम सार्वजनिक संपत्ति को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोत बना रहा है।

डीआईपीएएम की योजना –

- डीआईपीएएम गैर–मूल संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं 100 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए है। एलआईसी में अल्पसंख्यक दांव बेचने की योजना है।

विवरण –

- DIPAM का जनादेश रणनीतिक विनिवेश के अंर्तगत या 100 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक के मूल्य की दुश्मन संपत्ति के अंर्तगत सरकारी CPSEs की गैर–प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का है।
- DIPAM के पास गैर–प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा है।
- विश्व बैंक की सलाहकार परियोजना, भारत में सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण का विश्लेषण करने एवं सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के खिलाफ अपने संस्थागत एवं व्यावसायिक मॉडल को बेंचमार्क करने के साथ–साथ परिचालन दिशानिर्देशों के विकास एवं उनके कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण का समर्थन करने के उद्देश्य से है।
- यह उम्मीद की जाती है कि यह परियोजना गैर–मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया को सुगम एवं तेज करेगी तथा इन उपयोग में नही आ रही/ मामूली रूप से उपयोग की गई संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करने में मदद करेगी।
- आगे के निवेश एवं विकास के लिए वित्तीय संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि।

- गैर–परिसंपत्ति की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई राशि विनिवेश आय का हिस्सा बनेगी।

DIPAM

- 10 दिसंबर, 1999 को विनिवेश विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था एवं बाद में 6 सितंबर 2001 को विनिवेश मंत्रालय के रूप में इसका नाम बदल दिया गया।
- 27 मई, 2004 से, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में से एक विनिवेश विभाग है।
- 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया है।

गिद्ध कार्य योजना 2020–25

समाचार –

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020–25 शुरू की।
- भारत में गिद्धों की नौ रिकॉर्डेड प्रजातियां हैं – ओरिएंटल व्हाइट–बैक, लॉन्ग–बिल, स्लेंडर–बिल, हिमालयन, रेडहेड, मिस्र, दाढ़ी, सिनेरियस एवं यूरेशियन ग्रिफन।

पृष्ठभूमि –

- भारत में 1990 के दशक के बाद से दुनिया में गिद्धों की आबादी की तुलना में सबसे अधिक गिरावट (कुछ प्रजातियों में 90 प्रतिशत तक) देखी गई है।
- जबकि मंत्रालय 2006 से गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना चला रहा है, इस योजना को अब परियोजना को 2025 तक बढ़ाकर न केवल गिरावट को रोकना है, बल्कि भारत में गिद्ध संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना भी है।
- 1990 एवं 2007 के बीच, तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या – ओरिएंटल व्हाईट–बेक्ड, लॉंग–बिल्ड एवं स्लैंड–बिल्ड गिद्ध – की संख्या 99 प्रतिशत तक समाप्त हो गई है।
- रेड–हेडेड गिद्धों की संख्या भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, जबकि 91% की गिरावट आई है जबकि मिस्र के गिद्धों में 80% की गिरावट आई है।
- 'ईजिप्शियन गिद्ध को 'ईन्डेंजरड' जबकि हिमालयन, बीयरडेउ एवं सिनेरियस गिद्धों को 'नियरली थ्रेटन्ड' की सूचि में रखा गया हैं।
- गिद्ध आबादी में दुर्घटना 90 के दशक के मध्य में सुर्खियों में आई, एवं 2004 में दुर्घटना का कारण डाइक्लोफेनाक – एक पशु चिकित्सा नॉनस्टेरॉइडल एंटीइनफ्लेमेटरी ड्रग (एनएसएआईडी) जिसका उपयोग बकरी जैसे जानवरों में दर्द एवं सूजन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है तथा जो इनके शवों को खाने से गिद्ध में आ जाते हैं, के रूप में सामने आया।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण के लिए एक्शन प्लान 2006 के अंतर्गत उसी वर्ष डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगाया एवं गिद्धों की संख्या में गिरावट में कमी 2011 तक दिखने लगी।

गिद्ध कार्य योजना 2020–25

- कार्य योजना का उद्देश्य पशु चिकित्सा NSAIDs की बिक्री को विनियमित करनाएवं पशुधन को केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा ही उपचार किया जाना सुनिश्चित करना है।
- उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, उत्तरपूर्व में गुवाहाटी दक्षिण में हैदाबाद, इस तरह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए चार बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं
- इस योजना में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की मदद से एक प्रणाली स्थापित करना शामिल है, जो पशु चिकित्सा के उपयोग से डिक्लोफेनाक दवा – जोकि गिद्धों के लिए विषाक्त है, को हटा देगी।
- 2020–25 योजना के तहत मंत्रालय रेड–हेडेड गिद्ध एवं ईजिप्शियन गिद्ध के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए भी काम करेगा, एवं अवशेष आबादी के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' स्थापित करने में राज्यों की मदद करेगा।

गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम –

- सेंट्रल जू अथॉरिटी (सीजेडए) एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) ने भी गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की स्थापना की, जो सफल रहा है एवं पहली बार तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन कराए गए। आठ केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं अब तक, तीन प्रजातियों के 396 गिद्ध सफलतापूर्वक जन्म ले चुके हैं।
- गिद्ध सुरक्षित कार्यक्रम को देश के आठ अलग–अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है, जहाँ पर गिद्धों की आबादी का विस्तार था।
- डायक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करके गिद्ध की आबादी को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं एवं एक क्षेत्र को केवल तभी गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है जब लगातार दो वर्षों तक अंडरकवर फार्मेसी एवं मवेशी शव सर्वेक्षणों में कोई जहरीली दवा नहीं मिलती है एवं गिद्ध आबादी स्थिर हैं तथा घट नहीं रहे हैं।

AICTE का लीलावती अवार्ड – 2020

समाचार –

- शिक्षा मंत्री "निशंक" ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम – लीलावती पुरस्कार –2020 का शुभारंभ किया।

- लीलावती पुरस्कार तकनीकी शिक्षा नियामक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की एक पहल है, एवं इसका उद्देश्य AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा महिला समानता एवं निष्पक्षता के लिए कार्य करने के प्रयासों को मान्यता देना है।

थीम एवं उद्देश्य –

- विषय के रूप में महिला सशक्तीकरण के साथ, पुरस्कार का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता एवं महिलाओं के बीच रोजगार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

विवरण –

- सरकार ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं सफल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- सरकार ने बालिका एवं महिलाओं के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, एवं सीबीएसई उदयन योजना।

लीलावती पुरस्कार 2020

- लीलावती पुरस्कार का विषय महिला सशक्तिकरण है।
- इसका उद्देश्य "पारंपरिक भारतीय मूल्यों" का उपयोग करके स्वच्छता, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- इसका उद्देश्य साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों एवं महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- टीम को महिला सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार की घोषणा की तारीख से पिछले दो वर्षों में किए गए अपने काम का प्रदर्शन करना है।

अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक एवं एक्सपो (RE–INV 2020)

समाचार –

- पीएम मोदी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए निवेशकों को लुभाने के लिए तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक एवं एक्सपो (REINVEST 2020) का उद्घाटन किया।
- RE–Invest, 2020 का विषय है – इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजीशन।
- भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा का 175 GW एवं 2030 तक 450 GW का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

RE–INVEST के बारे में –

- RE-INVEST आपको सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में सूचित करेगा एवं भारत के अक्षय विकास की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, निवेशकों एवं अन्य हितधारकों के बीच जुड़ाव भी बढ़ाएगा।
- आरई–निवेश 2020 के लिए भागीदार देश ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव, यूनाइटेड किंगडम के साथ–साथ यूरोपीय संघ एवं अमेरिकी एजेंसियां हैं।
- साझीदार राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु हैं।

महत्व –

- इस आयोजन से विभिन्न देशों, राज्यों, व्यापारिक घरानों एवं संगठनों को अपनी रणनीतियों का प्रदर्शन करने का शानदार अवसर मिलेगा, उपलब्धियों एवं उम्मीदों।
- यह भारत में प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग एवं सुविधा प्रदान करेगा।

भारत की सौर ऊर्जा –

- पिछले छह वर्षों के दौरान –
- 4.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया, जिससे देश स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना वृद्धि हुई है।
- सौर ऊर्जा की क्षमता 13 गुना बढ़ गई है।
- हमारी बिजली उत्पादन क्षमता में गैर–जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 136 गीगावॉट या हमारी कुल क्षमता का लगभग 36 प्रतिशत हो गई है।
- 2022 तक, शेयर के 220 गीगावॉट से अधिक बढ़ने की उम्मीद है।
- 2030 के लिए भारत के नवीकरण की योजनाएं प्रति वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश अवसर में तब्दील होंगी।

सरकार द्वारा पहल –

- सौर पीवी कोशिकाओं एवं मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
- सरकारी योजनाओं ने अकेले घरेलू मांग पैदा की है एवं घरेलू रूप से निर्मित सौर पीवी कोशिकाओं एवं मॉड्यूल के लगभग 40 GW के बाजार का आश्वासन दिया है।
- सरकार ने हाल ही में सौर पीवी के निर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
- कुसुम योजना का उद्देश्य 20 लाख डीजल पंपों को स्टैंडअलोन सौर पंपों के साथ बदलना है, 15 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलराइज करना एवं 10 GW सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकेंद्रीकरण ने अगले चार वर्षों के भीतर किया। योजना के तहत कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को शामिल करने की पहल की गई है।
- सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने एवं किसी भी उभरती चुनौतियों को दूर करने के लिए कई सुविधाजनक नीतिगत उपाय किए हैं।

SDG निवेशक मानचित्र

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) एवं इन्वेस्ट इंडिया, ने भारत के लिए 18 निवेश अवसर क्षेत्रों (IOAs) के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 'SDG (टिकाऊ विकास लक्ष्य) निवेशक मानचित्र' लॉन्च किया है ताकि देश को विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सके।
- कोविड–19 महामारी के दौरान SDG में निवेश बेहतर तरीके से निर्माण एवं अर्थव्यवस्था एवं हमारे समाजों को अधिक लचीला एवं टिकाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

विवरण –

- मानचित्र में छह फोकस क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ, वित्तीय सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा एवं विकल्प एवं टिकाऊ पर्यावरण शामिल हैं।
- इन्वेस्टर मैप उन रास्तों को खत्म करता है जो निजी क्षेत्र के निवेश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के छह SDG – सक्षम क्षेत्रों को एक साथ ला सकते हैं।
- एक कठोर विश्लेषणात्मक प्रक्रिया जिसमें प्रमुख घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, सरकारी हितधारकों एवं थिंक–टैंकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल थे, उनके भीतर फोकस क्षेत्रों एवं IOAs की पहचान करने के लिए किया गया था।
- 18 IOAs की पहचान की गई, 10 परिपक्व निवेश योग्य क्षेत्र हैं जिन्होंने मजबूत निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी गतिविधि देखी है, एवं उन कंपनियों को सुविधा दी है जो बड़े पैमाने पर अनलॉक करने एवं लाभप्रदता प्रदर्शित करने में सक्षम हैं।
- शेष आठ आईओए उभरते हुए अवसर हैं, जिन्होंने शुरुआती स्तर के निवेशकों से कर्षण देखा है।

श्वेत स्थान –

- मानचित्र में आठ श्वेत स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें निवेशकों की रुचि देखी गई है एवं जिनके पांच से छह वर्ष में नीति समर्थन एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ IOAs बनने की क्षमता है।

SDG निवेशक मानचित्र की मुख्य झलकियाँ –

- कोविड–19 महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्थानों को बनाने में SDG के वित्तपोषण की खाई को लगभग 400 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा दिया है, जिसमें पूर्व कोविड–19 प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की कमी शामिल है।
- चयनित IOA के लगभग 50% का ऐतिहासिक निवेश है एवं उसने 20% से अधिक की आंतरिक दर (IRRs) प्राप्त की है।
- IOA के लगभग 84% में अल्पावधि (5 वर्ष से कम) से मध्यम अवधि (5 से 15 वर्ष) तक के निवेश की समय सीमा है।

सतत विकास लक्ष्य –

- दुनिया के सामने आने वाली तात्कालिक राजनीतिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों का शुभारंभ किया गया।
- चूंकि भारत विश्व जनसंख्या का 17% हिस्सा है, इसलिए इन लक्ष्यों की घोषणा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये स्कोर 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया था।
- 17 स्थायी विकास लक्ष्य हैं जो संपत्ति को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं असमानताओं से लड़ने के उद्देश्य हैं।

भारत के एसडीजी लक्ष्य –

- भारत को अपने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2.64 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एसडीजी निवेश मानचित्र के अनुसार, भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिए 1558 बिलियन यूएस डॉलर, डिजिटल एक्सेस के लिए 377.4 बिलियन यूएस डॉलर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 505 बिलियन यूएस डॉलर एवं स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता के लिए 192 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है।
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अनुसार, देश के 7% लोगों के पास बिजली तक पहुंच नहीं है।

2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन

समाचार –

- स्वास्थ्य मंत्री ने 2025 तक भारत में तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है एवं कहा है कि पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी से जनता के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी।

क्षय रोग –

- क्षय रोग (टीबी) एक संक्रामक संक्रमण है जो आमतौर पर आपके फेफड़ों पर हमला करता है। यह आपके मस्तिष्क एवं रीढ़ की तरह आपके शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया इसका कारण बनता है।
- टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलता है। जब फेफड़े के टीबी खांसी, छींकने या थूकने वाले लोग होते हैं, तो वे टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देते हैं। एक व्यक्ति को संक्रमित होने के लिए इन कीटाणुओं में से केवल कुछ को साँस में लेने की आवश्यकता होती है।
- क्षय रोग इलाज योग्य एवं रोके जाने योग्य है।
- टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों में टीबी के साथ बीमार पड़ने का 5.15% आजीवन जोखिम होता है।
- एचआईवी, कुपोषण या मधुमेह या तंबाकू का उपयोग करने वाले लोगों में बीमार पड़ने का खतरा अधिक होता है।

मुख्य तथ्य –

- 2019 में टीबी से कुल 1.4 मिलियन लोग मारे गए (एचआईवी के साथ 2,08,000 लोग)।
- दुनिया भर में, टीबी मौत के शीर्ष 10 कारणों में से एक है एवं एक संक्रामक एजेंट (एचआईवी/एड्स से ऊपर) से प्रमुख कारण है।
- 2019 में, अनुमानित 10 मिलियन लोग दुनिया भर में तपेदिक (टीबी) से बीमार हो गए। 5.6 मिलियन पुरुष, 3.2 मिलियन महिलाएं एवं 1.2 मिलियन बच्चे। टीबी सभी देशों एवं आयु समूहों में मौजूद है। लेकिन टीबी इलाज योग्य एवं रोकथाम योग्य है।
- 2019 में, विश्व स्तर पर टीबी से 1.2 मिलियन बच्चे बीमार हुए। बाल एवं किशोर टीबी को अक्सर स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा अनदेखा किया जाता है एवं निदान एवं उपचार करना मुश्किल है।
- 2019 में, 30 उच्च टीबी बोझ वाले देशों में टीबी के नए मामलों का 87% हिस्सा था। भारत की गिनती में अग्रणी देशों के साथ आठ देशों की कुल संख्या का दो तिहाई हिस्सा है, इसके बाद इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं दक्षिण अफ्रीका हैं।
- मल्टीड्रग–प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर–टीबी) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। 2019 में कुल 206 030 लोग मल्टीरुडर रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर / आरआर–टीबी) ये पीड़ित पाए गए जो 2018 की 186 883 से 10 प्रतिशत अधिक है।
- विश्व स्तर पर, टीबी की घटना प्रति वर्ष लगभग 2% घट रही है एवं 2015 एवं 2019 के बीच संचयी कमी 9% थी। यह 2015 एवं 2020 के बीच 20% की कमी के अंत के लक्ष्य का लगभग आधा है।
- 2000 एवं 2019 के बीच टीबी निदान एवं उपचार के माध्यम से अनुमानित 60 मिलियन लोगों की जान बचाई गई।
- 2030 तक टीबी की महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के स्वास्थ्य लक्ष्य के बीच है।

CHAHAL ACADEMY

OUR PAN INDIA PRESENCE

CHAHAL ACADEMY

Published on
NOVEMBER / 2020